

481

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 606 OF 2018

IN THE MATTER OF:-

Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016

INDEX OF FILING

S.No.	DESCRIPTION	COPIES	CT. FEE
1.	Quarterly Report of compliances of the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.	1+3	
		Total	

FILED BY:

Gopal Singh

[GOPAL SINGH]

Advocate on-record

Advocate for the Respondent State of Bihar)

20-A, Lawyers Chambers

Supreme Court of India

Enrolment No. D/293/1982

M. No. 9811156434

Email: gopalsingh1@gmail.com



NEW DELHI

DATE: .07.2019

**Quarterly report of compliances
of the directions passed by
the Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi,
in
O.A. No. 606/2018, dated 15.03.2019**



Chief Secretary, Bihar.

INDEX		
Sl. No	Particulars	Page No.
1.	Compliance report (A) to direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in O.A. No. 606 dated: 15.03.2019	483-488
2.	Compliance report (B) to direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in O.A. No. 606/2018 dated: 16.01.2019	489-493
3.	Implementation of Provisions under Rule 22 of Solid Waste Management Rules, 2016 (Annexure-1).	494-557
4.	Letter to Urban Local Bodies on submission of Form-IV & Form-V (Annexure-2).	558
5.	Implementation of Provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016 (Annexure-3).	559-571
6.	Meeting Minutes of State Level Advisory Committee on Bio-Medical Waste Management (3rd Meeting) (Annexure-4).	572-573
7.	Action Plan for Management of Bio-Medical Waste in the State of Bihar (Annexure-5).	574-597
8.	Notification of Model Cities & Towns (Annexure-6).	598
9.	Copy of Minutes of meeting on model cities and towns (Annexure-7).	599-602
10.	Instructions to all DMs by Panchayati Raj Department on Management of Solid Waste (Annexure-8).	603-607
11.	List of Panchayats in each districts selected for implementation of Solid Waste Management (Annexure-9).	608-611
12.	The detailed status of Solid Waste Management activity in six cities is enclosed as (Annexure-10).	612
13.	The detailed list of meeting held with Districts Magistrates through Video Conferencing (VC) by Chief Secretary on NGT directions (Annexure-11).	613
14.	Guideline on Door to door collection and Processing and Disposal (Annexure-12).	614-628
15.	Notification on District Level Task Force (Annexure-13).	629-630
16.	The detailed ranking system of cities and towns is enclosed as (Annexure-14).	631-633
17.	SWM Ranking of Cities and Towns as on 28.06.2019	634-636
18.	Constitution of IEC Cell to create awareness on Solid Waste Management in different Urban Local Bodies (Annexure-15).	637
19.	Letter to IPRD to ensure massive IEC campaign (Annexure-16).	638-639
20.	Photographs of Different IEC activities on Solid Waste Management (Annexure-17).	640-647
21.	Proceedings of the 2nd meeting of State Level Committee under the Chairmanship of the Hon'ble Justice (retd.) Sri Samrendra Pratap Singh (Annexure-18).	648-652
22.	Constitution of State Level Advisory Committee under Chairmanship of Chief Secretary, GOB (Annexure-19).	653-654
23.	Proceeding of the meeting of River Rejuvenation Committee, Bihar Dated. 27 th March, 2019 (Annexure-20)	655-657
24.	The detailed Status of Sewerage Projects is enclosed as (Annexure-21).	658-660
25.	The detailed status of AQMC meeting (Annexure-22).	661-666
26.	Details of action taken against illegal mining during last 3 months is annexed as (Annexure-23).	667
27.	The detailed status of screening activity in Nallas in (Enclosed as Annexure-24).	668-674

483

Compliance report (A) of the direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA No. 606/2018, dated 15.03.2019

Sl. No	Compliance Condition	Current Status
Clause IV Para 32 (i)	Steps for compliance of Rules 22 and 24 of SWM Rules be now taken within six weeks to the extent not yet taken. Similar steps be taken with regard to Bio-Medical Waste Management Rules and Plastic Waste Management Rules.	<p>A. Status of compliance of SWM Rules, 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steps have already been taken by GOB to ensure compliance of Rule 22 of SWM Rules, 2016. Steps taken so far and the progress made since April, 2019 have been enclosed as Annexure-1. In Solid Waste Management following progress have been made as on 27.06.2019: <ol style="list-style-type: none"> a) Total no. of ULBs in Bihar-142 (3367 wards). b) Total No. of ULBs which started door to door collection-140 (3159 wards). c) Total No. of ULBs in which household bins (blue & green) distributed-81 (1621 Wards). d) Total No. of ULBs which started segregation of waste at source-44 (783 wards). e) Total No. of ULBs where solid waste processing site identified and available-139. f) Total No. of ULBs where stand alone sanitary landfill site identified and available-93. g) Model SWM Bye-laws, 2019 for ULBs of state has been notified and no. of ULBs which have adopted under Bihar Municipal Act, 2007: 60 (Adaptation by rest of ULBs under process). • To ensure submission of annual reports under Rule 24 of SWM Rule, 2016 letter has been issued to all the Urban Local Bodies by UD & HD vide letter No-932 Dt: 02.04.2019 (enclosed as Annexure-2). • Annual report in Form-IV has so far been received from 82 ULBs. <p>B. Status of Compliance of PWM Rules, 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastic Waste Management Bye-laws adopted and notified by all the 141 ULBs in the state. • Complete ban of plastic carry bags (irrespective of its thickness and size) is in place in the state and implementation of PWM Bye-laws is being carried out. • Raids were conducted against the use of plastic carry bags in all urban areas of the state. Report of plastic carry bags raid since coming in to effect of Plastic Waste Management Bye Laws (23.12.2018) to till date is as follows:- <ol style="list-style-type: none"> (a) Total shops or establishment raided: 108717 (b) Total fine collection in Rs: 56,69,140 (c) Total seizure of plastic carry bags in Kg: 23302.39

- BSPCB has revoked the Consent-to-Operate (CTO) of all manufacturers of plastic carry bags in the State with effect from 24.12.2018 and related information also published in the daily news papers.
- BSPCB organized a meeting with producers, manufacturers, brand owners & importers on 16.04.2019 to ensure plastic waste collection system based on Extended Producer Responsibility (EPR) either individually or collectively.
- UD&HD, GoB has invited expression of interest for engagement of agencies for collection, processing and disposal of plastic waste generated from ULBs of north and south Bihar. The proposals are under evaluation.
- One Pyrolysis plant of 05 TPD has been installed for processing of dry non-recyclable waste.
- Annual report in Form-V has so far been received from 76 ULBs.
- The detailed status of compliance of Plastic Waste Management Rules, 2016 in Urban Local Bodies of Bihar is enclosed as **Annexure-3**.

C. Status of Compliance of BWM Rules, 2016

- A total no. of 24520 Health Care Facilities (HCFs) have been identified in the State estimated to generate about 35837 kg/day of Bio-Medical Wastes.
- There are four Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities and three captive treatment facilities with a total capacity of 33600 kg/day under operation in the State. A total of 4707 HCFs are tied up with these CBWTFs. In addition to these two more common facilities are proposed to be established at Bhojpur and Madhepura.
- BSPCB has granted authorization to 3465 HCFs under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.
- The Board had issued closure directions to 459 Health Care Facilities for non-compliance of the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 out of which 202 units have been closed down by District Level Authorities, 53 Closure Directions have been revoked after compliance by the units and 39 have closed down on this own.
- State Level Advisory Committee on bio-medical waste management held its 3rd meeting on 10.06.2019. Copy of the same is attached as **Annexure-4**.

		<ul style="list-style-type: none"> • An Action Plan for management of bio-medical waste has been prepared and necessary instructions are being passed to ensure its implementation within stipulated time to the concerned agencies. Copy of the action plan is attached as Annexure-5. • Administrative approval has been granted to Bihar Medical Services Infrastructure Corporation Limited (BMSICL) to construct Effluent Treatment Plant in 27 District Hospitals, 66 Referral Hospitals and 46 Sub-divisional Hospitals. Also, 10 District Hospitals are being developed as Model Hospitals which will be equipped with Effluent Treatment Plant. • Annual report in Form-IV has so far been received from 505 HCFs.
Clause IV Para 32 (ii)	At least three major cities and three major towns in the State and at least three Panchayats in every District may be notified on the website within two weeks from today as model cities/towns/villages which will be made fully compliant within next six months.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Three major cities (Munger, Muzaffarpur and Biharsharif) and three major towns (Supaul, Rajgir and Bodhgaya) have been notified as Model Cities and towns in Bihar vide letter No-1952 Dt: 05.04.2019 (enclosed as Annexure-6) 2. Meeting with all the model cities and towns was held on dt: 25.04.2019 under the chairmanship of Secretary Urban Development, GOB for timely implementation of Solid Waste Management Rule, 2016. (Meeting Minutes enclosed as Annexure-7). 3. Detailed instructions have given from Panchayati Raj Department to all DMs for proper management of solid wastes generated in rural areas in light of the Hon'ble NGT order vide letters dated-25.05.2019 & 12.06.2019 attached as Annexure-8. 4. The list of 03 selected Panchayats in each district is attached as Annexure-9.
Clause IV Para 32 (iii)	The remaining cities, towns and Village Panchayats of the State may be made fully compliant in respect of environmental norms within one year.	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste Management activity such as: source segregation, door to door collection, processing of wet and dry waste etc. which is being carried out in these six cities shall be replicated within one year in other towns and cities of the state. The detailed status of Solid Waste Management activity in these six cities is enclosed as Annexure-10. • Decision has been taken to ensure door to door collection and waste segregation in all Gram Panchayats of the State by 2nd October, 2019.
Clause IV Para 32 (iv)	A quarterly report be furnished by the Chief Secretary, every three months. First such report shall be	This report is part of compliance.

486 ~~14~~

	furnished by June 30, 2019.	
Clause IV Para 32 (v)	The Chief Secretary may personally monitor the progress, at least once in a month, with all the District Magistrates.	The Chief Secretary, GOB is regularly monitoring the progress and directions have been issued with timeline to all the District Magistrate for implementation of different Solid Waste Management activities in Urban Local Bodies. The detailed list of meetings held with District Magistrates through Video Conferencing (VC) by Chief Secretary on directions issued by Hon'ble NGT vide O.A. No-606/2018 is enclosed as Annexure-11 .
Clause IV Para 32 (vi)	The District Magistrates or other Officers may be imparted requisite training.	During Video Conferencing all the District Magistrates have been elaborated on different Solid Waste Management activities and also Urban Development & Housing Department issued guidelines and process flow to all the District Magistrates on door to door collection & transportation (vide letter no-1352 Dt: 28.05.2019) and processing & Disposal (vide letter no-1353 Dt: 28.05.2019) (enclosed as Annexure-12). These documents can also be used as ready reckoner for Solid Waste Management activity by all the District Magistrates.
Clause IV Para 32 (vii)	The District Magistrates may monitor the status of compliance of environmental norms, at least once in two weeks.	<ul style="list-style-type: none"> All the District Magistrates have been directed by Chief Secretary to review the Urban Local Bodies and ensure implementation of different provisions of Solid Waste Management and Plastic Waste Management in their respective ULBs. In this regard all the District Magistrates are reviewing the ULBs for timely implementation of SWM & PWM Rule, 2016. District Level Task Force under the Chairmanship of District Magistrate has been constituted vide Environment, Forest & Climate Change Department, GoB notification no. 378(E), dated-05.04.2019 (Annexure-13).
Clause IV Para 32 (viii)	Performance audit of functioning of all regulatory bodies may be got conducted and remedial measures be taken, within six months.	Central Pollution Control Board has conducted performance audit of Bihar State Pollution Control Board.
Clause IV Para 32 (ix)	System of ranking of cities, town and villages in the State based on level of compliance with environment laws may be developed. The system so developed may be	A system of ranking has been developed by UD & HD for all the ULBs and is placed on the departmental website. The detailed ranking system is enclosed as Annexure-14 .

4875

	<p>placed on the website of the State Government within two months from today. This process may be overseen by the Chief Secretary.</p>	
<p>Clause IV Para 32 (x)</p>	<p>Information, Education and Communication strategies may be reviewed and strengthened for community involvement, including education and religious or other organizations.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. To create awareness on Solid Waste Management in different Urban Local Bodies State level IEC Cell has been formed which is working in co-ordination with Information and Public Relation Department (IPRD), GOB to strengthen the community involvement including active participation. (Letter enclosed as Annexure-15). 2. To ensure massive IEC campaign throughout the ULBs of State, letters have been issued to IPRD vide letter no. 519 dt. 20.02.2019 & letter no. 1311 dt.22.05.2019 (copy enclosed as Annexure-16). <p>To ensure community involvement in Solid and Plastic Waste Management, different IEC activities have been carried out by UD & HD such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Programme was organized on World Environment Day (5th June, 2019) to inaugurate the door to door collection with Source segregation by Hon'ble Chief Minister of Bihar, Sri Nitish Kumar. b) Paper advertisements on source segregation, door to door collection, home composting etc. to aware the public on Solid Waste Management. c) Various radio jingles have been developed in coordination with IPRD dept. on door to door collection, source segregation, anti-littering, home composting etc. to aware the masse and involve them in various activities of solid waste management. Akashvani Patna and Various FM channel including Radio Mirchi, Big FM, Red FM, Radio City and Radio Dhamaal have been involved in this campaign. d) To aware the masses, the hoardings have been installed in various part of Cities about anti-littering, door to door collection, source segregation etc. in collaboration with IPRD Dept. e) ULBs have been instructed to involve the women Self Help Groups (SHGs) for door to door campaigning under Information, Education and Communication (IEC) activities to ensure segregation at source. f) Engagement of Social Media to promote segregation at source, door to door collection, anti-littering etc. The Photographs of Different IEC activities carried out is enclosed as Annexure-17.

488

Clause IV Para 32 (xi)	The Chief Secretary may remain present in person before the Tribunal with the status of compliance in respect of various issues mentioned in para 20 as well as any other issues discussed in the above order on 30.09.2019.	
------------------------------	--	--

**Compliance report (B) of the direction passed by the Hon'ble National
Green Tribunal, New Delhi, in OA No. 606/2018 dated 16.01.2019**

Sl. No	Compliance Condition	Current Status
Clause VII 39	Chief Secretary of the State to hold meeting and review the progress of all the issues.	<p align="center">Complying</p> <ul style="list-style-type: none"> Compliance status is available in Clause IV Para 32 (v) of the compliance report (A) of the Hon'ble NGT order dated-15.03.2019.
Clause VII 40 (a)	Status of Compliance of Solid Waste, Plastic Waste & Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.	<ul style="list-style-type: none"> Compliance status is available in Clause IV Para 32 (i) of the compliance report (A) of the Hon'ble NGT order dated-15.03.2019.
40 (b)	Status of functioning of Committees constituted by this order.	<ul style="list-style-type: none"> The 2nd meeting of the State Level Committee under the Chairmanship of the Hon'ble Justice (retd.) Sri Samarendar Pratap Singh, was held on 22.04.2019. The proceeding of the meeting is enclosed as Annexure-18. State Level Advisory Committee under Chairmanship of Chief Secretary, Bihar has been constituted vide Environment, Forest & Climate Change Department, GoB notification no. 689(E), dated-12.06.2019 for effective enforcement of environmental laws, environmental conservation and pollution control programme & co-ordination among different departments/agencies. (Annexure-19). District Level Task Force under the Chairmanship of District Magistrate has been constituted vide Environment, Forest & Climate Change Department, GoB notification no. 378(E), dated-05.04.2019 (Annexure-13).
40 (c)	Status of action Plan in compliance vide order dated 20.09.2018 in the News item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB (Original Application No. 673/2018).	<ul style="list-style-type: none"> In compliance of the Hon'ble NGT order, River Rejuvenation Committee (RRC) has been constituted by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide notification no. 1412(E), dated-31.12.2018. Out of 351 polluted river stretches those identified in the State of Bihar are river Sirisia at Raxaul (Priority-III), Parmar along Jogbani (Priority-V), Punpun at Fatuha (Priority-V), Ramrekha at Harinagar (Priority-V), Sikrahna at Narkatiaganj Priority-V) and Ganga (Priority-V). Action plan has been prepared by the RRC in consistence with the order of the Hon'ble NGT

490 8

		<p>and submitted to CPCB & NMCG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The 2nd meeting of RRC was held on 27.03.2019 and directions were given to concerned departments to implement the various activities of the action plan. Copy of proceeding is attached as Annexure-20. • Suggestions received from CPCB on action plan prepared by RRC have been incorporated and concerned agencies/departments have been requested for their comments on timelines for implementation. • To ensure effective management of sewerage water and to reduce the pollution load on river Ganga and other rivers several sewerage projects have been taken under "Namami Gange Programme" and other funding schemes. The status of sewerage projects is enclosed as Annexure-21.
<p>40 (d)</p>	<p>Status of functioning of Committees constituted in News Item Published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patna, Muzaffarpur & Gaya cities are listed in the list of 102 non-attainment cities of the country. Bihar State Pollution Control Board formulated city specific action plans for prevention and control of pollution in aforesaid cities. • In compliance with aforesaid order of the Hon'ble NGT dated-08.10.2018 the action plans for the aforesaid cities have been modified and submitted to CPCB. CPCB has directed to implement the city action plans on ground level with suggestion that timelines proposed be preponed through short term actions specially pertaining to transport and road dust management. • The meeting of the AQMC is regularly convened for implementation of the action plan. AQMC meeting was convened on 20.12.2018, 09.01.2019, 13.03.2019 & 22.05.2019. Proceeding of the AQMC held on 22.05.2019 is attached as Annexure-22. • Following initiatives have been taken recently for implementation of clean air action plan:- <ol style="list-style-type: none"> 1. In order to reduce the emission from brick kilns, Bihar State Pollution Control Board has directed all the brick kilns of the State to adopt and switch

		<p>over to cleaner technology by August, 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gas Authority of India Limited is in process of establishment of three CNG outlets for supply of cleaner fuel to vehicles at Patna under 'Energy Ganga Project'. Two outlets (IOCL retail outlet near Rukanpura & near Toll Plaza Bypass) at Patna have become operational. 3. Bihar State Pollution Control Board is in process of installation of additional 04 CAAQMS at Patna, 01 each at Darbhanga, Bhagalpur and additional 01 each at Muzaffarpur & Gaya. Tenders have been invited and is in process of technical evaluation. 4. Cleaning of roads through sweeping machine has started in Patna. Flanks along the roads in the town are being paved end-to-end.
40 (e)	Status of Action Plan with regard to identification of polluted industrial clusters in O.A. No. 1038/2018, News item published in "The Asian Age" Authored by Sanjay Kaw Titled "CPCB to rank industrial units on pollution levels" dated 13.12.2018.	<ul style="list-style-type: none"> • There is no any Critically Polluted Area (CPA) having Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI)>70 in the State of Bihar. • The desired information on Health Statistics & demarcation of boundaries/potential impact zone of Hajipur Industrial Area have been sought from the Health Department & BIADA respectively for submission to CPCB for CEPI calculation.
40 (f)	Status of the work in compliance of the directions passed in O.A. No. 173 of 2018, Sudarsan Das v. State of West Bengal & Ors. Order dated 04.09.2018.	<ul style="list-style-type: none"> • The mining activities in the State of Bihar are strictly carried out as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016. The sand ghats are settled as per the provisions of these guidelines only. Heavy machinery like suction pumps, earth movers and netting are not used in sand mining at any of the locations in the State. • The State is firmly dealing with incidents of illegal mining. During the previous financial year (01.4.2018 to 28.02.2019) raids have been conducted at 15668 locations under which 1916 F.I.Rs have been filed, 1730 arrests have been made, 17951 vehicles have been seized and a sum of Rs. 4004.27 lakh has been recovered as penalty in addition to Rs. 318.82 lakh as per Court orders. During the current financial year (01.04.2019 to 20.06.2019) a total of 558.57 lakh has been recovered as penalty. Details of action taken against illegal mining during last 3 months is annexed as Annexure 23.

40 (g)	Total amount collected from erring industries on the basis of 'Polluter Pays' principle, 'Precautionary principle' and details of utilization of funds collected.	<ul style="list-style-type: none"> • A total of Rs. 28,37,51000/- has been collected from 2103 brick kilns as environmental compensation in compliance of order of the Hon'ble NGT (Eastern Zone, Kolkata) in the matter of Joy Deep Mukherjee Vs State of Bihar & Anr O.A. No. 61/2015/EZ. • A total of 24 directions have been issued to industrial units under section 33A of the Water Act, 1974 which includes 04 directions, 18 proposed closure directions and 02 closure directions during last 06 months.
40 (h)	Status of the identification and development of Model cities and towns in the state in the first phase which can be replicated later for other cities and towns of the state.	Compliance status is available in Clause IV Para 32 (ii) of the compliance report (A) of the Hon'ble NGT order dated-15.03.2019.
42	The States will also display on their respective websites and the websites of the Pollution Control Boards/Committees the progress made on each of the above issues, consistent with directions in some of the earlier order, including the order dated 19.12.2018 in News item published in "The 26 Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB (Original Application No. 673/2018).	<ul style="list-style-type: none"> • Water quality of the polluted river stretches has been uploaded on BSPCB site (Environmental Monitoring Data). A separate website for River Rejuvenation Committee has been developed and all necessary information including action plan and water quality monitoring data of all polluted river stretches are being displayed. (http://forestonline.bih.nic.in/rrc/Background.aspx).
44	The Chief Secretaries of the State and the UTs may ensure that all the drains (big or small) are tapped with appropriate measures (wire nets etc.) and no municipal solid and plastic waste is allowed to reach our river systems, lakes, water bodies, ponds, marsh lands and wetlands etc.	<ul style="list-style-type: none"> • In 1st Phase installation of screen has been carried out in Nallas having outfalls in River Ganga. Installation of screens in other rivers will be carried out shortly. • There are 126 Nallas in 23 Ganga towns having outfall directly in river Ganga. • Out of 126 Nallas installation of screen has been completed in 83 Nallahs and installation of screen is in progress in 10 Nallahs. • Screen installation not required in 33 Nallas. The detailed status of screening activity in Nallas in

	<p>Action taken in compliance of the order dated 22.02.2017 of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Paryavaran Suraksha Samiti & Anr Vs Union of India & Ors (in writ petition (C) No. 375 of 2012).</p>	<p>enclosed as Annexure-24.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Board has identified a total of 226 Wastewater generating units, which includes a total of 56 Grossly Polluting Industries in the basin of Ganga and its tributaries. • Out of 226 units, 215 have functional Effluent Treatment Plants and 11 are without ETP. Board has issued Show cause notices to 07 units and Closure Directions to 3 units for operating without ETP. • Out of 215 units having functional ETP, 208 have been found complying with the standards and 07 have been found non-compliant. Show cause has been issued to all 07 non-compliant units. • The State is contemplating to have CETPs for the industrial areas: Fatuha (02 MLD) in Patna; Barari (01 MLD) in Bhagalpur; Hajipur (06 MLD) in Vaishali and Bela (05 MLD) in Muzaffarpur). Environmental Clearance (EC) has been accorded by SEIAA for aforesaid proposed CETPs in Bihar. Industries Department is trying for early setting up of aforesaid CETPs in Bihar. • Sewerage network and STPs are being developed under Namami Gange Project. In this programme 14 projects are ongoing, 14 projects are under tendering process and tender for 02 projects is to be floated. The detailed status is available at Annexure-21.
--	--	--

12
494

Annexure-1

**Urban Development & Housing Department
Government of Bihar**

**Implementation of Provisions under Rule 22 of Solid Waste Management
Rules, 2016**

Sl. No	Activity	Time frame for implementation as per Rule 22 of SWM Rule, 2016	Status till March, 2019	Steps taken and present status of Compliance of SWM Rules, 2016 (As on dt: 30.06.2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Identification of suitable sites for setting up solid waste processing facilities.	1 Year	Out of 141 ULBs, land has already been identified in 60 ULBs for setting up solid waste processing facilities.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Instruction has been issued to all the D.Ms to identify suitable sites for setting up solid waste processing facilities with target date of 15.04.2019. (Letter enclosed as annexure-1A). 2- UD & HD has developed land lease policy to ensure availability of decentralized solid waste processing sites in ULBs for 10 years. 3- As on date suitable sites have been identified for setting up solid waste processing facilities in 139 ULBs. Land identification in the rest 3 ULBs is under process and will be finalized in a week.
2.	Identification of suitable sites for setting up common regional sanitary landfill facilities for suitable clusters of local authorities under 0.5 million population and for setting up common regional sanitary landfill facilities or standalone sanitary landfill facilities by all local authorities	1 Year	Out of 141 ULBs, land has already been identified in 48 ULBs for setting up sanitary landfill facilities.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Instruction has been issued to all the D.Ms to identify suitable land for procurement or acquisition of land for Sanitary landfill facility with target date of 30.05.2019. (Letter enclosed as annexure-1A). 2- Instruction has also been issued to all the D.Ms by UD & HD to acquire land for sanitary landfill facility vide letter no. 936 dt. 02.04.2019 (Letter enclosed as annexure-1B). 3- Instruction has been issued to all the ULBs by UD & HD to procure land for sanitary landfill facility vide letter no. 1325 dt. 24.05.2019 (Letter enclosed as annexure-1C). 4- As on date suitable sites have been

495 ~~13~~

Annexure-1

	having a population of 0.5 million or more.			identified for setting up sanitary landfill facilities in 93 ULBs . Site identification is under process for the rest ULBs as per the above instructions in the matter.
3.	Procurement of suitable sites for setting up solid waste processing facility and sanitary landfill facilities.	2 Year	<p>1- Procurement of suitable sites for setting up Solid Waste Processing Facility has been done in 60 ULBs</p> <p>2- Procurement of suitable sites for setting up Sanitary Landfill Facility has been done in 48 ULBs.</p>	<p>1- UD & HD has developed land lease policy to ensure availability of decentralized solid waste processing sites in ULBs for 10 years.</p> <p>2- As on date suitable sites have been identified for setting up solid waste processing facilities in 139 ULBs. Land identification in the rest 2 ULBs is under process and will be finalized in a week.</p> <p>3- Instruction issued to all the ULBs by UD & HD to procure land for sanitary landfill facility vide letter no. 1325 dt. 24.05.2019 (Letter enclosed as annexure-1C).</p> <p>4- As on date suitable sites have been identified for setting up sanitary landfill facilities in 93 ULBs. Site identification is under process for the rest ULBs as per the above instructions in the matter.</p>
4.	Enforcing waste generators to practice segregation of bio-degradable, recyclable, combustible, sanitary waste domestic hazardous and inert solid wastes at source.	2 Year	Out of 3377 wards 624 (18%) wards have started segregation of waste at source.	<p>1- Instruction was issued to all the D.Ms to ensure segregation at source with target date of 15.07.2019. (Letter enclosed as annexure-1D).</p> <p>2- As on date segregation at source started in 44 ULBs (785 wards). The detail list is enclosed as annexure-1E.</p>
5.	Ensure door to door collection of segregated waste and its transportation in covered vehicles to processing or disposal facilities.	2 Year	Out of 3377 wards 2920 (86%) wards have been covered by Door to Door collection facilities of segregated waste and its transportation in covered vehicles to processing site.	<p>1- Instruction was issued to all the D.Ms to ensure 100% door to door collection and transportation in ULBs with target date of 30.06.2019. (Letter enclosed as annexure-1A).</p> <p>2- To ensure door to door collection and transportation in all the urban local bodies guideline have been</p>

Annexure-1

1496

			processing site.	issued vide letter no-1352 dt. 28.05.2019 (enclosed as annexure-1F) 3- As on date door to door collection started in 140 ULBs (3159 wards) . The detail list is enclosed as annexure-1G .
6.	Ensure Separate Storage, Collection and Transportation of Construction and Demolition Wastes (C & D wastes management).	2 Year	1- Draft " Policy of Construction and Demolition Waste Management " has already been approved and circulated to the concerned stakeholders for suggestion and feedback by 15 th March, 2019. 2- For establishment of C & D Waste Processing Facility in the state, Expression of Interest (EOI) has already been released by Patna Nagar Nigam . The dead line for EOI submission is 11.03.2019.	1- Model Expression of Interest (EOI) has been provided to all the Municipal Corporations vide letter no. 980 dt. 05.04.2019 for collection, transportation and establishment of waste processing facility for management of construction and demolition waste. 2- All the Municipal Corporations released Expression of Interest (EOI) for management of C & D waste and those who have received proposals are in the process of developing the RFP.
7.	Setting up solid waste processing facilities by all local bodies having 100000 or more population.	2 Year	1-There are 26 Urban Local Bodies in Bihar with population of 100000 or More . 2-Solid Waste Processing facilities are already Operational in 5 ULBs (Munger Nagar Nigam, Muzaffarpur Nagar Nigam, Gaya Nagar Nigam, Ara Nagar Nigam & Motihari Nagar Parishad).	1- Instruction was issued to all the D.Ms for construction of composting pits for management of wet waste and establishment of Material Recovery Facility (MRF) for management of dry waste with target date of 31.07.2019. 2- To ensure construction of composting pits model estimate have been provided to all the ULBs vide letter no-1195 dt. 03.05.2019. (Letter enclosed as annexure-1H). 3- Out of 26 Urban Local Bodies with population of 100000 or more solid waste processing facilities are operational in 6 ULBs (Muzaffarpur Nagar Nigam, Ara Nagar Nigam, Munger Nagar Nigam, Gaya Nagar Nigam,

Annexure-1

15 497

				Motihari Nagar Parishad & Buxar Nagar Parishad) and construction of composting pits with MRF facilities have started in 20 ULBs (Darbhanga, Begusarai, Purnia, Katihar, Danapur, Aurangabad, Jehanabad, Saharsa, Kishanganj, Bhagalpur, Jamalpur, Biharsharif, Sasaram, D.Dalmiya Nagar, Bettiah, Hajipur, Bagaha, Chhapra, Siwan Nagar parishad).
8.	Setting up solid waste processing facilities by local bodies and census towns below 100000 population.	3 Year	1-There are 115 Urban Local Bodies in Bihar with population Below 100000 2-Solid Waste Processing facilities are already operational in 5 ULBs (Supaul Nagar Parishad, Sheohar Nagar Panchyat, Barh Nagar Parishad, Rajgir Nagar Panchayat, Bodhgaya Nagar Panchayat	1- To ensure processing of solid waste in all the urban local bodies guideline have been issued vide letter no-1353 dt. 28.05.2019 (enclosed as annexure-11) . 2- Out of 115 ULBs with population below 100000 solid waste processing facilities are already operational in 5 ULBs (Supaul Nagar Parishad, Sheohar Nagar Panchayat, Rajgir Nagar Panchayat, Bihyan Nagar Panchayat & Bodhgaya Nagar Panchayat) and land identification with construction of composting pits with MRF facilities has started in the rest ULBs.
9.	Setting up common or Stand Alone sanitary landfills by or for all local bodies having 0.5 million or more population for the disposal of only such residual wastes from the processing facilities as well as untreatable inert wastes as permitted under the Rules.	3 Year	1-In Bihar, Patna Municipal Corporation is the only ULB which has population more than 0.5 million. 2-Sanitary Landfill Facilities has already been developed by Patna Municipal corporation at Ramchak Bairiya.	Landfill is already in use by Patna Municipal Corporation for disposal of inert waste.
10.	Setting up common or regional sanitary landfills by all	3 Year	Out of 140 ULBs having population under 0.5 million, land has already been	As on date Sanitary landfill sites available in 93 ULBs , and is in process of identification in the rest 47 ULBs .

498 ~~16~~

Annexure-1

	local bodies and census towns under 0.5 million population for the disposal of permitted waste under the rules.		identified in 47 ULBs for setting up Sanitary Landfills facility.	
11.	Bio-remediation or capping of old and abandoned dump sites.	5 Year	To ensure Bio-remediation and landfill capping in Urban Local Bodies, detail guidelines have been developed and placed in the "Solid waste Management Policy and Strategy" circulated by UDHD, and also directed to provide data on existing dump sites and accordingly further activity will be carried out.	EOI is being finalized for engagement of agencies for management of legacy waste.

Annexure-1A

संचिका सं. :-03/न्या.-14-18/2018

1018

/न0वि0एवंआ0वि0

499

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :-

माननीय NGT द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक-05.04.2019 को VC में दिये गये निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

पटना, दिनांक :- 11/4/19

गहाशय,

माननीय NGT नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 606/2018, दिनांक-15.03.2019 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक-05.04.2019 को सभी जिला पदाधिकारी के साथ VC के माध्यम से की गई बैठक में निम्नलिखित निदेश दिए गए थे, जिनको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराना कृपया सुनिश्चित किया जाय :-

क्र.सं.	दिये गये निदेश	अनुपालन की समय सीमा
1.	ढोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण हेतु सभी नगर निकायों द्वारा आवश्यक जमीन का आकलन करते हुए EOI का प्रकाशन किया जाना।	15.04.2019
2.	सेनेटरी लैंडफिल के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करते हुए नगर निकाय द्वारा Procurement/Acquisition हेतु भूमि चिन्हित करना।	30.05.2019
3.	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C & D Waste) के संग्रहण एवं निपटान हेतु सभी नगर निगमों द्वारा EOI का प्रकाशन। (Model EOI विभाग द्वारा प्रेषित है)	15.04.2019
4.	सभी नगर निकायों द्वारा शत प्रतिशत Door-to-Door कचड़ा का Collection and Transportation करना।	30.06.2019
5.	सभी नगर निकायों द्वारा ढोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गीले कचड़े के लिए कंपोस्ट पीट का निर्माण एवं सूखे कचड़े के लिए Material Recovery Centre का निर्माण करते हुए प्रसंस्करण कर कार्य प्रारंभ करना।	30.05.2019

विश्वासभाजन,

Dubal
(दीपक कुमार) 11/4/19

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापक :-03/न्या.-14-18/2018

1018

पटना, दिनांक- 11/4/19

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/नोडल पदाधिकारी SBM/Team Leader-SBM-PMU को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Sanjay
(संजय दयाल)
विशेष सचिव।

936

Annexure - 1B

18 500

संचिका सं. :-03/न्या.-14-18/2018

/नोवि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक :-

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश सं.-O.A. No.-606/2018, दिनांक-15.03.2019 के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि के अधिग्रहण करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक-610, दिनांक-26.02.2019 द्वारा सभी नगर निकायों में Landfill Site विकसित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भूमि चिन्हित करने का आदेश मुख्य सचिव के स्तर से दिया गया है। परन्तु कई नगर निकायों से सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना अब तक अप्राप्त है (संलग्न सूची के अनुसार)। पुनः यह निदेश दिया जाता है कि सभी नगर निकायों में सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा राज्य के वैसे शहरी निकायों में, जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाये, जिसका मापदंड निम्न है :-

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :- • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

रैयती भूमि चिन्हित करने के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के आलोक में भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाई अड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18)

501

~~19~~

उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा Sanitary Landfill विकसित करने के लिए 06 माह का समय-सीमा निर्धारित किया गया है एवं इस कार्य को आदेश आचार संहिता में भी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयोग के पत्रांक-2265, दिनांक-29.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है (पत्र संलग्न)। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भूअर्जन अधिनियम के आलोक में रैयती भूमि चिन्हित करते हुए संभावित राशि की गणना कर भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा भूमि की विवरणी के साथ गणना तालिका उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

₹0/-


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :- 03/न्या.-14-18/2018 - 936

पटना, दिनांक- 2/4/2019

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव, श्री संजय दयाल/नोडल पदाधिकारी SBM/Team Leader SBM-PMU के सूचनार्थ/एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2/4/2019
प्रधान सचिव।

संचिका सं. :-03/SBM01-03/2016

1325-

Annexure - 1C

/न०वि०एवंआ०वि०

~~20~~

502

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 24/5/19

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश सं.-O.A. No.-606/2018, दिनांक-15.03.2019 के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में नगर निकायों द्वारा भूमि क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि विभागीय संकल्प-5808, दिनांक-26.11.2015 द्वारा सभी नगर निकायों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-99 के आलोक में बाजार दर पर रैयती भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में संकल्प में वर्णित कंडिकाओं के अनुरूप भूमि का क्रय निम्नवत् मापदंड के अनुसार कर सकते हैं :-

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :- • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

भूमि क्रय करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के आलोक में भूमि भरण स्थल गंगा एवं इसकी शाखा नदी से 500 मीटर और अन्य नदियों से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाई अड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। Landfill Site की क्षमता 5 टन प्रति दिन से अधिक होने पर इसके लिए उपयोग में लायी जानी वाली भूमि अंतर्गत 'बफर जोन' (Buffer Zone) के निर्धारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से संपर्क करेंगे तथा इसका निर्धारण सुनिश्चित करें।

21 503
उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा Sanitary Landfill विकसित करने के लिए 06 माह के समय-सीमा निर्धारित किया गया है एवं इस कार्य को आदर्श आचार संहिता में भी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन विभाग के पत्रांक-2265, दिनांक-29.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है (प्रति संलग्न)।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वसनीय

24/5/2019

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

Annexure-1

पत्रांक-सं०सं०-03/न्या./14-18/2018 1648 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

22
504

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-28/6/19

विषय :- माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक-05.04.2019 को VC में दिये गये निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पूर्व में पत्रांक 1018 दिनांक 11.04.2019 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को माननीय NGT के न्यायालय द्वारा O.A. No. 606/2018 में दिनांक 15.03.2019 को पारित आदेश के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर निदेश दिये गये थे तथा अनुपालन हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी थी। सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को पूरी तरह से लागू करना है एवं इसके लिए दिनांक-30.06.2019 तक घर-घर से पृथक्कृत (segregated) कचरा संग्रहण प्रारंभ करना एवं दिनांक 31.07.2019 तक सभी नगर निकायों में गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण (processing) को प्रारंभ कर देना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रसंस्करण स्थल को चलाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका सभी नगर निकायों को पत्रांक-1353 दिनांक-28.05.2019 द्वारा दिया गया है। उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी नगर निकायों को आवश्यक सरचना, equipment, स्वयं सहायता समूहों एवं मानव बल उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाना है। पूर्व निर्धारित समय सीमा के अतिरिक्त निम्न तालिका में अंकित समय सीमा का भी अनुपालन किया जाए :-

2. इस क्रम में निम्नलिखित कार्यवाई आवश्यक है :-

क्र.सं.	कार्य की विवरणी	अनुपालन की समय सीमा
1	2	3
	A. कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source) एवं घर-घर से Segregated कचरे का संग्रहण	
1.	(a) जिन निकायों द्वारा पूर्व में household bins नहीं दिया गया है, उन्हें CieM के माध्यम से household bins क्रय कर प्रत्येक घर में 02 अदद (01 हरा एवं 01 नीला) उपलब्ध कराना।	दिनांक-15.07.2019
	(b) सभी घरों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHGs) के माध्यम से जागरूकता फैलाकर घर में ही सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग segregation at source सुनिश्चित करना।	
	(c) सभी नगर निकायों में शत-प्रतिशत segregated कचरा का collection एवं transportation सुनिश्चित करना।	

3. अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपने स्तर से नगर निकायों की शीघ्र समीक्षा बैठक की जाय तथा उक्त का अनुपालन समय सीमा के अंदर करने की कृपा की जाय। इस कार्य का VC के माध्यम से मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की जाएगी।

विश्वामाजिन,

28/6/2019
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

(22)

ज्ञापांक-03/न्या./14-18/2018 1648

न०वि०एव०आ०वि०/पटना, दिनांक 28/6/19

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, SBM/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ Team Leader, SBM-PMU/Team Leader. NJLM का सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2015

Prधान सचिव ।

Annexure - 1E

506 ~~21~~

Urban Development & Housing Dept., Govt. of Bihar				
No. of Wards with segregation at source under Solid Waste Management				
Sl. No	Name of District	Name of the ULB	Total No. of Wards	No. of Wards started Segregation at source
1	2	3	15	22
Darbhanga Division				
1	Darbhanga	Darbhanga Nagar Nigam	48	0
2		Benipur Nagar Parishad	29	0
Sub Total			77	0
3	Madhubani	Madhubani Nagar Parishad	30	0
4		Jhanjharpur Nagar Panchayat	16	16
5		Jainagar Nagar Panchayat	14	0
6		Ghoghardiha Nagar Panchayat	11	0
Sub Total			71	16
7	Samastipur	Samastipur Nagar Parishad	29	0
8		Rosera Nagar Panchayat	18	0
9		Dalsingsarai Nagar Panchayat	14	0
Sub Total			61	0
Total			209	16
Magadh Division				
10	Gaya	Gaya Nagar Nigam	53	53
11		Sherghati Nagar Panchayat	20	0
12		Tekari Nagar Panchayat	13	13
13		Bodhgaya Nagar Panchayat	19	19

(24)

25
507

Sub-Total			105	85
14	Aurangabad	Aurangabad Nagar Parishad	33	0
15		Daudnagar Nagar Parishad	23	23
16		Rafiganj Nagar Panchayat	16	0
17		Navinagar Nagar Panchayat	14	0
Sub Total			86	23
18	Nawada	Nawada Nagar Parishad	33	0
19		Warsaliganj Nagar Panchayat	20	0
20		Hisua Nagar Panchayat	17	0
Sub Total			70	0
21	Jehanabad	Jehanabad Nagar Parishad	33	0
22		Makhdumpur Nagar Panchayat	19	0
Total			52	0
23	Arwal	Arwal Nagar Parishad	25	0
Sub Total			25	0
Total			338	108
Koshi Division				
24	Saharsa	Saharsa Nagar Parishad	40	0
25		Simri Bakhtiyarpur Nagar Panchayat	15	0
Sub Total			55	0
26	Supaul	Supaul Nagar Parishad	28	28
27		Nirmali Nagar Panchayat	12	12
28		Birpur Nagar Panchayat	13	0
Sub Total			53	40
29	Madhepura	Madhepura Nagar Parishad	26	0
30		Murliganj Nagar Panchayat	15	15
Sub Total			41	15

(25)

26
508

Total			149	55
Purnia Division				
31	Purnia	Purnia Nagar Nigam	46	31
32		Kasba Nagar Panchayat	17	7
33		Banmankhi Nagar Panchayat	17	11
Sub Total			80	49
34	Katihar	Katihar Nagar Nigam	45	0
35		Manihari Nagar Panchayat	15	5
36		Barsoi Nagar Panchayat	17	0
Sub Total			77	5
37	Araria	Araria Nagar Parishad	29	29
38		Farbisganj Nagar Parishad	25	13
39		Jogbani Nagar Panchayat	19	19
Sub Total			73	61
40	Kishanganj	Kishanganj Nagar Parishad	34	34
41		Bahadurganj Nagar Panchayat	18	0
42		Thakurganj Nagar Panchayat	12	0
Sub Total			64	34
Total			294	149
Munger Division				
43	Begusarai	Begusarai Nagar Nigam	45	0
44		Bihat Nagar Parishad	30	0
45		Teghra Nagar Panchayat	25	0
46		Baliya Nagar Panchayat	24	0
47		Bakhri Nagar Panchayat	20	0
Sub Total			144	0
48		Munger Nagar Nigam	45	40

(26)

~~27~~ 509

49	Munger	Jamalpur Nagar Parishad	36	0
50		Haveli Kharagpur Nagar Panchayat	18	0
Sub Total			99	40
51	Lakhisarai	Lakhisarai Nagar Parishad	33	7
52		Barahiya Nagar Panchayat	24	0
Sub Total			57	7
53	Jamui	Jamui Nagar Parishad	30	30
54		Jhajha Nagar Panchayat	22	0
Sub Total			52	30
55	Sheikhpura	Sheikhpura Nagar Parishad	27	0
56		Barbigha Nagar Parishad	26	0
Sub Total			53	0
57	Khagaria	Khagaria Nagar Parishad	26	20
58		Gogri jamalpur Nagar Panchayat	20	0
Sub Total			46	20
Total			451	97
Bhagalpur Division				
59	Bhagalpur	Bhagalpur Nagar Nigam	51	42
60		Sultanganj Nagar Parishad	25	0
61		Naugachiya Nagar Panchayat	23	0
62		Kahalgaon Nagar Panchayat	17	0
Sub Total			116	42
63	Banka	Banka Nagar Parishad	22	0
64		Amarpur Nagar Panchayat	14	0
Sub Total			36	0
Total			152	42
Patna Division				
65		Patna Nagar Nigam	75	0

(27)

28
510

66	Patna	Barh Nagar Parishad	27	0
67		Danapur Nagar Parishad	40	0
68		Phulwarisharif Nagar Parishad	28	0
69		Mokama Nagar Parishad	28	0
70		Masaurhi Nagar Parishad	26	0
71		Khagaul Nagar Parishad	27	0
72		Bakhtiyarpur Nagar Parishad	27	0
73		Fatuha Nagar Parishad	27	0
74		Maner Nagar Panchayat	19	0
75		Naubatpur Nagar Panchayat	15	0
76		Bikram Nagar Panchayat	14	0
77	Khusrupur Nagar Panchayat	10	0	
Sub Total			363	0
78	Nalanda	Biharsharif Nagar Nigam	46	0
79		Hilsa Nagar Parishad	26	0
80		Rajgir Nagar Panchayat	19	2
81		Islampur Nagar Panchayat	19	0
82		Silao Nagar Panchayat	14	0
83		Harnaut Nagar Panchayat		
Sub Total			124	2
84		D. Dalmiyanagar Nagar parishad	39	0
85		Sasaram Nagar Parishad	40	0
86		Bikramganj Nagar Panchayat	27	0

(28)

29 511

87	Rohtas	Nokha Nagar Panchayat	15	0
88		Nasriganj Nagar Panchayat	14	0
89		Koath Nagar Panchayat	12	0
90		Kochas Nagar Panchayat	16	0
Sub Total			163	0
91	Bhojpur	Ara Nagar Nigam	45	0
92		Piro Nagar Panchayat	17	0
93		Jagdishpur Nagar Panchayat	18	0
94		Bihiyan Nagar Panchayat	14	0
95		Sahpur Nagar Panchayat	11	0
96		Koilwar Nagar Panchayat	14	0
Sub Total			119	0
97	Buxar	Buxar Nagar Parishad	34	0
98		Dumraon Nagar Parishad	26	0
Sub Total			60	0
99	Kaimur	Bhabhua Nagar Parishad	25	25
100		Mohaniya Nagar Panchayat	16	16
Sub Total			41	41
Total			870	43
Tirhut Division				
101	Muzaffarpur	Muzaffarpur Nagar Nigam	49	49
102		Kanti Nagar Panchayat	14	12
103		Motipur Nagar Panchayat	15	10
104		Sahebganj Nagar Panchayat	13	0
Sub Total			91	71
105		Motihari Nagar Parishad	38	28

(29)

106	Purbi Champaran	Raxaul Nagar Parishad	25	0
107		Dhaka Nagar Parishad	25	0
108		Sugauli Nagar Panchayat	20	10
109		Pakridayal Nagar Panchayat	15	6
110		Areraj Nagar Panchayat	14	0
111		Mehsi Nagar Panchayat	15	5
112		Chakiya Nagar Panchayat	12	10
113		Kesariya Nagar Panchayat	11	0
Sub Total			175	59
114	Paschimi Champaran	Bettiah Nagar Parishad	39	0
115		Bagaha Nagar Parishad	35	24
116		Narkatiyaganj Nagar Parishad	25	2
117		Ramnagar Nagar Panchayat	23	0
118		Chanpatiya Nagar Panchayat	15	0
Sub Total			137	26
119	Vaishali	Hajipur Nagar Parishad	39	0
120		Lalganj Nagar Panchayat	19	0
121		Mahnar Nagar Parishad	23	0
122		Mahua Nagar Panchayat	16	0
Sub Total			97	0
123	Sitamarhi	Sitamarhi Nagar Parishad	28	28
124		Bairginiya Nagar Panchayat	21	0
125		Belsand Nagar Panchayat	13	0
126		Dumra Nagar Panchayat	11	0

513

127		Janakpur Road Nagar Panchayat	11	0
Sub Total			84	28
128	Sheohar	Sheohar Nagar Panchayat	15	0
Sub Total			15	0
Total			599	184
Saran Division				
129	Saran	Chhapra Nagar Nigam	45	0
130		Rivilganj Nagar Panchayat	21	0
131		Sonpur Nagar Panchayat	21	18
132		Parsa Bazar Nagar Panchayat	22	18
133		Dighwara Nagar Panchayat	18	0
134		Marhaura Nagar panchayat	16	12
135		Ekmabazar Nagar Panchayat	19	0
Sub Total			162	48
136	Siwan	Siwan Nagar Parishad	38	0
137		Maharajganj Nagar Panchayat	14	14
138		Mairwan Nagar Panchayat	13	12
Sub Total			65	26
139	Gopalganj	Gopalganj Nagar Parishad	28	14
140		Barauli Nagar panchayat	21	0
141		Kataiya Nagar Panchayat	13	3
142		Mirganj Nagar Panchayat	16	0
Sub Total			78	17
Total			305	91
Grand Total			3367	785

(31)

Annexure-1F

सचिका सं. :-03/SBM-01-13/2016

/न0वि0एवंआ0वि0

1352
बिहार सरकार

33
514

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 28/5/19

विषय :-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के संग्रहण (Door to Door Collection) एवं परिवहन (Transportation) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के पृथक्कीकरण, संग्रहण एवं परिवहन कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासजीजन,

28/5/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

515



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहण

**(Door to Door Collection &
Transportation)**

हेतु नगर निकायों के लिए

मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

(33)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door-to-Door Collection एवं Transportation के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.606/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन के लिए निम्नलिखित कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)
 2. घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)
1. **स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)**
 - 1.1 घर-घर से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु सभी नगर निकायों को प्रत्येक घर में एक-एक नीला एवं हरा डस्टबीन देना होगा, जहाँ नहीं दिया गया है। नीला डस्टबीन में सूखा कचरा (अजैविक) एवं हरा डस्टबीन में गिला कचरा (जैविक) रखने के लिए सारे नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
 - 1.2 ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु घरों में दिये जाने वाले नीला एवं हरा डस्टबीन का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - 1.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे के पृथक्कीकरण संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जा सकता है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं की सहायता ली जा सकती है। जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण को इन महिलाओं द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। SHG की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-A संलग्न की गई है।
 - 1.4 Door to Door Campaigning हेतु नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो (कुल चार SHG महिलाएँ) समूह एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
 2. **घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)**
 - 2.1 सभी नगर निकायों को पृथक्कीकृत ठोस अपशिष्ट को घर-घर से संग्रहण कर प्रसंस्करण हेतु विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर भेजना सुनिश्चित करना होगा।

517
35

- 2.2 सभी नगर निकायों को घर-घर से ठोस अपशिष्ट (जैविक एवं अजैविक) संग्रहण एवं परिवहन हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर को जैविक एवं अजैविक ठोस अपशिष्ट की पहचान कर अलग-अलग संग्रहण करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.3 घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर वार्ड की आबादी के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
- 2.4 पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण हेतु व्यवहार किये जाने वाले गाड़ियों यथा : ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर आदि को गीला एवं सूखा कचरे का संग्रहण हेतु दो भागों में (Compartment) बांटना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.5 सभी नगर निकायों को अपने वार्ड अंतर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहणकर्ता, ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.6 जहाँ ऑटो-टीपर की आवश्यकता है, वहाँ नगर निकाय को हर 1000-1500 घरों के लिए हर दिन ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु एक ऑटो-टीपर के साथ एक चालक एवं एक अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को रखना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.7 ठोस अपशिष्ट संग्रहण का कार्य प्रत्येक दिन सुबह 06:00 से 09:00 बजे तक सभी घरों में एवं सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में 10:00 से 12:00 बजे तक करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.8 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्रान्तर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए आवश्यक गाड़ियों/उपकरणों में, जो कमी हो उसका मूल्यांकन कर GeM Portal के माध्यम से क्रय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.9 सभी नगर निकाय घर-घर से पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण नियमानुसार Out Sourcing Agency/निकाय स्वयं/स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से कराया जा सकता है। जिन वार्डों में Outsourcing Agency अथवा निकाय स्वयं ठोस अपशिष्ट संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अविलंब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया जाये। NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को इस कार्य में नियोजित किया जाये।
- 2.10 Long term में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से यह कार्य भी कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 2.11 सभी नगर निकायों को अपशिष्ट संग्रहण में लगे गाड़ियों की मार्ग-चिह्नित करना होगा। सभी सफाई कर्मचारियों की कार्य-सूची वार्ड के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.12 सभी नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा की सभी गाड़ियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य (कितना अपशिष्ट संग्रह हुआ एवं कितना अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए गया) प्रतिदिन दैनिक-पंजी में भरा जा रहा है।
- 2.13 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर उपलब्ध ठोस अपशिष्ट को प्रतिदिन गाड़ियों द्वारा उठाकर प्रसंस्करण एवं निपटान कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ सभी नगर निकाय समयांतराल में आवश्यकतानुसार घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर रखे गए Community Bins को हटा लेना सुनिश्चित करें ताकि शहर को Dustbin free बनाया जा सके।

(35)

ANNEXURE-A

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	Door to Door Campaigning	<ol style="list-style-type: none"> 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण (Segregation at Source) करने संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जाना है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सम्मिलित किया जाय एवं इनके द्वारा सभी वार्डों के घर-घर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जाकर Source पर ही कचरे को पृथक्कीकृत करने संबंधित जानकारी, जिसमें उपलब्ध कराये गये Household Dustbin हरे रंग में गीला कचरा एवं नीले रंग में सूखे कचरे रखने को कहा जायेगा। 2. इनके द्वारा वार्ड के सभी लोगों को सूखा कचरा एवं गीले कचरे में अंतर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी 3. जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण भी इन्हीं स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा करवाया जा सकता है। 4. Door to Door Campaigning एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री तैयार कर समय-समय पर सभी नगर निकायों को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे SHG महिलाओं द्वारा उनके निर्धारित वार्ड में IEC हेतु प्रयोग किया जायेगा। 	नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो समूहों (चार SHG महिलाएँ) एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
2.	Door to Door Collection	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर निकाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। 2. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को Tricycle के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे। 3. स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ घर-घर से गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग संग्रहण एवं परिवहन कर प्रसंस्करण स्थल तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। 	घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय प्रति Tricycle पर दो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियोजित कर सकते हैं।


Capacity Building

उपरोक्त कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।

पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र (Solid Waste Management Process Flow-sheet)



**Urban Development & Housing Dept.,
Govt. of Bihar**

**No. of Wards with door to door collection under Solid Waste
Management**

Sl. No	Name of District	Name of the ULB	Total No. of Wards	No. of Wards with Door to Door Collection
1	2	3	15	16
Darbhanga Division				
1	Darbhanga	Darbhanga Nagar Nigam	48	48
2		Benipur Nagar Parishad	29	29
Sub Total			77	77
3	Madhubani	Madhubani Nagar Parishad	30	30
4		Jhanjharpur Nagar Panchayat	16	16
5		Jainagar Nagar Panchayat	14	14
6		Ghoghardiha Nagar Panchayat	11	11
Sub Total			71	71
7	Samastipur	Samastipur Nagar Parishad	29	29
8		Rosera Nagar Panchayat	18	18
9		Dalsinghsarai Nagar Panchayat	14	14
Sub Total			61	61
Total			209	209
Magadh Division				
10	Gaya	Gaya Nagar Nigam	53	53
11		Sherghati Nagar Panchayat	20	12
12		Tekari Nagar Panchayat	13	13
13		Bodhgaya Nagar Panchayat	19	19
Sub-Total			105	97
14	Aurangabad	Aurangabad Nagar Parishad	33	33
15		Daudnagar Nagar Parishad	23	23
16		Rafiganj Nagar Panchayat	16	16

521
39

17		Navinagar Nagar Panchayat	14	14
Sub Total			86	86
18	Nawada	Nawada Nagar Parishad	33	33
19		Warsaliganj Nagar Panchayat	20	20
20		Hisua Nagar Panchayat	17	17
Sub Total			70	70
21	Jehanabad	Jehanabad Nagar Parishad	33	33
22		Makhdumpur Nagar Panchayat	19	19
Total			52	52
23	Arwal	Arwal Nagar Parishad	25	25
Sub Total			25	25
Total			338	330
Koshi Division				
24	Saharsa	Saharsa Nagar Parishad	40	20
25		Simri Bakhtiyarpur Nagar Panchayat	15	15
Sub Total			55	35
26	Supaul	Supaul Nagar Parishad	28	28
27		Nirmali Nagar Panchayat	12	12
28		Birpur Nagar Panchayat	13	13
Sub Total			53	53
29	Madhepura	Madhepura Nagar Parishad	26	26
30		Murliganj Nagar Panchayat	15	15
Sub Total			41	41
Total			149	129
Purnia Division				
31	Purnia	Purnia Nagar Nigam	46	46
32		Kasba Nagar Panchayat	17	7
33		Benmankhi Nagar Panchayat	17	17
Sub Total			80	70
34	Katihar	Katihar Nagar Nigam	45	40
35		Manihari Nagar Panchayat	15	15
36		Barsoi Nagar Panchayat	17	0
Sub Total			77	55
37	Araria	Araria Nagar Parishad	29	29
38		Farbisganj Nagar Parishad	25	13
39		Jogbani Nagar Panchayat	19	19

522

Sub Total			73	61
40	Kishanganj	Kishanganj Nagar Parishad	34	34
41		Bahadurganj Nagar Panchayat	18	18
42		Thakurganj Nagar Panchayat	12	12
Sub Total			64	64
Total			294	250
Munger Division				
43	Begusarai	Begusarai Nagar Nigam	45	24
44		Bihat Nagar Parishad	30	30
45		Teghra Nagar Panchayat	25	25
46		Baliya Nagar Panchayat	24	24
47		Bakhri Nagar Panchayat	20	20
Sub Total			144	123
48	Munger	Munger Nagar Nigam	45	45
49		Jamalpur Nagar Parishad	36	36
50		Haveli Kharagpur Nagar Panchayat	18	18
Sub Total			99	99
51	Lakhisarai	Lakhisarai Nagar Parishad	33	33
52		Barahiya Nagar Panchayat	24	15
Sub Total			57	48
53	Jamui	Jamui Nagar Parishad	30	30
54		Jhajha Nagar Panchayat	22	22
Sub Total			52	52
55	Sheikhpura	Sheikhpura Nagar Parishad	27	27
56		Barbigaha Nagar Parishad	26	26
Sub Total			53	53
57	Khagaria	Khagaria Nagar Parishad	26	26
58		Gogri Jamalpur Nagar Panchayat	20	20
Sub Total			46	46
Total			451	421
Bhagalpur Division				
59	Bhagalpur	Bhagalpur Nagar Nigam	51	51
60		Sultanganj Nagar Parishad	25	25
61		Naugachiya Nagar Panchayat	23	10
62		Kahalgaon Nagar Panchayat	17	17

(40)

523

Sub Total		116	103
63	Banka	Banka Nagar Parishad	22
64		Amarpur Nagar Panchayat	14
Sub Total		36	36
Total		152	139
Patna Division			
65	Patna	Patna Nagar Nigam	75
66		Barh Nagar Parishad	27
67		Danapur Nagar Parishad	40
68		Phulwarisharif Nagar Parishad	28
69		Mokama Nagar Parishad	28
70		Masaurhi Nagar Parishad	26
71		Khagaul Nagar Parishad	27
72		Bakhtiyarpur Nagar Parishad	27
73		Fatuha Nagar Parishad	27
74		Maner Nagar Panchayat	19
75		Naubatpur Nagar Panchayat	15
76		Bikram Nagar Panchayat	14
77		Khusrupur Nagar Panchayat	10
Sub Total		363	341
78	Nalanda	Biharsharif Nagar Nigam	46
79		Hilsa Nagar Parishad	26
80		Rajgir Nagar Panchayat	19
81		Islampur Nagar Panchayat	19
82		Silao Nagar Panchayat	14
83		Harnaut Nagar Panchayat	
Sub Total		124	124
84	Rohtas	D. Dalmiyanagar Nagar parishad	39
85		Sasaram Nagar Parishad	40
86		Bikramganj Nagar Panchayat	27
87		Nokha Nagar Panchayat	15
88		Nasriganj Nagar Panchayat	14
89		Koath Nagar Panchayat	12

524

90		Kochas Nagar Panchayat	16	16
Sub Total			163	163
91	Bhojpur	Ara Nagar Nigam	45	45
92		Piro Nagar Panchayat	17	5
93		Jagdishpur Nagar Panchayat	18	18
94		Bihiyan Nagar Panchayat	14	14
95		Sahpur Nagar Panchayat	11	11
96		Koilwar Nagar Panchayat	14	14
Sub Total			119	107
97	Buxar	Buxar Nagar Parishad	34	34
98		Dumraon Nagar Parishad	26	26
Sub Total			60	60
99	Kaimur	Bhabhua Nagar Parishad	25	25
100		Mohaniya Nagar Panchayat	16	16
Sub Total			41	41
Total			870	836
Tirhut Division				
101	Muzaffarpur	Muzaffarpur Nagar Nigam	49	49
102		Kanti Nagar Panchayat	14	14
103		Motipur Nagar Panchayat	15	10
104		Sahebganj Nagar Panchayat	13	13
Sub Total			91	86
105	Purbi Champaran	Motihari Nagar Parishad	38	38
106		Raxaul Nagar Parishad	25	25
107		Dhaka Nagar Parishad	25	25
108		Sugauli Nagar Panchayat	20	20
109		Pakridayal Nagar Panchayat	15	15
110		Areraj Nagar Panchayat	14	14
111		Mehsi Nagar Panchayat	15	15
112		Chakiya Nagar Panchayat	12	12
113		Kesariya Nagar Panchayat	11	11
Sub Total			175	175
114		Bettiah Nagar Parishad	39	39

(42)

525

48

115	Paschimi Champaran	Bagaha Nagar Parishad	35	35
116		Narkatiyaganj Nagar Parishad	25	25
117		Ramnagar Nagar Panchayat	23	23
118		Chanpatiya Nagar Panchayat	15	15
Sub Total			137	137
119	Vaishali	Hajipur Nagar Parishad	39	39
120		Lalganj Nagar Panchayat	19	19
121		Mahnar Nagar Parishad	23	23
122		Mahua Nagar Panchayat	16	16
Sub Total			97	97
123	Sitamarhi	Sitamarhi Nagar Parishad	28	28
124		Bairginiya Nagar Panchayat	21	21
125		Belsand Nagar Panchayat	13	8
126		Dumra Nagar Panchayat	11	11
127		Janakpur Road Nagar Panchayat	11	7
Sub Total			84	75
128	Sheohar	Sheohar Nagar Panchayat	15	15
Sub Total			15	15
Total			599	585
Saran Division				
129	Saran	Chhapra Nagar Nigam	45	0
130		Rivilganj Nagar Panchayat	21	21
131		Sonpur Nagar Panchayat	21	21
132		Parsa Bazar Nagar Panchayat	22	22
133		Dighwara Nagar Panchayat	18	18
134		Marhaura Nagar panchayat	16	16
135		Ekmabazar Nagar Panchayat	19	19
Sub Total			162	117
136	Siwan	Siwan Nagar Parishad	38	38
137		Maharajganj Nagar Panchayat	14	14
138		Mairwan Nagar Panchayat	13	13
Sub Total			65	65

1/10

526

139	Gopalganj	Gopalganj Nagar Parishad	28	28
140		Barauli Nagar panchayat	21	21
141		Kataiya Nagar Panchayat	13	13
142		Mirganj Nagar Panchayat	16	16
Sub Total			78	78
Total			305	260
Grand Total			3367	3159

Annexure - 1H

पत्रांक-03/SBM-01-07/2019 1195 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

527

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत।

दिनांक-02.03.2019

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कम्पोस्ट पीट आदि के निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन एवं क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-664 दिनांक-02.03.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-04 दिनांक-06.04.19 द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में विकेन्द्रीकृत रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गई है। उक्त कार्य हेतु विकेन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (Compost Pit) के लिए 3000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के भूखण्ड की आवश्यकता आकलित की गई है।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गीला कचरा एवं सूखा कचरा को अलग करते हुए गीला कचरा से जैविक खाद बनाया जाना है। साथ ही सूखे कचरे का भी विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए निस्तारण किया जाना है।

3. इस प्रकार के विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन (Compost Pit) हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार कर भेजा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अलग-अलग नगर निकायों में भूमि की उपलब्धता मानक से कम भी हो सकती है तथा भूमि का Shape भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं। अतः नगर निकाय तदनुसूचित मॉडल प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों को संशोधित कर सकते हैं।

4. मॉडल प्राक्कलन के साथ संलग्न नक्शे में कतिपय भाग भविष्य में अन्य अवयवों के विस्तार के लिए छोड़ा गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि छोड़े जाने वाले भाग में तत्काल किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाय।

5. विदित हो कि उक्त कार्रवाई माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा OA. NO-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के अनुसार 06 माह में पूर्ण किया जाना है। इन कार्यों हेतु आदर्श आचार संहिता के शिथिलीकरण का आदेश निर्वाचन विभाग के पत्रांक-2265 दिनांक-29.03.2019 द्वारा संसूचित है। तदनुसार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु विभागीय रूप से कार्य कराया जाय।

6. उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र (प्रति संलग्न) की कंडिका 4 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से भी विभागीय रूप से कम्पोस्ट पीट का क्रियान्वयन कराया जाय एवं इस संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-2574 दिनांक-09.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

तदनुसार इसे शीघ्र प्राथमिकता दिया जाय।

(45)

विश्वासभाजन,
315/19
(संजय दयाल)
विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

528

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत।

दिनांक-

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कम्पोस्ट पीट आदि के निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन एवं क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-664 दिनांक-02.03.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-04 दिनांक-06.04.19 द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में विकेन्द्रीकृत रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गई है। उक्त कार्य हेतु विकेन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (Compost Pit) के लिए 3000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के भूखण्ड की आवश्यकता आकलित की गई है।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गीला कचरा एवं सूखा कचरा को अलग करते हुए गीला कचरा से जैविक खाद बनाया जाना है। साथ ही सूखे कचरे का भी विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए निस्तारण किया जाना है।

3. इस प्रकार के विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन (Compost Pit) हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार कर भेजा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अलग-अलग नगर निकायों में भूमि की उपलब्धता मानक से कम भी हो सकती है तथा भूमि का Shape भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं। अतः नगर निकाय तदनुरूप मॉडल प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों को संशोधित कर सकते हैं।

4. मॉडल प्राक्कलन के साथ संलग्न नक्शे में कतिपय भाग भविष्य में अन्य अवयवों के विस्तार के लिए छोड़ा गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि छोड़े जाने वाले भाग में तत्काल किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाय।

5. विदित हो कि उक्त कार्रवाई माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा OA. NO-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के अनुसार 06 माह में पूर्ण किया जाना है। इन कार्यों हेतु आदर्श आचार संहिता के शिथिलीकरण का आदेश निर्वाचन विभाग के पत्रांक-2265 दिनांक-29.03.2019 द्वारा संसूचित है। तदनुसार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु विभागीय रूप से कार्य कराया जाय।

6. उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र (प्रति संलग्न) की कंडिका 4 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से भी विभागीय रूप से कम्पोस्ट पीट का क्रियान्वयन कराया जाय एवं इस संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-2574 दिनांक-09.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

तदनुसार इसे शीघ्र प्राथमिकता दिया जाय।

(46)

विश्वासभाजन,
ह०/-
(संजय दयाल)
विशेष सचिव।

529



ज्ञापांक-03/SBM-01-07/2019


1195

पटना/दिनांक-03.01.19

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बुडको को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया विभागीय पत्रांक-664 दिनांक-02.03.2019 की कंडिका-4 के आलोक में अपने सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को नगर निकायों में कम्पोस्टपीट का निर्माण मॉडल प्राक्कलन के अनुसार शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।


3/1/19
विशेष सचिव।

(47)

530
48

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT

MODEL ESTIMATE FOR ठोस कचरा प्रबंधन हेतु गीला कचरा एवं सूखा कचरा का निष्पादन हेतु 3000 वर्गफीट में तत्काल 20 अद्द Compost Pit, Shredding Platform, Seiveing Machine cum Bagging Platform, Dry waste Platform का निर्माण कार्य।

ESTIMATED COST - 6,31,200/-

प्राक्कलन प्रतिवेदन

ठोस कचरा प्रबंधन हेतु गीला कचरा एवं सूखा कचरा का निष्पादन हेतु 3000 वर्गफीट में तत्काल 20 अद्द Compost Pit, Shredding Platform, Seiveing Machine cum Bagging Platform, Dry waste Platform का निर्माण कराया जाना है।

गीला कचरा से कम्पोस्टिंग प्रक्रिया से जैविक खाद (Bio Fertilizer) बनाया जाना है, जिसके लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन में मुख्यतः निम्न अवयवों का प्रावधान है।

Compost Pit 6'-6" x 4'-6" x 4' का Honey Comb Brick Work 10/11.4 cm thick with bricks of class designation 100A in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) का प्रावधान किया गया है।

Foundation में 10" चौड़ाई में 3" Local Sand Sand filling के उपर B/F/S के उपर 4" thick P.C.C का प्रावधान किया गया है। उसके उपर 4' height तक Honey Comb Brick work का प्रावधान किया गया है। सबसे उपर 3" thick RC.C (1:2:4) Band का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक Pit में 1'-6" wide gate के लिए खुला रखा गया है। सभी Pit में Local sand filling के उपर Brick Flat Soling का प्रावधान किया गया है।

Shed के लिए, 50mm dia का M.S Post (50mm OD) के उपर 50mm dia का Rafter एवं 40 mm dia का purline का प्रावधान करते हुए उपर से 0.8 mm thick corrugated G.I sheet के shed का प्रावधान किया गया है।

Shed का स्लोप बाहर की ओर रखा गया है। Sheet के उपर तीन स्थान पर 40mm x 6mm का wind tie का प्रावधान किया गया है।

सभी Platform में Local sand filling के उपर brick flat soling के उपर 40mm thick cement concrete flooring का प्रावधान किया गया है।

Electrical एवं PHE connections के लिए एकमुश्त 10% राशि का प्रावधान किया गया है।

मॉडल प्राक्कलन में दिया गया दर भवन निर्माण विभाग के 2018 से प्रभावी अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया है।

Handwritten signature
25/5/19
सहायक अभियंता

Handwritten signature
25/5/19
कार्यपालक अभियंता

Handwritten signature
25/5/19
अधीक्षण अभियंता

532
~~50~~

GENERAL ABSTRACT OF COST

1	Detailed Measurement of construction of compost pit	355142.00
2	Construction of wet waste shredding platform with shed	46644.00
3	Construction of wet-waste Seiveing Machine Platform with shed	51985.00
4	Construction of Dry Waste Platform with shed	54047.00
5	Construction of Open Area Developing	65916.00
	TOTAL	573734.00
	Electrification & PHE work @ 10%	57373.40
	G.TOTAL	631107.40
	SAY	631200.00

Technically Approved for Rs. 631200.00 (Six lac thirty one thousand two hundred only)

Neelika
21/5/19

A.E

Shirish
21/5/19

E.E

36000
21/5/19

S.E

533

~~531~~

Detailed Measurement of construction of compost pit

Sl. No.	Item of Work			
1	<p>BCD 2.8.1 Earth work in excavation in foundation trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m . including getting out the excavated soil and :- All kind of soil</p> <p>$3 \times (42'-6" + 28'-6") \times 10" \times 1'-0" = 177.50 \text{ cft}$</p> <p>$11 \times 8' \times 10" \times 1'-0" = \underline{73.33 \text{ cft}}$</p> <p>$250.83 \text{ cft} = 70.10 \text{ m}^3 @ 319.60 / \text{m}^3$</p>	Rs.	2269.00	
2	<p>BCD 2.28 Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.</p> <p>$3 \times 71'-0" \times 10" \times 3" = 44.375 \text{ cft}$</p> <p>$11 \times 8' \times 10" \times 3" = \underline{18.333 \text{ cft}}$</p> <p>$62.708 \text{ cft} = 1.78 \text{ m}^3 @ 238.60 / \text{m}^3$</p>	Rs.	425.00	
3	<p>BCD 11.72 Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I</p> <p>$3 \times 71'-0" \times 10" = 177.50 \text{ sft}$</p> <p>$11 \times 8' \times 10" = \underline{73.33 \text{ sft}}$</p> <p>$250.83 \text{ sft} = 23.31 \text{ m}^2 @ 277.50 / \text{m}^2$</p>	Rs.	6468.00	
4	<p>BCD 4.1.3 Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth level. 1:2:4(1 Cement: 2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)</p> <p>$3 \times 71'-0" \times 10" \times 4" = 59.17 \text{ cft}$</p> <p>$11 \times 8' \times 10" \times 4" = \underline{24.44 \text{ cft}}$</p> <p>$83.61 \text{ cft} = 2.37 \text{ m}^3 @ 4151.40 / \text{m}^3$</p>	Rs.	9839.00	
5	<p>BCD 6.32A Honey- comb brick work 10/11.4 cm thick with bricks of class designation 100A in cement mortar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)</p> <p>$3' \times 71'-0" \times 4' = 852.00 \text{ sft}$</p> <p>$11 \times 9'-0" \times 4' = \underline{396.00 \text{ sft}}$</p> <p>1248.00 sft</p>			

[Handwritten signatures and initials]

(51)

534
~~532~~

Less for Gate

20 x 1'-6" x 4' = 120.00 sft

1128.00 sft = 104.83 m² @ 424.70 / m² Rs. 44521.00

6

**BCD
5.1.3**

Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement-All work upto plinth level 1:2:4 (1 cement:2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)

3' x 71'-0" x 5" x 3" = 22.19 cft

11 x 9'-0" x 5" x 3" = 10.31 cft

Less for gate - 20 x 1'-6" x 5" x 3" = (-) 3.12 cft

29.38 cft = 0.832 m³ @ 4345.40 / m³ Rs. 3615.00

7

**BCD
5.22.B**

Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-10mm dia.

0.832 x 70 kg/m³ = 58.24 kg @ 76.70 / kg Rs. 4467.00

8

**BCD
2.28**

Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.

20 x 6'-6" x 4'-6" x 3" = 146.25 sft = 4.14 m³ @ 238.60 / m³ Rs. 988.00

9

**BCD
11.72**

Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I

20 x 6'-6" x 4'-6" = 585 sft = 54.37 m² @ 277.50 / m² Rs. 15088.00

10

**BCD
13.11.4**

12 mm cement plaster of mix: 1:6(1 cement: 6 coarse sand)

20 x 2 x (6'-6" + 4'-6") x 4' = 1760 sft

2 x 71' x 4' = 568.00 sft

2 x 10'-6" x 4' = 84.00 sft

Less, for door - 20 x 1'-6" x 4' = (-) 120.00 sft

2292.00 sft = 213.01 m² @ 126.20 / m² Rs. 26882.00

For Roofing

(Handwritten marks)
 (52)

11	BCD 2.8.1	Earth work in excavation in foundation trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m . including getting out the excavated soil and :- All kind of soil	2 x 11 x 1'-6" x 1'-6" x 2'-0" = 99.00 cft = 2.80 m3	@ 319.60 / m3	Rs.	895.00
12	2.28	Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.	22 x 1'-6" x 1'-6" x 3" = 12.375 cft = 0.35 m3	@ 238.60 / m3	Rs.	84.00
13	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	22 x 1'-6" x 1'-6" = 49.50 sft = 4.60 m2	@ 277.50 / m2	Rs.	1267.00
14	BCD 5.1.3	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centring,shuttering,finishing and reinforcement-All work upto plinth level 1 1:2:4 (1 cement:2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	22 x 1' x 1' x 1'-9" = 38.50 cft = 1.09 m3	@ 4345.40 / m3	Rs.	4736.00
15	BCD 5.22.7B	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-10mm dia.	10.09 m3 @ 70 kg / m3 = 76.30 kg	@ 76.70 / kg	Rs.	5852.00
16	BCD 10.16.1	Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete: Hot finished welded type tubes	50 mm dia M/S tube 22 x (12' + 10') / 2 = 242 rft = 73.78 m	@ 5.10 kg / m = 376.26 kg		
		M/S tube Plat (100 x 100 x 6)	110 No @ 500 gm / no = 55.00 kg			
		40mm dia M/S tubular pipe	Rafter - 11 No x 16" = 176.00 rft			
		Purlin	3 x 48'-6" = 145.50 rft			
			3 x 34'-6" = <u>103.50 rft</u>			

le

E.S.M.

536
~~534~~

		425.00 rft		
		129.573 m @ 3.62 kg / m = 469.05 kg = 900.31 kg @ 88.60 / kg		Rs. 79767.00
17	BCD 12.1.4	Providing corrugated G.S. sheet roofing fixed with G.I.J. or hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G. I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on over lapping of sheets complete (upto a pitch of 60°) excluding the cost of purlins, rafters and trusses. 0.8mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m2		
		48' - 6" x 15' = 727.50 sft		
		34' - 6" x 15' = <u>517.50 sft</u>		
		1245.00 sft = 115.70 m2 @ 949.87 / m2		Rs. 109900.00
18	BCD 12.13	Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm flat iron section.		
		3 x (48'-6" + 34'-6") = 249.00 rft = 75.914 m @ 106.20 / m		Rs. 8062.00
				Rs. 322856.00
		Add Extra Cost of Carriage of Material and difference Cost of Material @ 10%		Rs. 32286.00
		TOTAL		Rs. 355142.00

Handwritten marks and signatures

537

~~538~~**Construction of wet waste shredding platform with shed.**

Sl. No.	Item of Work			
1	BCD 2.1.1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan including disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m disposed soil to be leveled and neatly dressed :- All kind of soil.	9' x 16' = 144sft = 13.38 m ²	@ 40.841 / m ² Rs. 546.00
2	BCD 2.28	Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.	13.38 m ² x 0.20 m = 2.676 m ³	@ 238.60 / m ³ Rs. 638.00
3	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	13.38 m ²	@ 277.50 / m ² Rs. 3610.00
4	BCD 11.3.1	Cement concrete flooring 1:2:4(1 cement:2 coarse:sand:4 graded stone agregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, etc. but excluding the cost of nosing of steps etc. complete 40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	13.38 m ²	@ 282.60 / m ² Rs. 3781.00
<u>Roofing</u>				
5	BCD 2.8.1	Earth work in excavation in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m . including getting out the excavated soil and :- All kind of soil	4 x 1'-6" x 1'-6" x 1'-5" = 13.50 sft = 0.382 m ³	@ 319.60 / m ³ Rs. 122.00
6	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	4 x 1'-6" x 1'-6" = 9.00 sft = 0.836 m ²	@ 277.50 / m ² Rs. 232.00
7	BCD 4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade exluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth level. 1:2:4(1 Cement: 2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	4 x 1' x 1' x 1'-6" = 6.00 sft = 0.170 m ³	@ 4151.40 / m ³ Rs. 706.00
8	BCD 10.16.1	Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coar of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete: Hot finished welded type tubes		

/s/

/s/

/s/

(55)

538
~~518~~

2 x 12'-6" = 25.00 ft
 2 x 12'-0" = 24.00 ft
 49.00 rft

Rafter

2 x 9' = 18.00
 67.00 rft

20.43 m @ 5-10kg / m = 104.19 kg

40mm dia m/s pipe

Purline - 3 x 16 = 48.00 rft

14.63 m @ 3.62 kg / m = 52.96 kg

Base Platform 100mm x 100m x 6mm

16No. @ 0.50 kg each = 8.00 kg

Total - 165.15 kg @ 88.60 / kg Rs. 14632.00

9 BCD 12.1.4

Providing corrugated G.S. sheet roofing fixed with G.I.J. or hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G. I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on over lapping of sheets complete (upto a pitch of 60°) excluding the cost of purlins, rafters and trusses. 0.8mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m²

11' x 16' = 176.00 sft = 16.36 m² @ 949.87 / m² Rs. 15540.00

10 BCD 12.13

Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm flat iron section.

3 x 16'-0" = 48.00 rft = 14.63 m @ 106.20 / m Rs. 1554.00

11 BCD 5.22.7B

Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-10mm dia.

0.170 m³ x 80 kg / m³ = 13.60 kg @ 76.70 / kg Rs. 1043.00

TOTAL Rs. 42404.00

12 - Add Extra Cost of Carriage of Material and difference Cost of Material @ 10% Rs. 4240.00

G.TOTAL Rs. 46644.00

[Handwritten signatures]

539



Construction of wet waste Seiveing Machine Platform with shed.

Sl. No.	Item of Work				
1	BCD 2.1.1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan including disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m disposed soil to be leveled and neatly dressed :- All kind of soil.	15' x 10' = 150sft = 13.94 m2	@ 40.841 / m2	Rs. 569.00
2	BCD 2.28	Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.	13.94 m2 x 0.20 m = 2.788 m3	@ 238.60 / m	Rs. 665.00
3	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	13.94 m2	@ 277.50 / m2	Rs. 3868.00
4	BCD 11.3.1	Cement concrete flooring 1:2:4(1 cement:2 coarse:sand:4 graded stone agregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, etc. but excluding the cost of nosing of steps etc. complete 40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	13.94 m2	@ 282.60 / m2	Rs. 3939.00
		Roofing			
5	BCD 2.8.1	Earth work in excavation in foundation trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m . including getting out the excavated soil and :- All kind of soil	4 x 1'-6" x 1'-6" x 1'-6" = 13.50 sft = 0.382 m3	@ 319.60 / m3	Rs. 122.00
6	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	4 x 1'-6" x 1'-6" = 9.00 sft = 0.836 m2	@ 277.50 / m2	Rs. 232.00
7	BCD 4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth level. 1:2:4(1 Cement: 2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	4 x 1' x 1' x 1'-6" = 6.00 sft = 0.170 m3	@ 4151.40 / m3	Rs. 706.00

(57)

540
~~58~~

8	BCD 10.16.1	<p>Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete: Hot finished welded type tubes</p> <p>2 x 12'-6" = 25.00 ft</p> <p>2 x 10'-6" = <u>22.00 ft</u></p> <p style="text-align: center;">47.00 rft</p> <p>Rafter</p> <p>3 x 13' = <u>39.00 rft</u></p> <p>86.00 rft</p> <p>26.22 m @ 5-10kg / m = 133.72 kg</p> <p>40mm dia m/s pipe</p> <p>Purline - 4 x 13' = 52.00 rft = 15.85m</p> <p>@ 3.62 kg / m = 57.38 kg</p> <p>Base Platform 100mm x 100m x 6mm</p> <p>16No. @ 0.50 kg each = 8.00 kg</p> <p>Total - 199.10 kg @ 88.60 / kg</p>	Rs. 17640.00
9	BCD 12.1.4	<p>Providing corrugated G.S. sheet roofing fixed with G.I.J. or hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G. I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on over lapping of sheets complete (upto a pitch of 60°) excluding the cost of purlins, rafters and trusses. 0.8mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m²</p> <p>15' x 13' = 195.00 sft = 18.12 m² @ 949.87 / m²</p>	Rs. 17212.00
10	BCD 12.13	<p>Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm flat iron section.</p> <p>3 x 13'-0" = 39.00 rft = 11.89 m @ 106.20 / m</p>	Rs. 1263.00
11	BCD 5.22.7B	<p>Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-10mm dia.</p> <p>0.17 m³ x 80 kg / m³ = 13.60 kg @ 76.70 / kg</p>	Rs. 1043.00
		TOTAL	Rs. 47259.00
12	Add Extra Cost of Carriage of Material and difference Cost of Material @ 10%		Rs. 4726.00
		G. TOTAL	Rs. 51985.00


 (58)

541
~~529~~

Construction of Dry Waste Platform with shed.

Sl. No.	Item of Work			
1	BCD 2.1.1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan including disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m disposed soil to be leveled and neatly dressed :- All kind of soil.	14' x 9' = 136sft = 12.64 m ²	@ 40.841 / m ² Rs. 516.00
2	BCD 2.28	Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.	12.64 m ² x 0.20 m = 2.528 m ³	@ 238.60 / m ³ Rs. 603.00
3	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	13.01 m ²	@ 277.50 / m ² Rs. 3610.00
4	BCD 11.3.1	Providing and laying Ceramic glazed floor tiles 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer) of ist quality conforming to IS : 15622 of approved make in colours such shades except white , Ivory , Grey , Fume Red , Brown , laid on 20 mm thick Cement motar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand) including pointing the joints with white cement and matching pigment etc., complete.	12.64 m ²	@ 282.60 / m ² Rs. 3572.00
		Roofing		
5	BCD 2.8.1	Earth work in excavation in foundation trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m . including getting out the excavated soil and :- All kind of soil	4 x 1'-6" x 1'-6" x 1'-6" = 13.50 sft = 0.382 m ³	@ 319.60 / m ³ Rs. 122.00
6	BCD 11.72	Providing designation 100 A one brick flat soling joints filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I	4 x 1'-6" x 1'-6" = 9.00 sft = 0.836 m ²	@ 277.50 / m ² Rs. 232.00
7	BCD 4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade exluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth level. 1:2:4(1 Cement: 2 coarse sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)		

(Handwritten signatures)

542
68

4 x 1' x 1' x 1'-6" = 6.00 sft = 0.170 m3 @ 4151.40 / m3 Rs. 706.00

8

BCD
10.16.1

Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete:
Hot finished welded type tubes

2 x 12'-6" = 25.00 ft

2 x 10'-6" = 22.00 ft

47.00 rft

Rafter

2 x 16' = 32.00 rft

79.00 rft = 24.08 m

@ 5-10kg / m = 122.80 kg

40mm dia m/s pipe

Purline - 3 x 15' = 45.00 rft = 37.20m

@ 3.62 kg / m = 49.66 kg

Base Platform 100mm x 100m x 6mm

16No. @ 0.50 kg each = 8.00 kg

Total - 199.10 kg @ 88.60 / kg Rs. 15989.00

9

BCD
12.1.4

Providing corrugated G.S. sheet roofing fixed with G.I.J. or hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G. I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on over lapping of sheets complete (upto a pitch of 60°) excluding the cost of purlins, rafters and trusses.
0.8mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m2

16' x 15' = 240.00 sft = 22.30 m2 @ 949.87 / m2 Rs. 21187.00

10

BCD
12.13

Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm flat iron section.

3 x 16'-0" = 48.00 rft = 14.63 m @ 106.20 / m Rs. 1554.00

11

BCD
5.22.7B

Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete.
Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-10mm dia.

0.17 m3 x 80 kg / m3 = 13.60 kg @ 76.70 / kg Rs. 1043.00

TOTAL Rs. 49134.00

12

Add Extra Cost of Carriage of Material and difference Cost of Material @ 10% Rs. 4913.00

G. TOTAL Rs. 54047.00

Je *Sur* *zla*
(60)

543

~~6*~~

Construction of Open Area Developing

Sl. No.	Item of Work		
1	BCD 2.28	Supplying and Filling in plinth with local sand and under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete. 1257.00 cft x 0'-6" = 628.50 cft 17.80 m3 @ 238.60 / m3	Rs. 4247.00
2	BCD 11.73	Providing designation 100 A one brick edge soling filled with local sand including cost of watering, taxes, royalty all complete as per building specification and direction of E/I 1257.00 sft = 116.82 m2 @ 439.80 / m2	Rs. 51377.00
	Carriage of Material :-		
	Local Sand - 21.355 m3	262.05 / m3	Rs. 5596.00
	Brick - 6281 No.	@ 747.60 % no	Rs. 4696.00
	TOTAL		Rs. 65916.00









544

**CONSTRUCTION OF COMPOST PIT, STORE ROOM
OFFICE ROOM & THREE NO. OF PLATFORM FOR BIO
FERTILIZER AND DISPOSAL OF WET AND DRY WASTE**



545

**CONSTRUCTION OF COMPOST PIT, STORE ROOM
OFFICE ROOM & THREE NO. OF PLATFORM FOR BIO
FERTILIZER AND DISPOSAL OF WET AND DRY WASTE**




Handwritten signature
A.E

Handwritten signature
E.E


Handwritten signature
S.E

546



SECTION OF PLATFORM AT B-B

(64)




KS
2/5/19

SECTION OF COMPOST PIT AT A-A

548

~~56~~



SECTION OF COMPOST PIT AT A-A

(66)

Annexure - 1I

संचिका सं. :-03/SBM-01-13/2016

1353

/न०वि०एवंआ०वि०

549

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 28/07/19

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण एवं निपटान कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वामाजु
28/07/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

~~68~~ 550



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान
(Processing & Disposal)
हेतु नगर निकायों के लिए
मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2018 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.608/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2018 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान (Processing & Disposal) हेतु निम्नलिखित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)
 2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)
 3. ठोस अपशिष्टों का निपटान सैनिटरी लैंडफिल के द्वारा (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)
- प्रारंभिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा गीला कचरा एवं सूखा कचरा का निष्पादन हेतु प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई 3000 वर्ग फीट में तत्काल लगभग 20 अदद Compost Pit, Shredding Platform, Seiving Machine cum Bagging Platform, Dry waste Platform का निर्माण कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। सभी नगर निकाय इस मॉडल प्राक्कलन का इस्तेमाल कर अपने निकाय के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्धता के अनुरूप Decentralised Processing Site का निर्माण करते हुए ठोस अपशिष्ट का सुचारू रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस कार्य को अविलंब विभागीय स्तर पर करा लेना है।
 - सभी नगर निकायों द्वारा अलग-अलग (जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट) संग्रह किये गए अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल पर लाना सुनिश्चित करना होगा।
 - कोई भी नगर निकाय संग्रह किए गए अपशिष्टों को यत्र-तत्र न फेंके। सभी नगर निकाय संगृहित ठोस अपशिष्ट को सीधे विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर लाना सुनिश्चित करें।
 - सभी नगर निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को यत्र-तत्र न जलायें।
 - प्रसंस्करण स्थल पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग रखने का स्थल सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकतानुसार अगर सूखा एवं गीला अपशिष्ट एक साथ हो तो पुनः इसे अलग-अलग करने की व्यवस्था की जाए। दोबारा अपशिष्टों को अलग-अलग करने के लिए आवश्यकतानुसार PCC Platform तथा Shed की व्यवस्था Model Estimate में की गई है।

- Rag Pickers को Waste Collection में शामिल करने हेतु इनकी बैठक निकाय स्तर पर आहूत करने की कार्रवाई की जाय तत्पश्चात निकाय अन्तर्गत सभी Rag Pickers चिन्हित कर सूची बनाया जाय।
- सभी चिन्हित कचरा बिनने वालों (Rag Picker) को नगर-निकाय द्वारा पंजीकृत किया जाएगा एवं नगर-निकाय द्वारा पहचान-पत्र दिया जाएगा।
- सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत कबाड़ी वालों को चिन्हित कर उनके द्वारा Recyclable कचरे को निपष्पादन करेंगे।

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)

1.1 नगर निकाय अपने क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट को निम्नलिखित तरीके से प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

- क. केन्द्रीकृत पद्धति (Centralised Process) अथवा,
ख. विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process)

क. **केन्द्रीकृत पद्धति (Centralised Process)** : ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता कम है, वे सभी पृथक्कीकृत (Segregated) जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को एक Centralised Processing Site पर एकत्रित कर, जैविक कचरे को प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

ख. **विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process)** : ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता हो, कम्पोस्टिंग कार्य के लिए वार्डों को कलस्टरिंग कर (नगर निगम में 3-4 वार्डों के लिए, नगर परिषद में 5-6 वार्डों के लिए एवं नगर पंचायत में 9-10 वार्डों के लिए) विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण हेतु स्थल चिन्हित किया जाए। प्रसंस्करण हेतु चिन्हित स्थलों पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग भंडारण कर गीले अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग प्लेटफार्म/पीट बनाकर कम्पोस्टिंग कार्य कराया जाय। कम्पोस्ट पीट एवं प्लेटफार्म निर्माण हेतु मॉडल एस्टीमेट सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(Pit Composting-Muzaffarpur Model) के माध्यम से सभी नगर निकाय गीले कचरे का प्रसंस्करण निम्नलिखित दिये गये चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं :-

- (i) Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- (ii) नारियल की परत के ऊपर गाय के गोबर की एक परत रखें।
- (iii) भूसी/घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के उपर क्षेत्र की परिधि बढ़ाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- (v) इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर मिलाया जायगा। EM Solution इन तत्वों यथा—Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का सम्मिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।

- (vi) समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से मौजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जायेगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जायेगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जायेगा।
- (vii) 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खाद को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शेड में फैलाएं।
- (viii) इसके उपरांत जैविक खाद को Electric Vibratory Siever द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ix) प्राप्त जैविक खाद को 5 किग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर पैक किया जा सकता है।
- (x) Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
- (xi) पैक किये गये थैले का व्यापार चिन्ह (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा-"Muzaffarpur Jaivik Khad".
- (xii) तैयार किये गये जैविक खाद की बिक्री के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और स्टॉक एंट्री सिस्टम के साथ एक विपणन और बिक्री काउंटर खोलें।
- (xiii) अंतिम रूप से बने हुए खाद को कृषि विभाग/नर्सरी/किसान आदि को बेचने का प्रावधान किया जाए।
- आवश्यकतानुसार एवं Suitability के आधार पर मुंगेर एवं सुपौल नगर निकायों द्वारा की जा रही प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं।
- 1.2 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित मानवबल को उपयोग में लाया जा सकता है (इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है) :-
- | | | |
|-------|---|------------------|
| (i) | प्रसंस्करण स्थल पर ऑटो टीपर से ठोस अपशिष्ट के Unloading एवं गीले कचरे को Compost Pit में डालने हेतु | : 2 Nos. |
| (ii) | Shredder Machine को चलाने हेतु | : 1 No. |
| (iii) | जैविक खाद का शेड में स्थानांतरण और खाद की पिटाई | : 2 Nos. |
| (iv) | Electric Siever Machine को चलाने हेतु | : 1 No. |
| (v) | जैविक खाद के Packaging हेतु | : 1 No. |
| (vi) | कंप्यूटर प्रविष्टि एवं बिक्री व्यक्ति | : 1 No. |
| (vii) | दिन और रात का पहरेदार | : 2 Nos. |
| | कुल | : 10 Nos. |
- 1.3 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर निम्नलिखित उपकरणों को आवश्यकतानुसार व्यवहार में लाया जा सकता है :-
- | | | |
|-------|---------------------------------|---------|
| (i) | Shredder Machine | : 1 No. |
| (ii) | Electrical Siever Machine | : 1 No. |
| (iii) | Digital Weighing Machine | : 1 No. |
| (iv) | Electrical Sewing Machine | : 1 No. |
| (v) | Bailing Press Machine (for RDF) | : 1 No. |

2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)

- 2.1 नगर निकायों द्वारा कम्पोस्टिंग साईट पर लाये गये सूखे कचड़े को Secondary Segregation हेतु सूखे कचरे के लिए निर्मित प्लैटफॉर्म पर रखा जाय एवं उनमें से सर्वप्रथम उपयोगी और रिसाइक्लेबल वस्तुओं को रैग पीकर्स अथवा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से सूखे कचड़े में से अलग कर दिया जाए, जिसे कबाड़ी वाले को बेचा जा सकता है। SHG Group की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-B संलग्न की गई है।
- 2.2 प्रसंस्करण स्थल पर लाये गये सूखे कचरे को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा—पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जाना सुनिश्चित करें।
- 2.3 Secondary Segregation के माध्यम से अलग-अलग किये गये सूखे कचरे में से Recyclable सूखे कचरे को कबाड़ी वाले को नगर निकाय द्वारा बेचा जा सकता है। इससे अर्जित धनराशि से सतत संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी भुगतान किया जा सकता है।
- 2.4 बचे हुए सूखे ठोस अपशिष्ट को बेलिंग प्रेस के माध्यम से आर.डी.एफ. (Refuse Derived Fuel) बनाकर प्रसंस्करण हेतु सिमेंट प्लांट/पॉवर प्लांट में भेजा जा सकता है।
- 2.5 प्रसंस्करण के बाद निकला हुआ निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को भूमिभरण हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए।
3. ठोस अपशिष्टों का निपटान (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)
- 3.1 सभी नगर निकायों को निष्क्रिय अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के आलोक में निपटान का प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3.2 निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को नगर निकाय द्वारा चिन्हित किए गए भूमि भरण स्थल पर निपटान करना है।
- 3.3 जिन नगर निकायों के पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे अपने क्षेत्र से उत्पन्न निष्क्रिय अपशिष्ट का निपटान हेतु आवश्यकतानुसार भूमि भरण स्थल को चिन्हित कर उपयोग में लायेंगे।
- 3.4 ऐसे नगर निकाय जिनके पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे Sanitary Landfill विकसित करने हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय कर सकते हैं। रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय निम्नवत मापदंड के अनुसार कर सकते हैं :-

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :- • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

- 3.5 भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill) कम-से-कम 15-20 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त रूप से देय होंगे तथा जलजमाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से "भूमि भरण सेल" विकसित किए जाएंगे।
- 3.6 भूमि भरण स्थल गंगा एवं उसकी शाखा नदी से 500 मीटर, अन्य नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागरी विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाईअड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.7 ऐसे नगर निकाय जिनके Landfill Site की क्षमता 5 टन प्रति दिन से अधिक हो, वे इसके लिए उपयोग में लायी जानी वाली भूमि अंतर्गत 'बफर जोन' (Buffer Zone) के निर्धारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से संपर्क करेंगे तथा इसका निर्धारण सुनिश्चित करें।
- 3.8 **Legacy Waste/Old Dump का प्रबंधन :-**
- सभी नगर निकाय पूर्व में फेंके गये ठोस अपशिष्ट के स्थलों को चयनित कर उसका निपटान एवं भूमि का पुनर्ग्रहण (Reclamation of Land) का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
 - Legacy Waste/Old Dump का निपटान एवं अवश्यकतानुसार भूमि का पुनर्ग्रहण ठोस अपशिष्ट निपयमावली, 2016 (Schedule-I, Clause-J) के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।

556

74

ANNEXURE-B

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	MRF (Material Recovery Facility)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रसंस्करण स्थल (MRF Platform) पर लाये गये सूखे कचरे को NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा-पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जा सकता है। 2. अलग-अलग संग्रहित हुए सूखा कचरा में से Recycling एवं बिकने योग्य कचरा को नगर निकाय कबाड़ी वालों को बेचना सुनिश्चित करेंगे। 3. ध्यान रखा जाये कि Secondary Segregation में नियोजित सभी स्वयं सहायता महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित सामग्री नगर निकाय द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे-Gloves, जूते, Safety Mask इत्यादि। 	नगर निकाय द्वारा प्रत्येक MRF Center पर Secondary Segregation हेतु 04 SHG महिलाओं को लगाया जा सकता है।

Capacity Building

उपरोक्त कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।


पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

(74)

557

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र (Solid Waste Management Process Flow-sheet)



Annexure-2

संचिका सं. :-03/SBM-01-04/2019

932

/न0वि0एवंआ0वि0

76
558

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 2/4/19

विषय :-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्रपत्र-IV एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्रपत्र-V में वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शहरी क्षेत्रों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 का अधिक्रमण करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अधिसूचित के अंतर्गत प्रपत्र-IV एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत प्रपत्र-V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक-15.05.2019 तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।

अनुलग्नक :-प्रपत्र-IV एवं V।

विश्वासभाजन,

2/4/19

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

Annexure-3

77
559

**Urban Development & Housing Department
Government of Bihar**
**Implementation of Provisions of Plastic Waste Management Rules,
2016**

S. No	Prescribed Authority	Responsibilities	Compliance
1	Secretary-in-Charge, Urban Development Department ((Section 12 (2))	Enforcement of the provisions of PWM Rules, 2016, relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in line with the notifications of State Govt. in the matter.	<ol style="list-style-type: none">1. The manufacture, import, export, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their thickness and size) has been banned in the ULBs w.e.f. 23.12.2018 vide Gazette notification dated-24.10.2018 by Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar in the jurisdiction of all Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.2. "Model Bihar Municipal Plastic Waste Management Bye-laws 2018" has already been approved by the State Cabinet and circulated to all the municipalities for approval after following due process of law as defined in the Bihar Municipal Act 2007 the final Notification in the extra ordinary part of Gazette has been done for all 141 ULBs. These Bye-laws cover all the aspects to ensure Enforcement of the provisions of PWM Rules, 2016, relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in line with the notifications of State Govt. in the matter.3. District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC) have been constituted in all the districts under the chairmanship of District Magistrate for monitoring and review of the plastic ban in their jurisdiction. (attached as Annexure – 3A)4. City Squad/Task Force have been constituted for confiscation and seizure of banned plastic carry bags in the jurisdiction of Municipalities. (attached as Annexure – 3B)5. State Level Advisory Committee (SLAC) under rule 16 of PWM Rules, 2016 has been constituted vide letter no.1586 dt.

~~78~~

			05.07.2018. 6. 1 st Meeting of the State Level Advisory Committee was held on dt. 30.07.2018. 7. 2 nd Meeting of the State Level Advisory Committee was held on dt. 08.03.2019.						
2	District Magistrate or Deputy Commissioner (Section 12 (4))	Shall provide the assistance to SPCBs/PCCs, Secretary-in-Charge, Urban Development Department and Gram Panchayat under his jurisdiction, whenever required for enforcement of provisions of PWM Rules, 2016.	<p>1. For enforcement of provisions of Plastic Waste Management Rules District level Review and Monitoring Committee has been constituted in all the districts.</p> <p>2. For enforcement at city level city squad/task force has been constituted in all 141 ULBs for confiscation and seizure of banned plastic carry bags in the jurisdiction of Municipalities.</p> <p>3. As per instructions of Chief Secretary, Bihar, raids were conducted against the use of plastic carry bags in all urban areas of the state. Report of plastic carry bags raid since coming in to effect of Plastic Waste Management Bye Laws (23.12.2018) to till date is as follows:-</p> <table border="1" data-bbox="971 1387 1528 1695"> <tr> <td>Total Shops or establishment raided</td> <td>108717</td> </tr> <tr> <td>Total fine collection in Rs.</td> <td>56,69,140</td> </tr> <tr> <td>Total Seizure of plastic carry bags in Kg.</td> <td>23302.39</td> </tr> </table>	Total Shops or establishment raided	108717	Total fine collection in Rs.	56,69,140	Total Seizure of plastic carry bags in Kg.	23302.39
Total Shops or establishment raided	108717								
Total fine collection in Rs.	56,69,140								
Total Seizure of plastic carry bags in Kg.	23302.39								
3	Responsibilities of Urban Local Bodies (Section-6 (1))	Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.	<p>1. Provision has been made in the Plastic Waste Management Bye laws, 2018 for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste.</p> <p>2. To ensure effective segregation of dry recyclable waste which constitute mostly the plastic waste provision of material recovery Facility (MRF) has been made in all the Solid Waste Management DPRs.</p> <p>3. The Urban Local Bodies have also been directed and provided with processing guidelines to ensure segregation of dry recyclable waste into different streams by adopting the Material Recovery Facility (MRF) and to recycle the waste through Kabadiwallas. To ensure further segregation of dry waste the Urban Local Bodies have also been directed to engage</p>						

Annexure-3

561

~~79~~

			SHGs women as per requirement and local situation.
Section-6 (2) c	ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers	In few ULBs (Muzaffarpur, Munger, Bodhgaya) the dry recyclable waste are being recycled through Kabadiwallas. All the ULBs are in process of getting the list of Kabadiwaalas/rag pickers registered in their areas.	
Section-6 (2) d	Ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.	One Pyrolysis plant of 5 TPD has already been installed for processing of dry non-recyclable waste.	
Section-6 (2) e	Creating awareness among all stakeholders about their responsibilities.	<p>4. A number of IEC activities and awareness campaign have been carried out at State level to aware the citizens and other stakeholders on plastic waste management and their responsibilities in effective management of plastic waste. Intensive awareness drives have been launched in IEC field. (Details are mentioned in letters enclosed as <u>Annexure-3C</u>)</p> <p>5. The IEC activities carried out in the jurisdiction of ULBs by involving citizens and other stakeholders are rally, campaign through SHGs, displaying banner, hoardings, distribution of leaflets, etc. (Letters enclosed as <u>Annexure-3D</u>)</p>	
Section-6 (2) f	engaging civil societies or groups working with waste pickers	1. Guideline on involvement of informal waste pickers has been issued to all the Urban Local Bodies vide letter no398 dt.09.02.2019. (Letter enclosed as <u>Annexure-3E</u>).	
Section-6 (2) g	Enforce a mechanism to stop open burning of plastic waste.	<p>1. Provision of fines has been made in the Plastic Waste Management Bye laws to stop open burning of plastic waste.</p> <p>2. All the ULBs have been directed to stop open burning of plastic waste with immediate effect.</p>	
Section-6 (4)	The local body to frame bye-laws incorporating the provisions of these rules.	Already framed. The Plastic Waste Management Bye laws for all 141 Urban Local Bodies have already been notified in the extra ordinary part of the official Gazette.	

**जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति
(District Level Review & Monitoring Committee)**

56280

जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति (District Level Review & Monitoring Committee) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियाकलापों के अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2018 का भी पुनर्विलोकन एवं मॉनिटरिंग करेगी।

इसके लिए सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी को ज्ञापित है कि एक जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति (DLRMC) समिति गठित की जाएगी। 2017 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय नगर निकाय के तमाम आयुक्त अथवा तमाम कार्यपालक पदाधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे। इस समिति में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्यों तथा सामुदायिक/सिविल सोसाइटी से कुछ मनोनित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समिति का गठन का स्वरूप निम्नवत होगा :-

- (i) जिला पदाधिकारी
- (ii) जिले के सभी शहरी स्थानीय निकाय के तमाम आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी
- (iii) जिले के सभी शहरी स्थानीय निकाय के तमाम एवं सभासद
- (iv) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिले में वरिष्ठतम प्रभारी पदाधिकारी
- (v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी/पु.ई.ई./बैज्ञानिक) मनोनित सदस्य
- (vi) शहरी विकास के क्षेत्र में विशेष जाणकारी एवं अनुभव रखने वाले सामाजिक या सार्वजनिक क्षेत्र से जिले का कोई प्रख्यात व्यक्ति (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)
- (vii) शहरी विकास के क्षेत्र में जिले में सिविल सोसाइटी संगठन कार्य का कोई प्रख्यात व्यक्ति/पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)
- (viii) वरिष्ठ नागरिक कोटि में कोई प्रख्यात व्यक्ति (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)

जिलास्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति (DLRMC) के दायित्व।

- (क) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का पुनर्विलोकन एवं मॉनिटरिंग करना।
- (ख) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्विलोकन करना तथा प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2018 के सभी प्रावधानों को क्रियान्वयन करना।
- (ग) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के बेसलाइन डाटाबेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना।
- (घ) ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान की प्रगति का मॉनिटर करना और सहायक सावधिक बुद्धियों का सुझाव करना तथा नियमित पुनर्विलोकन करना और विविध राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- (ङ) प्रणाली स्थापित करने में जो प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट के सामुदायिक मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन का समर्थन बनाए, सहायक संवर्धन लाइन विभागों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों को निर्देश देना और उनके समन्वय में कार्य करना।
- (च) शहरी स्थानीय निकाय के प्रभाव से बाई स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को जिम्मेवारी देना।
- (छ) यह समिति सभी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के क्रियाकलापों की समीक्षा प्रत्येक चार साल पर कम से कम एक बार करेगी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान का निर्धारण करेगी।

सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स
(City Squad/Taskforce)

563

सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स का गठन-जिला प्रशासन एवं शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों तथा स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर उपविधि के विद्यालय लायू करने हेतु समुदाय से सदस्यों के साथ-साथ प्रशासनिक कर्मियों को शामिल करते हुए सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स का गठन सुनिश्चित करेगा सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स में निम्नलिखित सदस्य होंगे

- (i) जिला प्रशासन के पदाधिकारी।
- (ii) शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारी (नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक/सहायक अभियंता)
- (iii) पुलिस विभाग के पदाधिकारी (निरीक्षक/अवर निरीक्षक)।
- (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी/ए.ई.ई./वैज्ञानिक)
- (v) स्थानीय सामुदायिक सामाजिक संगठन (CSO) स्वयं सेवी संस्था (NGO) के सदस्य।
- (vi) शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्य।

सिटी स्क्वाड/टास्क फोर्स की जिम्मेवारी

सिटी स्क्वाड/टास्क फोर्स की जिम्मेवारी निम्नवत् होगी -

- (क) नगर के क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दूकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यिक दूकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैंरी बैगों को जब्त करना।
- (ख) वैसे पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल जिनकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम हो और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुसार जिनपर लेबल अथवा मार्क नहीं किए गए हों, सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।
- (ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में यथाविहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।
- (घ) नगर क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक कैंरी बैगों अंतर्राज्य संचालन तथा बिक्रय को रोकना।
- (ङ) नगर क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक कैंरी बैगों को किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Annexure-3

प्रेषक

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में

सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-

बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण-रूपेण प्रतिबंध लगाने हेतु प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महाराज

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Plastic Waste Management Rules-2016 एवं Bihar Plastic Waste Management Model Bye-Laws, 2018 के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक थैलो के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्रतिबंध से पूर्व Plastic के प्रयोग के दुष्परिणामों से जनता को जागरूक करने हेतु नगर निकाय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत पूरा राज्य में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से सभी नगर निकायों में निम्नांकित कार्य करने का आग्रह किया जाता है।

- i) video रथ के प्रचालन द्वारा एक साथ सभी नगर निकायों में प्रतिबंध से सम्बंधित फिल्म का प्रदर्शन।
- ii) Radio/दूरदर्शन चैनलों पर प्रतिबंध पर आधारित विज्ञापन स्पॉट्स लिगल्स इत्यादि का प्रसारण।
- iii) SMS, Facebook, What's App, Twitter एवं अन्य Social Media पर प्रचार प्रसार।
- iv) नगर निकायों में नुक्कड़- नाटक का आयोजन।
- v) दीवार लेखन / पेटिंग।
- vi) सूचना जन सम्पर्क विभाग के होर्डिंग पर प्रतिबंध सम्बंधी एलैक्स पोस्टर / बैनर आदि लगाना।
- vii) स्कूल/कॉलेज/शिक्षण संस्थानों में सेमिनार/निबंध प्रतियोगिता / पेटिंग प्रतियोगिता इत्यादि कराना।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य के लिए आपके विभाग से नामित एजेंसी को निदेश दिया जाए एवं आवश्यकता अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग से सम्बन्ध स्थापित कर IEC हेतु सभी Designs/ अन्य प्रचार प्रसार सामग्री प्राप्त कर अग्रेतर कारवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक-03/SBM-01-22-A/2018

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक-13/09/2018

(82)

प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner

Annexure - 3D

565

सचिका सं--03/SBM-01-22-A/2018

2839

/ नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रति,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

विषय -

दिनांक-14.12.2018 से प्लास्टिक कैंरी बैग पर प्रतिबंध के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

व्याख्या -

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्लास्टिक कैंरी बैग पर दिनांक-14.12.2018 से प्रतिबंध लगाया जाना है। इस संबंध में कठोर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई है। तदालोक में इस पत्र के साथ प्रचार-प्रसार की सामग्री के प्रसार तथा प्रचार के 20 मॉडल, माईकिंग का विषय एवं अन्य संबंधित कार्यों को विस्तार से दिशानिर्देश मिलान है।

अतः अनुरोध है कि अपने नगर निकायों में प्लास्टिक कैंरी बैग के पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में आम जनो के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में किसी भी जानकारी हेतु SBM-PMU के टीम लीडर श्री अनिल गुप्ता, मो. नं.-9835494997 एवं श्री शरद कुमार, मो. नं.-9240571130 IEC Expert, SBM-PMU से संपर्क किया जा सकता है।

अनुसामक -

दिशानिर्देश एवं प्रचार-प्रसार की सामग्री

विरदानिका

3/12/2018

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

566

प्रसारित एवं न संबन्धित प्रचार-प्रसार हेतु नगर निकायों के लिए दिशा-निर्देश :-

विभाग-14/12/2018 में विभाग नगर निकाय न पुराने प्लास्टिक बोर्डों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्रसारित प्रचार-प्रसार हेतु नगर निकाय न सूचना एवं जन संपर्क (IPRD) विभाग के माध्यम से निम्न कार्य किए जा रहे हैं :-

(क) नगर निकाय न सार्वजनिक स्थलों में बड़े होर्डिंग सूचना एवं जन संपर्क के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।

(ख) नगरीय सार्वजनिक स्थलों एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा तैयार कर रैडियो पर प्रसारित करवाया जा रहा है।

(ग) नगर निकाय न सार्वजनिक स्थलों में सार्वजनिक प्रदर्शन न सूचना एवं प्रचार-प्रसार लोगों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। प्रसारित प्रचार-प्रसार नगर निकाय न कड़ सन्धाओं/विभागों के साथ बैठक किया जा रहा है।

2. विभाग द्वारा नगर निकाय निकायों को कार्य किया जाता है :-

(क) नगर निकाय न सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक बोर्ड से संबंधित सूचनाओं का बैनर प्रकाशित करने के लिए विभाग न सार्वजनिक स्थलों में लगे जा बहनी, सनी प्रकार की रैलियों, के सिबे भी बनेर उपलब्ध करवाया जाये।

(ख) सार्वजनिक स्थलों में प्रचार-प्रसार हेतु नगर निकाय न सार्वजनिक वाहन के द्वारा (दोहरा दो प्रचार-प्रसार सार्वजनिक के साथ सार्वजनिक के द्वारा रिकार्ड्ड सूचना एवं जिंगल के माध्यम से प्रसारित करके-सौरदे सार्वजनिक स्थल मॉल, होटल सक्की बाजार, घर्मस्थल आदि जगहों पर लगाकर सार्वजनिक करवाया जाता है।

(ग) सार्वजनिक स्थलों सार्वजनिक स्थलों सूचना एवं लोगों के साथ शपथ आदि का कार्यक्रम भी निष्पादित के द्वारा किया जाता है।

विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रचार-प्रसार मद से तत्काल बैनर के स्वीकृत बीस डिजाइन का साईज एंड मात्र निकायों की जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत् है (सभी निकाय विभाग न स्वीकृत 20 डिजाइनों का ही प्रिंट करायेगे) :-

2. प्रसारित प्रचार-प्रसार हेतु नगर निकायों को कार्य किया जाता है :-

क्र. सं.	निकाय का नाम	Banner Size 6' x 4'	कुल बैनर की संख्या	प्रति बैनर मूल्य	राशि
1	पटना नगर निगम	20 डिजाइन	400 बैनर	262	1,04,800
2	नगर निगम (पटना के अतिरिक्त)	20 डिजाइन	200 बैनर	262	52,400
3	नगर परिषद	20 डिजाइन	150 बैनर	262	39,300
4	नगर पंचायत	20 डिजाइन	100 बैनर	262	26,200

5. लीफलेट, समारंभ - लीफलेट का सनी सार्वजनिक स्थलों Door to Door Campaigning, Rally, School जगहों पर वितरण। लीफलेट विभाग द्वारा प्रकाशित कक्षाकर निकायों को एजेसी द्वारा प्रदान की जायेगी।

3. प्रचार-प्रसार से संबंधित अन्य कार्य मार्केटिंग, Door to Door Campaign, प्रमातफेरी/सैकल लेखन/रैली/शपथ एवं अन्य कार्य के लिए निकायों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

क्र. सं.	निकाय	कुल राशि
1	पटना नगर निगम	1,50,000
2	नगर निगम (पटना के)	1,00,000

85

	अतिरिक्त)	
2	नगर परिषद	50,000
3	नगर पंचायत	45,000

- प्रत्येक शिफ्ट के बैनर को कार्यकारी एजेंसी द्वारा (M.B) में Geo Tagging करवाया जायगा। इस काम को समय रखा जाए Geo Tagging का कार्य भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा कराया जाएगा एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत विपत्र में Geo Tagging का बिल हो।
- दिनांक-04.12.2018 से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। जो सभी M.C. के कार्य अधिलक्ष्य करना सुनिश्चित करें एवं उपलब्ध कराते जा रहे दैनिक प्रगति प्रतिवेदन का विभाग को दिनांक-04.12.2018 से भेजना सुनिश्चित किया जाए।
- बैनर एवं अन्य प्रचार-प्रसार के उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु नगर निगम को देनी जाने वाली कुल राशि निम्नवत् है -

क्र.सं.	निकाय	बैनर हेतु	अन्य कार्य	कुल
1	पटना नगर निगम	1,04,000	1,50,000	2,54,000
2	नगर निगम (पटना के अतिरिक्त)	52,400	1,00,000	1,52,400
3	नगर परिषद	39,300	50,000	89,300
4	नगर पंचायत	26,200	45,000	71,200

प्लास्टिक बैन से संबंधित IEC पर उपरोक्त आबंटित राशि के अधिगत सीमा के अंतर्गत व्यय होने वाली राशि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के IEC मद से आबंटित की जायगी।

568

क्रमांक 03/SBM-01-22A/18

0178

न०वि०एवं०आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रयुक्त,

सत्य दयाल (आई०आर०एस०एस०),
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर अध्यक्ष, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक- 13/11/18

विषय :- प्लास्टिक कैंरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध पर आधारित लीफलेट की छपाई कराने के संबंध में।
महोदय,

निम्नानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में प्लास्टिक कैंरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना निर्धारित है। इसके लिए आमजनों के बीच व्यापक प्रचार - प्रसार लीफलेट के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभागीय स्तर पर लीफलेट की संख्या, Specification आकार एवं अधिकतम दर प्रति लीफलेट Rs. 0.64 पैसा (चाँसठ पैसा) निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:-

विवरण	अधिकतम दर प्रति इकाई	नगर निकाय	नगर निकायों की संख्या	लीफलेट की संख्या
Printing & Supply of Leaflets with Multi colour printing on 80 GSM Maptho paper 44 E 231	0.64 पैसा	पटना नगर निगम	1	4,00,000
		नगर निगम	11	प्रति नगर निगम(पटना को छोड़कर) 1,00,000

(86)

569

		नगर परिषद	49	प्रति परिषद 40,000
Printing & Supply of Leaflets with Multi colour printing on 80 GSM Maplitho paper. (A4 Size)	0.64 पैसा	नगर विधायक	81	प्रति नगर पंचायत 20,000
		कुल	142	50,80,000

इसके अंतर्गत निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, यथा लीफलेट का सभी सार्वजनिक स्थलों पर वितरण
Door to Door Campaigning, Rally का आयोजन, Schools आदि जगहों पर प्रभात फेरी आदि का
आयोजन कराया जाना शामिल है।

2. लीफलेट की छापाई विभागीय पैनेल एजेंसी या निकाय स्तर पर चिन्हित संस्था के माध्यम से निर्धारित
अधिकतम दर Rs. 0.64 पैसा (चौंसठ पैसा), वर्णित आकार, Specification तथा विषय वस्तु के अनुरोध
(प्रति संलग्न) अपने स्तर पर नगर निकाय करा सकेंगे।

3. उक्त राशि का भुगतान SBM योजना के अधीन IEC मद से किया जायेगा।

अनुलग्नक:-

लीफलेट की प्रति विवरणी सहित संलग्न।

विश्वासभाजक
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(87)



बिहार सरकार

नगर विकास एवं अर्थशास्त्र विभाग

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2018 के तहत प्लास्टिक थैली पर दिनांक-23.12.2018 से पूर्ण प्रतिबंध के साथ दण्डात्मक प्रावधान एवं जुर्माना।

प्रतिबंध एवं अधिसूचना :-

संघीय सरकार एवं एन.एन.टी.एन. परिषद द्वारा प्रकाशित गजट दिनांक-24.10.2018 के माध्यम से सभी नगरपालिका नगर परिषद और नगर पंचायत को परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कंरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किया गया) के निर्माण, उपयोग, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर दिनांक-23.12.2018 से पूर्ण प्रतिबंध की आज्ञा दी गई है।

प्रभावी क्षेत्र :-

अधिसूचना के अंतर्गत सभी नगरपालिका नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिकारिता में कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, कंरी वाला अथवा सब्जी वाला आदि सम्मिलित है। प्लास्टिक कंरी बैग का उपयोग अथवा वितरण अथवा खरब पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के मंडारण अथवा वितरण के लिए नहीं किया जा सकता।

प्रतिबंध के तहत निम्न (अवधारणा) :-

- अथवा बायोमेडिकल (Bio Medical Waste) का संग्रहण, मंडारण में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक कंरी बैग (मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक)।
- अथवा पदार्थ का अथवा पदार्थों के पैकेजिंग हेतु प्रयोग होने वाले प्लास्टिक कंरी बैग।
- अथवा पदार्थों के पैकेजिंग हेतु प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैग (मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक)। किंतु, इसका पूर्ण संयोजन एवं उपयोग के लिए नगरपालिका नगर परिषद द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जुर्माना :-

विवरण	2000	3000	5000
प्लास्टिक कंरी बैग का उपयोगकर्ता			
व्यक्तिगत उपयोगकर्ता	1500	2500	3500
व्यावसायिक उपयोगकर्ता	2000	3000	5000
प्लास्टिक अपशिष्ट को धुने में फलाना	1000	1500	2000
प्लास्टिक अपशिष्ट को फलाना	1500	2000	2500

क्रियान्वयन :-

- सभी नगरपालिका नगर परिषदों द्वारा प्रतिदिन Plastic से बने थैलों का जस्ती एवं जुर्माना अनिवार्य।
- जिला प्रशासक की अध्यक्षता में गठित सिटी समीक्षा एवं निगरानी समिति द्वारा साप्ताहिक समीक्षा।

अपील :-

अपने कार्यों के अंतर्गत सभी अधिकारी, कर्मचारी, विनिर्माता-स्टॉकिस्ट/रिटेलर/स्ट्रीट भंडार/सब्जी विक्रेता एवं सभी व्यवसायिक संस्थानों को सूचित है कि कृपया उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्लास्टिक थैलों का उपयोग न करें। प्लास्टिक थैलों के स्थान पर अन्य पदार्थों का उपयोग करें।



'पर्यावरण सुरक्षित, तो हमारा परिवार सुरक्षित'

Annexure - 3E

सं०सं०-03/SBM-01-33/2018

398

न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

571

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-9/02/19

विषय :- Solid Waste Management Rule-2016 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) का नीति एवं रणनीति (Policy & Strategy) के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य के सभी नगर निकायों में इसे क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। Solid Waste Management Rule-2016 के अनुसार विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नीति एवं रणनीति (Policy & Strategy) अनुमोदित किया गया है, जिसकी प्रति अनुपालन हेतु (Soft Copy) e-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित नीति को अपने नगर निकायों में प्रभावी तरीके से लागू करने की कृपा करें।

विश्वासभजन,

9/2/2019
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

सोमवार, दिनांक 10 जून, 2019 को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की तृतीय बैठक का वृत्त।

572

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या पर्या0/वन-42/2002(खण्ड-1)-630(ई)/प0व0 दिनांक 15.09.2016 द्वारा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 11 के तहत राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की तृतीय बैठक सोमवार, दिनांक 10.06.2019 को अपराह्न 3.30 बजे स्वास्थ्य विभाग के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार।
2. श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार।
3. डॉ0 संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार।
4. श्री रवीश किशोर, वरीय उप-समाहर्ता, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।
5. श्रीमति इंदु कुमारी, ओ0एस0डी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
6. श्री अनिल कुमार गुप्ता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
7. डॉ0 संजय नाथ, विशेष कार्य पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार।
8. डॉ0 अजय कुमार, वरीय उपाध्यक्ष, आई0एम0ए0, बिहार।
9. डॉ0 ब्रजनन्दन कुमार, सचिव, आई0एम0ए0, बिहार।
10. श्री पीयूष कुमार नन्दन, सहायक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।
11. श्री राजीव कुमार, मे0 मेंडिकेयर इनवॉयरमेंटल मेनेजमेंट (प्रा0.) लि0, मुजफ्फरपुर।
12. श्री संजय कौशिक, मे0 सिनर्जी वेस्ट मेनेजमेंट (प्रा0) लि0, भागलपुर।
13. श्री संजय कुमार सिंह, मे0 संगम मेंडिसर्व (प्रा0) लि0, पटना।
14. डॉ0 नवीन कुमार, वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।
15. श्री मनोरंजन कुमार सिंह, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।

बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा समिति की दूसरी बैठक में लिए गये निर्णयों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा किये गये अनुपालन के संबंध में जानकारी दी गई। समिति की दूसरी बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन के क्रम में डॉ0 संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में डॉ0 नवीन कुमार ने सूचित किया कि पशु चिकित्सालयों द्वारा प्राधिकार हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया गया है परन्तु, सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के साथ सम्बद्ध नहीं होने के कारण ऐसे आवेदनों को पर्षद् द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. सभी पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के साथ सम्बद्ध कराने एवं 10 दिनों के अन्दर सभी संस्थानों द्वारा पर्षद् से प्राधिकार हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पर्षद् एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

(कार्रवाई : पशुपालन विभाग / बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्)



573

2. सभी APHC, HSC आदि को सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के साथ सम्बद्ध कराकर पर्वद से प्राधिकार प्राप्त कराने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

3. पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार राज्य में दो अतिरिक्त सामूहिक जीव-चिकित्सा केन्द्र की स्थापना हेतु 15 दिनों के अन्दर कोइलवर एवं मधेपुरा में सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों की स्थापना हेतु निविदा प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

4. सभी सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों से सम्बद्ध जिलावार स्वास्थ्य संस्थानों की सूची एवं रूट चार्ट उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई : CBWTF संचालक)

5. स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार के लिये मार्गदर्शन हेतु पर्वद द्वारा तैयार किये गये लीफलेट को हिन्दी में अनुवाद करा कर सभी सिविल सर्जन को हस्तगत कराया जाय तथा इसे बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय। इसकी प्रतियाँ निजी संस्थानों के वितरण हेतु आई0 एम0 ए0, बिहार को भी उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद)

6. सरकारी अस्पतालों में बहिष्काव शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

7. जिन जिलों में अनुश्रवण समिति की बैठक की गई है, उसकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं शेष जिलों में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

8. जिला अनुश्रवण समितियों में आई0 एम0 ए0 के प्रतिनिधित्व के लिये सभी जिलों के लिये एक-एक नोडल पदाधिकारी को नामित करने हेतु आई0 एम0 ए0 की राज्य इकाई द्वारा दो सप्ताह के अन्दर एक सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्रवाई : आई0 एम0 ए0, बिहार)

9. श्री संजय कौशिक, मे0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट (प्रा0) लि0, भागलपुर द्वारा सूचित किया गया कि जीव चिकित्सा अपशिष्टों के संग्रहण हेतु बार कोडिंग का कार्य शुरु कर दिया गया है।

10. सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के बेहतर अनुश्रवण हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार मोबाइल एप शीघ्रताशीघ्र तैयार किया जाय।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

11- घरों से निकलने वाले जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का पृथक्करण कर उठाव किया जाय एवं नगरीय कचरा के साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट के मिलाने पर सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई : नगर विकास एवं आवास विभाग)

12. मे0 एस0 आर0 सोलूसन्स के आवेदन के आलोक में निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित स्थल - कोइलवर एवं मधेपुरा में ही दो अतिरिक्त सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

13. पैथोलॉजिकल लैब एवं डेन्टल क्लिनिक द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार हेतु पूर्व निर्धारित दर पर ही भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

14. जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के तय समय सीमा के अन्दर सफल कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों को निदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/-

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ।

ज्ञापांक:-B-3493

पटना, दिनांक:-22.6.19

प्रतिलिपि:-समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव

57503
Annexure-5

ACTION PLAN FOR MANAGEMENT OF BIO-MEDICAL WASTE IN THE STATE OF BIHAR



बिहार सरकार

Department of Health, Government of Bihar

576

94

CONTENTS

Sl. No.	Contents	Page No.
1	Background	3
2	Bihar: An Overview	4-5
3	Status of Healthcare Facilities in the State of Bihar & Bio-Medical Waste	6-10
4	Prescribed Authorities & their Duties	11-13
5	Treatment & Disposal Facilities in the State of Bihar	14-16
6	Awareness & Training	17
7	Comprehensive Action Plan for Management of Bio-Medical Waste in the State of Bihar	18-22
8	Monitoring Mechanism for Implementation	23

1. BACKGROUND

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India has notified the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 vide notification G.S.R 343 (E), dated-28.03.2016 in supersession of the Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 1998. Under the rules, "**Bio-Medical Waste**" is defined as the waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or research activities pertaining there to or in the production or testing of biological or in health camps, including the categories mentioned in Schedule-I of the rules.

These rules apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle bio medical waste in any form including hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, animal houses, pathological laboratories, blood banks, AYUSH hospitals, clinical establishments, research or educational institutions, health camps, medical or surgical camps, vaccination camps, blood donation camps, first aid rooms of schools, forensic laboratories and research labs. "**Bio-medical waste treatment and disposal facility**" means any facility where in treatment, disposal of bio-medical waste or processes incidental to such treatment and disposal is carried out and includes common bio-medical waste treatment facilities. "**Handling**" in relation to bio-medical waste includes the generation, sorting, segregation, collection, use, storage, packaging, loading, transportation, unloading, processing, treatment, destruction, conversion, or offering for sale, transfer, disposal of such waste.

The person having administrative control over the institution and the premises generating bio-medical waste, which includes hospital, nursing home, clinic, dispensary, veterinary institution, animal house, pathological laboratory, blood bank, healthcare facility and clinical establishment, irrespective of their system of medicine and by whatever name they called are known as "**Occupiers**" and are responsible to take necessary steps to ensure that Bio-Medical Waste are handled without any adverse effect to human health and the environment, in accordance with aforesaid rules.

96
578

2. BIHAR: AN OVERVIEW

Bihar is bounded by Nepal in north, Jharkhand in the south, West Bengal in the east and Uttar Pradesh in the west. The Bihar plain is divided into two unequal halves by river Ganga which flows from west to east. It occupies a total geophysical area of 94,163km² and has a population of 10.41 Crores (10,40,99,452) as per census 2011. Out of total population of Bihar, 11.29% people live in urban areas and 88.71% in rural areas. The physical and administrative features of the State are presented as here under:-

Physical Features of the State of Bihar:-

Particulars	Census 2011	Census 2001
Approximate Population	10.41 Crores	8.3 Crores
Actual Population	104,099452	82,998,509
Population Growth	25.42 %	28.43 %
Percentage of total population of India	8.60%	8.07%
Rural Area (km ²)	92,257.51	92,257.51
Urban Area(km ²)	1095.49	1095.49
Total Area (km ²)	94163	94163
Density/km ²	1106	881
Rural Population	88.71% (92,341,436)	74,316,709
Urban Population	11.29% (11,758,016)	86,81,800

94

579

Administrative Units in the State of Bihar:-

Divisions	9
Districts	38
Sub-divisions	101
CD blocks	534
Panchayats	8471
Number of Revenue Villages	45103
Number of Towns	130

98
580

3. Status of Healthcare Facilities in the State of Bihar & Bio-Medical Waste

3.1 Status of Health Care Facilities under Health Department, Govt. of Bihar (District Wise)

Sl. No.	Name of District	No. of HCF	No. of Bedded HCF	No. of beds (If HCF is bedded)	No. of Non-Bedded HCF	BMW generated (In Kgs)	HCFs Attached to CBWTF	HCFs not attached to CBWTF
							(In Nos.)	(In Nos.)
1	Araria	238	26	487	212	159.30	238	0
2	Arwal	98	15	216	83	27.09	98	0
3	Aurangabad	326	57	471	269	118.76	326	0
4	Banka	307	42	276	265	70.00	307	0
5	Begusarai	333	19	378	314	98.07	333	0
6	Bhagalpur	376	48	929	328	552.71	376	0
7	Bhojpur	350	21	364	329	146.70	350	0
8	Buxar	203	40	322	163	133.46	203	0
9	Darbhanga	333	21	1343	312	628.91	333	0
10	East Champaran	516	39	424	477	532.05	516	0
11	Gaya	514	42	1327	472	287.10	514	0
12	Gopalganj	225	33	483	192	97.44	225	0
13	Jamui	314	21	353	293	137.33	314	0
14	Jehanabad	154	33	318	121	149.30	154	0
15	Kaimur	230	14	372	216	220.90	230	0
15	Katihar	408	61	565	347	221.56	408	0
17	Khagaria	205	15	246	190	174	205	0
18	Kishanganj	156	13	196	143	156.82	156	0
19	Lakhisarai	122	26	266	96	54.80	122	0
20	Madhepura	310	25	234	285	203.75	310	0
21	Madhubani	516	57	728	459	163.05	516	0
22	Munger	199	35	298	164	100.80	199	0
23	Muzaffarpur	615	16	1239	599	275.19	615	0
24	Nalanda	448	40	1211	408	480.28	448	0
25	Nawada	379	20	599	359	144.65	379	0
26	Patna	522	34	3816	488	1226.71	522	0
27	Purnia	389	47	664	342	434.50	389	0
28	Rohtas	317	25	328	292	309.20	317	0
29	Saharsa	198	21	426	177	209.35	198	0
30	Samastipur	440	31	572	409	322.89	440	0
31	Saran	483	67	876	416	172.76	483	0
32	Sheikhpura	110	12	170	98	58.85	110	0
33	Sheohar	110	6	153	104	82.65	110	0
34	Sitamarhi	269	24	343	245	90.19	269	0
35	Siwan	471	34	403	437	247.64	471	0
36	Supaul	212	18	264	194	101	212	0
37	Vaishali	395	55	549	339	311.6	395	0
38	West Champaran	424	19	644	405	548.83	424	0
	Total	12215	1173	22853	11042	9450.19	12215	0

(98)

581

98

3.2 Status of Health Care Facilities under Private Sector (District Wise)

S. No.	Name of District	No. of HCF	No. of Bedded HCF	No. of beds (If HCF is bedded)	No. of Non-Bedded HCF	BMW generated (In Kgs)	HCFs Attached to CBWTF	HCFs not attached to CBWTF
							(In Nos.)	(In Nos.)
1	Araria	118	21	193	97	264.90	55	63
2	Arwal	18	5	63	13	49.00	4	14
3	Aurangabad	69	48	583	21	329.50	50	19
4	Banka	80	8	84	72	144.00	24	56
5	Begusarai	308	119	1199	189	866.50	134	174
6	Bhagalpur	450	124	1885	326	1363.30	192	258
7	Bhojpur	292	78	80	214	611.50	20	272
8	Buxar	58	25	360	33	101.90	9	49
9	Darbhanga	359	155	2084	204	726.00	98	261
10	East Champaran	325	137	1891	188	714.30	69	256
11	Gaya	354	179	1717	175	1010.90	214	140
12	Gopalganj	212	95	1189	117	459.80	71	141
13	Jamui	68	26	282	42	200.20	22	46
14	Jehanabad	30	14	131	16	88.00	16	14
15	Kaimur	9	5	64	4	15.30	9	0
16	Katihar	191	60	1251	131	556.70	105	86
17	Khagaria	97	34	295	63	225.30	48	49
18	Kishanganj	169	48	1126	121	392.80	80	89
19	Lakhisarai	122	26	266	96	54.80	122	0
20	Madhepura	105	35	484	70	224.10	34	71
21	Madhubani	124	48	995	76	292.00	60	64
22	Munger	108	25	234	83	260.40	69	39
23	Muzaffarpur	532	213	3094	319	1331.00	152	380
24	Nalanda	392	124	1941	268	937.80	22	370
25	Nawada	133	46	372	87	283.20	73	60
26	Patna	3712	753	10661	2959	6644.40	490	3222
27	Purnia	296	87	1133	209	857.90	77	219
28	Rohtas	127	44	1147	83	274.20	0	127
29	Saharsa	182	51	1085	131	413.40	40	142
30	Samastipur	712	295	3158	417	1618.89	186	526
31	Saran	323	79	931	244	636.30	49	274
32	Sheikhpura	28	15	121	13	81.90	6	22
33	Sheohar	20	9	92	11	36.60	6	14
34	Sitamarhi	267	68	980	199	460.30	62	205
35	Siwan	295	157	1893	138	661.00	95	200
36	Supaul	195	48	486	147	329.50	32	163
37	Vaishali	592	259	2625	333	1274.00	188	404
38	West Champaran	119	60	745	59	279.20	20	99
	Total	11591	3623	46920	7968	25070.79	3003	8588

582

100

**3.3 Status of Health Care Facilities under Other Dept. of State
(Other than Health Dept., Govt. of Bihar- District Wise)**

Sl. No.	Name of District	No. of HCF	No. of Bedded HCF	No. of beds (If HCF is bedded)	No. of Non-Bedded HCF	BMW generated (In Kgs)	HCFs Attached to CBWTF	HCFs not attached to CBWTF
							(In Nos.)	(In Nos.)
1	Araria	23	0	0	23	5.6	0	23
2	Arwal	10	0	0	10	3.2	0	10
3	Aurangabad	35	0	0	35	2.31	0	35
4	Banka	30	0	0	30	1.92	0	30
5	Begusarai	30	1	25	29	17.18	0	30
6	Bhagalpur	36	0	0	36	10.94	0	36
7	Bhojpur	31	0	0	31	10.99	0	31
8	Buxar	24	1	80	23	16.46	0	24
9	Darbhanga	34	3	18	31	8.23	0	34
10	East Champaran	48	0	0	48	6.11	0	48
11	Gaya	60	4	88	56	18.42	2	58
12	Gopalganj	27	1	30	26	5.23	0	27
13	Jamui	25	0	0	25	11.08	0	25
14	Jehanabad	17	0	0	17	1.1	0	17
15	Kaimur	22	0	0	22	1.78	0	22
16	Katihar	28	0	0	28	4.38	0	28
17	Khagaria	24	1	20	23	13.34	0	24
18	Kishanganj	25	0	0	25	11.88	0	25
19	Lakhisarai	15	0	0	15	2.21	0	15
20	Madhepura	27	0	0	27	2.32	0	27
21	Madhubani	46	0	0	46	9.89	1	45
22	Munger	20	0	0	20	2.43	0	20
23	Muzaffarpur	38	0	0	38	5.28	0	38
24	Nalanda	42	4	38	38	6.54	0	42
25	Nawada	38	0	0	38	2.15	0	38
26	Patna	56	4	267	52	24.26	4	52
27	Purnia	36	0	0	36	5.24	0	36
28	Rohtas	37	0	0	37	4.86	0	37
29	Saharsa	26	0	0	26	7.18	0	26
30	Samastipur	42	2	150	40	29.78	0	42
31	Saran	43	0	0	43	1.19	0	43
32	Sheikhpura	17	0	0	17	1.53	0	17
33	Sheohar	8	0	0	8	2.24	0	8
34	Sitamarhi	32	0	0	32	4.44	0	32
35	Siwan	36	2	29	34	8.78	2	34
36	Supaul	31	0	0	31	8.53	0	31
37	Vaishali	27	1	35	26	10.64	0	27
38	West Champaran	44	1	10	43	2.28	0	44
	Total	1190	25	790	1165	291.92	9	1181

583

101

3.4 Consolidated Status of all Healthcare Facilities in the State of Bihar- District Wise)

Sl. No.	Name of District	No. of HCF	No. of Bedded HCF	No. of beds (If HCF is bedded)	No. of Non-Bedded HCF	BMW generated (In Kgs)	HCFs Attached to CBWTF	HCFs not attached to CBWTF
							(In Nos.)	(In Nos.)
1	Araria	379	47	680	332	429.8	293	86
2	Arwal	126	20	279	106	79.29	102	24
3	Aurangabad	430	105	1054	325	450.57	376	54
4	Banka	417	50	360	367	215.92	331	86
5	Begusarai	671	139	1602	532	981.75	467	204
6	Bhagalpur	862	172	2814	690	1926.95	568	294
7	Bhojpur	673	99	444	574	769.19	370	303
8	Buxar	285	66	762	219	251.82	212	73
9	Darbhanga	726	179	3445	547	1363.14	431	295
10	East Champaran	889	176	2315	713	1252.46	585	304
11	Gaya	928	225	3132	703	1316.42	730	198
12	Gopalganj	464	129	1702	335	562.47	296	168
13	Jamui	407	47	635	360	348.61	336	71
14	Jehanabad	201	47	449	154	238.4	170	31
15	Kaimur	261	19	436	242	237.98	239	22
16	Katihar	627	121	1816	506	782.64	513	114
17	Khagaria	326	50	561	276	412.64	253	73
18	Kishanganj	350	61	1322	289	561.5	236	114
19	Lakhisarai	259	52	532	207	111.81	244	15
20	Madhepura	442	60	718	382	430.17	344	98
21	Madhubani	686	105	1723	581	464.94	577	109
22	Munger	327	60	532	267	363.63	268	59
23	Muzaffarpur	1185	229	4333	956	1611.47	767	418
24	Nalanda	882	168	3190	714	1424.62	470	412
25	Nawada	550	66	971	484	430	452	98
26	Patna	4290	791	14744	3499	7895.37	1016	3274
27	Purnia	721	134	1797	587	1297.64	466	255
28	Rohtas	481	69	1475	412	588.26	317	164
29	Saharsa	406	72	1511	334	629.93	238	168
30	Samastipur	1194	328	3880	865	1971.56	626	568
31	Saran	849	146	1807	703	810.25	532	317
32	Sheikhpura	155	27	291	128	142.28	116	39
33	Sheohar	138	15	245	123	121.49	116	22
34	Sitamarhi	568	92	1323	476	554.93	331	237
35	Siwan	802	193	2325	609	917.42	568	234
36	Supaul	438	66	750	372	439.03	244	194
37	Vaishali	1014	316	3209	698	1596.24	583	431
38	West Champaran	587	80	1399	507	830.31	444	143
	Total	24996	4821	70563	20175	34812.9	15227	9769

A total number of 12,215 HCFs has been identified in the State which includes 1,173 bedded HCFs and 11,042 non-bedded HCFs under the department of Health, Govt. of Bihar. A number of 3,623 bedded and 7,968 non-bedded healthcare facilities are operating under private sector and other departments of State/Central Govt apart from Health Department, Government of Bihar. Furthermore, a total number of 1,190 HCFs has been identified running in the state of Bihar apart from Health Department, Govt. of Bihar and private HCFs which includes railway hospitals, bidi hospitals, armed force hospitals and jail hospitals, among others. All bedded government healthcare facilities are tied up with CBMWTF. However, a letter has been issued to all the districts further to tag all the remaining non-bedded government HCFs (HSC and APHC). 75% HCFs among all the private bedded healthcare facilities have been tied-up with CBMWTF (Common Bio-Medical Waste Treatment Facility) followed by tagging the remaining private healthcare facilities.

An estimated 34,812.9 Kg/day of Bio-Medical Waste is generated, for the treatment and disposal of which there are four Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities located at Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Gaya and three captive treatment facilities with a total capacity of 33,600 kg/day operating in the State of Bihar. In addition to these bio-medical treatment facilities two more common bio-medical waste treatment facilities are proposed to be established at Bhojpur and Madhepura.

4. Prescribed Authorities and their duty under rule-9 of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016

1. The prescribed authority for implementation of the provisions of these rules shall be the State Pollution Control Boards in respect of States and Pollution Control Committees with respect of Union territories.
2. The prescribed authorities shall comply with the responsibilities as stipulated in Schedule III of these rules as detailed below:-

Sl. No.	Authority	Corresponding Duties
1	Department of Health, State Government	<ol style="list-style-type: none">1. To ensure implementation of the rule in all health care facilities or occupiers.2. Allocation of adequate funds to Government healthcare facilities for bio-medical waste management.3. Procurement and allocation of treatment equipments and make provision for consumables for bio-medical waste management in Government health care facilities.4. Constitute State or District Level Advisory Committees under the District Magistrate or Additional District Magistrate to oversee the bio-medical waste management in the Districts.5. Advise State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on implementation of these Rules.6. Implementation of recommendations of the Advisory Committee in all the health care facilities.

2	State Pollution Control Board	<ol style="list-style-type: none">1. Inventorisation of Occupiers and data on bio-medical waste generation, treatment & disposal.2. Compilation of data and submission of the same in annual report to Central Pollution Control Board within the stipulated time period.3. Grant and renewal, suspension or refusal cancellation or of authorisation under these rules (Rule 7, 8 and 10).4. Monitoring of compliance of various provisions and conditions of authorisation.5. Action against health care facilities or common biomedical waste treatment facilities for violation of these rules (Rule 18).6. Organizing training programmes to staff of healthcare facilities and common bio-medical waste treatment facilities and State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees Staff on segregation, collection, storage, transportation, treatment and disposal of bio-medical wastes.7. Undertake or support research or operational research regarding bio-medical waste management.8. Any other function under these rules assigned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board from time to time.9. Implementation of recommendations of the Advisory Committee.10. Publish the list of Registered or Authorized (or give consent) Recyclers.11. Undertake and support third party audits of the common bio-medical waste treatment facilities in their State.
---	--------------------------------------	---

3	Municipalities or Corporations, Urban Local Bodies and Gram Panchayats	<ol style="list-style-type: none">1. Provide or allocate suitable land for development of common bio-medical waste treatment facilities in their respective jurisdictions as per the guidelines of Central Pollution Control Board.2. Collect other solid waste (other than the biomedical waste) from the health care facilities as per the Municipal Solid Waste (Management and handling) Rules, 2000 or as amended time to time.3. Any other function stipulated under these Rules.
---	---	---

As per Rule 12(4) of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 District Level Monitoring Committees have been constituted in the State to oversee and monitor the compliances of the provisions of the rules by the Occupiers of Health Care Facilities and Operators of the Common Treatment Facilities of the District. These Committees have been instructed by the State Level Advisory Committee to monitor and ensure compliances of provisions of the rules by all the Govt. and non-Govt. Health Care Facilities of the district.

5. Treatment & Disposal Facilities in the State:

In the State of Bihar four Common Bio-Medical Waste Treatment & Disposal Facilities (CBWTF) are presently operational for treatment and disposal of bio-medical wastes generated from different districts. These Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities were selected by State Health Society, Bihar for collection, treatment and disposal of bio-medical wastes generated by all the government hospitals of the State upto primary health centers with specific districts allotted to each of them. These Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities are authorized to collect, treat and dispose bio-medical waste generated from private healthcare facilities also. The CBWTFs with districts covered by them are detailed below: -

Sl. No.	Name/ Address of the CBWTF	Districts covered	Capacity	Tie-Up Status (No. of HCF tied-up with CBMWTF)
1	M/s Indira Gandhi Institute of Medical Science, Sheikhpura, Patna (Operated by: M/s Sangam Mediserve Pvt. Ltd.)	Patna, Bhojpur, Buxar, Nalanda, Rohtas and Bhabhua.	(i) Incinerator-250 kg/hr (ii)Autoclave-200 ltrs/batch (iii)Shredder-200 kg/hr	2,624
2	M/s Synergy Waste Management (P) Ltd., Hanuman Ghat Road, Jawaharlal Nehru Medical College Hospital, Bhagalpur.	Banka, Bhagalpur, Begusarai, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Munger, Katihar, Purnea, Araria and Kishanganj.	(i) Incinerator-300 kg/hr (ii)Autoclave-2200 ltrs/batch (iii)Shredder-300 kg/hr	3,975

589

~~107~~

3	M/s Medicare Environmental Management (P) Ltd., Muzaffarpur Industrial Area, P.O.-Bela, Muzaffarpur.	Muzaffarpur, Sitamarhi, Sheohar, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Saran, Siwan, Gopalganj, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Sahrasa, Madhepura and Supaul.	(i) Incinerator-250 kg/hr (ii) Autoclave-648 ltrs/batch (iii) Shredder-100 kg/hr	6,682
4	M/s Synergy Waste Management (P) Ltd., Anugrah Narayan Medical College, Gaya.	Arwal, Aurangabad, Gaya, Jehanabad, Nawada & Sheikhpura.	(i) Incinerator-300 kg/hr (ii) Autoclave-2200 ltrs/batch (iii) Shredder-300 kg/hr	1,946

In addition to above there are three captive treatment plants for disposal of Bio-Medical Waste generated by the respective units installed at Patna Medical College and Hospital, Patna; Katihar Medical College, Katihar and MGM Medical College and Hospital, Kishanganj the details of which are as mentioned below:

590

~~108~~

Status of Captive Treatment Facilities in the State of Bihar

Sl. No.	Name/ Address of Healthcare Facility	No. of Beds	Total installed capacity in kg/hrs		
			Incinerator	Autoclave	Shredder
1	Patna Medical College & Hospital, Ashok Raj Path, Patna-800004	1675	200/hr.	200L/hr.	50kg/hr.
2	M/s MGM Medical College and LSK Hospital, Dinajpur Road, Kishanganj-855107	666	50kg/hr.	200L/hr.	25kg/hr.
3	Katihar Medical College, Karim Bagh, Post Box-23, Katihar-854105	619	50kg/hr.	200L/hr.	25kg/hr.

6. Awareness & Training

In the state of Bihar, training and awareness programmes are being organized by State Health Society as well as State Pollution Control Board with the help of IMA. For instance, in 2018 one of the training was organized at the district level which includes participants (Incharges, Managers, Officers, and Representatives) across government healthcare facilities, private hospitals, nursing home, clinics, dispensaries, pathological laboratories, blood bank, AYUSH hospitals, clinical establishments, animal houses, veterinary hospitals, forensic laboratories and research laboratories, among others regarding the Bio-Medical Waste Rules, 2016. Furthermore, SHSB (State Health Society, Bihar) also organized TOT (Training of Trainers) on Infection Control and Bio-Medical Waste Management. Five representatives each from 36 District Hospitals and 7 Medical Colleges attended the TOT event. Through training, Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 2016 aimed to make them aware and informed regarding the issues and challenges relevant to health and environmental risk, bio-medical wastes; purpose of IMEP, policies, legislation and regulations, guidelines from Central Pollution Control Board and organizational arrangements, among others. Furthermore, training also aimed to explain about the handling, storage, segregation, collection and disposal of bio medical waste generated through bedded and non-bedded healthcare facilities. All the concerned agencies are looking forward to further implement and strengthen the regular comprehensive training programs even at the PHC level to speed up meeting the compliance and aforesaid rules as laid down by Bio-Medical Waste Rules, 2016.

592

~~110~~

7. Comprehensive Action Plan for Management of Bio-Medical Waste in the State of Bihar

Sl. No.	Action Plan	Implementing Agency	Implementation Period (Short/Mid/Long term)	Time Target for implementation	Status/Remarks
1	Inventorization of occupiers & data on Bio-Medical Waste generation, treatment & disposal.	BSPCB	Short	31.03.2019	Complied. Inventorization shall be updated every year.
2	Constitution of State Level Advisory Committee under Chairmanship of Principal Secretary, Health Department, Govt. of Bihar to oversee the implementation of the rules.	Department of Health	Short	31.03.2019	Complied: State Level Advisory Committee has been constituted by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide ref. no.630(E) dated 15.09.2016. Two meetings of the committee have been held on 06.07.2017. & 11.05.2018.

593

~~111~~

3	Constitution of District Level Monitoring Committee under Chairmanship of respective District Magistrate to monitor the compliance of the provisions of the rules.	Department of Health	Short	30.09.2019 Meetings at all the districts to be ensured by the target date	Complied. District Level Monitoring Committees have been constituted by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide ref. no.629(E) dated 15.09.2016 and revised vide ref. no. 21(E) dated 13.01.2017. Meetings are being conducted at district level.
4	Establishment of additional Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities (CBWTFs).	Department of Health	Long	31.03.2020	State has decided to establish two more CBWTFs one each at Bhojpur and Madhepura.
5	To provide suitable land for establishment of additional CBWTFs	Local Authorities	Mid	31.12.2019	For additional CBWTFs as per the Guidelines notified by CPCB for the purpose.

594

H2

6	Procurement and allocation of treatment equipments and make provision for consumables for bio-medical waste management in Government health care facilities.	SHSB	Short	30.09.2019	
7	Allocation of adequate funds to Government health care facilities for bio-medical waste management.	Department of Health	Mid	31.03.2020	ETP (Effluent Treatment Plant) are being installed at all Govt. HCF upto CHC/PHC level. Technical Approval and Cost Estimation from BMSICL (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited) has been proposed.
8	Ensuring operation of HCFs with due authorization & compliances of the rule and implementation of recommendations of Advisory Committee in all the HCFs.	BSPCB	Mid	31.12.2019	BSPCB has issued Proposed Closure Directions to 1318 defaulting units out of which 459 have been issued Closure Directions. Complaint cases have also been filed against 93 erring units.
	a. Segregation of bio-medical wastes as per colour code specified in the rules.	DLMC	Short	30.09.2019	
	b. To ensure tie-up of all Govt./Non-Govt. bedded HCFs	Department of Health	Short	30.09.2019	

595

~~113~~

	c. To ensure tie-up of all Non-bedded HCFs	DLMC	Mid	31.12.2019	
	d. To obtain Authorization under the Rules.	DLMC/BSPCB	Mid	31.12.2019	
	e. Installation of ETP in all Bedded Govt. Hospitals	Department of Health/ SHSB	Long	31.03.2020	
	f. To obtain CTE/CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981	Department of Health/ SHSB	Long	31.03.2020	
9	Establishment of bar coding system in CBWTFs	BSPCB	Mid	31.12.2019	Bar Coding System has been initiated by the operators of CBWTFs. All HCFs would be covered by the target date.
10	Implementation of the provisions of the rules in veterinary institutions- a. Tie up with CBWTFs. b. To obtain authorization from BSPCB.	Department of Animal & Fisheries Resources	Short	30.09.2019	
11	Third Party Audit of the CBWTFs of the State.	BSPCB	Mid	31.12.2019	

596

~~114~~

12	Organizing of training/awareness programme for management of bio-medical waste.	SHSB/ BSPCB	Regular		Training programmes have been organized by SHSB/BSPCB at all the commissionerary towns of the State & many districts. To be ensured that all the districts are covered by the target date.
----	---	-------------	---------	--	--

(114)

597

~~HS~~

8. Monitoring mechanism for implementation: The aforesaid action plan shall be implemented by respective implementing agencies in coordination with Department of Health, Govt. of Bihar & Bihar State Pollution Control Board. It will be reviewed by the State Level Advisory Committee on Bio-Medical Waste Management in its meeting every six months.

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

- : अधिसूचना :-

संचिका सं. :-03/विविध-16-12/2019

1952

दिनांक :- 05/4/19

माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है। इसके लिये विचारोपरान्त राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में (i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में (i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर का चयन करते हुए अधिसूचित किया जाता है।

2. इन सभी छः शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार निम्नांकित कार्यों को आगामी छः माह के अंदर पूर्ण किया जाना है :-

- (i) सभी वार्डों में कचड़े का Door to Door संग्रहण।
- (ii) सभी वार्डों में Source Segregation।
- (iii) पृथक्कृत कचड़े का अलग-अलग परिवहन।
- (iv) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण (Compost Pit एवं MRF) हेतु भूमि का चयन।
- (v) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में Lease पर जमीन लेना।
- (vi) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु गीले कचड़े के लिए Compost Pit का निर्माण एवं सूखे कचड़े के लिए Material Recovery Centre का निर्माण।
- (vii) Landfill Facility हेतु सरकारी भूमि का चयन।
- (viii) Landfill Facility हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता में रैयति भूमि का अधिग्रहण।
- (ix) Construction and Demolition Waste के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु Agency का चयन करते हुए कार्य प्रारंभ किया जाना।
- (x) Legacy Waste को चिन्हित करते हुए उनके निपटान हेतु Agency का चयन।
- (xi) समय-समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा निर्देश दी जायगी।

3. उपरोक्त कार्यों को वर्तमान में जारी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किये जाने हेतु निर्वाचन विभाग के पत्रांक-2262, दिनांक-29.03.2019 द्वारा सहमति संसूचित की गई है।

विश्वसनीय,

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक:-25 अप्रैल, 2019 को आहूत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A. No.-606/2018 में के पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में चयनित मॉडल शहर की प्रथम बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार :-

I. उद्देश्य :- माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है।

विभागीय अधिसूचना सं.-1952, दिनांक-05.04.2019 के द्वारा राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में (i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में (i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर को अधिसूचित किया गया है।

II. अनुपालन :- इन सभी छः शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार निम्नांकित कार्यों को आगामी छः माह के अंदर पूर्ण किया जाना है :-

- (i) शत प्रतिशत বাড়ों के घरों से कचरे का पृथक्कीरण एवं पृथक्कृत कचरे को Door to Door संग्रहण एवं परिवहन।
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए गीले कचरे का Compost Pit के माध्यम से एवं सूखे कचरे का प्रसंस्करण के लिए Material Recovery Facility (MRF) अधिष्ठापन के लिए भूमि का अधिग्रहण या क्रय कर Compost Pit एवं MRF का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
- (iii) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रसंस्करण हेतु भूमि को Lease या किराया पर EOI के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- (iv) Sanitary Landfill के लिए सरकारी भूमि का चयन। सरकारी भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि का क्रय/अधिग्रहण।
- (v) Legacy Waste (विरासत अपशिष्ट) को चिन्हित कर निपटान हेतु एजेंसी का चयन कर प्रसंस्करण सुनिश्चित कराना।
- (vi) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C & D Waste) का संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु एजेंसी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करना।

बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (SWM Rules, 2016) के क्रियान्वयन के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के द्वारा दिनांक-15.03.2019 के पारित आदेश की चर्चा की गई। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

कार्यवाही की मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. प्रधान सचिव द्वारा सभी 06 शहरों के पदाधिकारियों से निकाय में चल रहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई :-

600
#18

क्र. सं.	शहर का नाम	कुल वार्डों की संख्या	वर्तमान में कचरे का पृथक्कीकरण वार्डों की सं.	डोर टू डोर कचरा उठाव वार्डों की सं.	शेष वार्डों की सं.		लक्ष्य प्राप्ति का समय	कंपोस्टिंग प्रसंस्करण की स्थिति (हाँ/नहीं)
					कचरे का पृथक्कीकरण वार्डों की सं.	डोर टू डोर वार्डों की सं.		
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	49	39	39	10	10	मई, 19	हाँ
2.	मुंगेर नगर निगम	45	30	30	15	15	मई, 19	हाँ
3.	बिहारशरीफ नगर निगम	46	0	46	46	0	मई, 19	नहीं
4.	सुपौल नगर परिषद	28	0	28	28	0	मई, 19	हाँ
5.	राजगीर नगर पंचायत	19	2	19	17	0	मई, 19	हाँ
6.	बोधगया नगर पंचायत	19	11	11	8	8	मई, 19	हाँ

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए वार्डों में शत-प्रतिशत कचरे का पृथक्कीकरण तथा डोर टू डोर कचड़ा उठाव का कार्य मई, 2019 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(अनुपालन :- चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- सभी शहरों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कचरे का प्रसंस्करण हेतु भूमि अधिग्रहण/उपलब्धता होने की जानकारी दी गई। प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी शहरों को कम्पोस्टिंग पीट का निर्माण मई माह तक सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया। तदुपरान्त सभी शहरों के पदाधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में निर्माण कराने की सहमति दी गई।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- नगर आयुक्तों द्वारा अधिग्रहित प्रसंस्करण भूमि का बाउंड्री दीवाल एवं अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय की जानकारी मांगी गई। प्रधान सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि नगर निकाय अपने आंतरिक राजस्व की राशि से बाउंड्री दीवाल, जमीन का भराव आदि कार्यों पर व्यय करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम्पोस्टिंग पीट/मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) एवं संबंधित उपकरण पर व्यय के लिए विभागीय स्तर से निर्मित संशोधित Model Estimate के अनुसार विभागीय राशि का नियमानुकूल व्यय किया जायेगा। संशोधित Model Estimate की प्रति विभाग द्वारा एक सप्ताह के अंदर भेजा जायेगा।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी चयनित मॉडल शहरों को साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित उपकरण की समीक्षा के दौरान सफाई एवं प्रबंधन उपकरण कमोवेश सभी निकायों में उपलब्धता की बात बतायी गई। पूर्व के बैठकों में निकाय अन्तर्गत वाहनों को कंपार्टमेंट कराने के लिए निदेश दिया गया था। परन्तु कुछ ही निकायों ने इसकी पुष्टि की। शेष निकायों को वर्तमान में उपलब्ध वाहनों का सूखा एवं गीला कचरा के लिए वाहनों के बीच कंपार्टमेंट बनवाया जाय। Source Segregation के लिए प्रयुक्त दो डस्टबीन हरा एवं नीला कुछ निकायों में खरीदने की बात बतायी गई। निदेश दिया गया कि डस्टबीन का क्रय GEM Portal से किया जा सकता है, परन्तु आदर्श आचार संहिता के कारण इसे लाभुकों में बाँटा नहीं जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शेष उपकरण एवं उपस्कर की खरीददारी वर्तमान में किया जा सकता है।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में डोर टू डोर कचरे का पृथक्कीकरण, पृथक्कीकृत कचरे का परिवहन एवं प्रसंस्करण कार्य हेतु NULM के तहत निकाय में उपलब्ध Self Help Groups (SHGs)/Federation की महिलाओं का क्षमतावर्द्धन कर कार्य में लगाया जाना है। इसके लिए बिहारशरीफ नगर निगम की तरह प्रति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 200 रु. (दो सौ रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से

(118)

मानदेय दिया जा सकता है। इन महिलाओं को Door to Door जाकर कचरे का Source Segregation के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु भी लगाया जा सकता है।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/टीम लीडर, एन.यू.एल.एम.)

6. प्रधान सचिव महोदय द्वारा NULM के टीम लीडर को इन सभी 06 शहरों को City Mission Manager को जिम्मेवारी देते हुए संबंधित शहरों Self Help Groups की महिलाओं का क्षमतावर्द्धन एवं प्रचार-प्रसार के लिए निदेशित किया गया। इस मॉडल के विकसित हो जाने पर शेष निकायों में भी लागू कराने का सुझाव दिया गया।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/टीम लीडर, एन.यू.एल.एम.)

7. मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में डोर टू डोर कचरा पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण में लगे हुए कर्मियों की संख्या की गणना कर एक मॉडल एवं वार्डवार कर्मियों की संख्या एवं भुगतान का प्रारूप तैयार कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस मॉडल के आधार पर राज्यस्तर से सभी निकायों के लिए कचरा प्रबंधन में कर्मियों के भुगतान पर सहमति प्रदान किया जाना है।

(अनुपालन :- नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम)

8. सभी चयनित शहरों द्वारा सेनेटरी लैंडफिल के लिए विशिष्टतापूर्ण भूमि उपलब्ध होने की संपुष्टि की गई। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा सेनेटरी लैंडफिल के लिए विशाखापट्टनम के तर्ज पर DPRs बनाने की बात रखी गई। तत्पश्चात् प्रधान सचिव महोदय द्वारा शेष निकायों को भी सेनेटरी लैंडफिल का DPRs मुजफ्फरपुर नगर निगम से सहयोग लेकर तैयार करने का निदेश दिया गया। छोटे शहरों को सेनेटरी लैंडफिल के लिए DPRs एवं तकनीकी सहायता के लिए नामामि गंगे के Environmental Expert को नामित करने का निदेश विशेष सचिव श्री संजय दयाल को दिया गया।

(अनुपालन :- नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर/Team Leader Namami Gange)

9. बैठक में मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा C & D Waste का EOI प्रकाशित होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा EOI को ज्यादा से ज्यादा इस कार्य में संलग्न एजेंसियों तक भेजने में तकनीकी सहायता हेतु टीम लीडर SBM को नामित किया गया।

(अनुपालन :- नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर/Team Leader, SBM)

10. सभी नगर निकायों को Bulk Garbage Generator एवं शहर के रिसाईक्लर (कबाड़ीवाला) को चिन्हित कर उनके साथ बैठक आयोजन कर Bulk Garbage Generator को अपने परिसर में कचरे का प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने एवं कबाड़ी वाले को सूखे कचरे को क्रय करने के लिए दर तय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

11. Material Recovery Facility Centre पर शहर में उपलब्ध रैगपीकर/वेस्ट पीकर/कचरा चुनने वाले/स्वयं सहायता समूह (SHGs) को नामित करते हुए उनका ID-Card निकाय द्वारा उपलब्ध कराकर एवं Safety के उपकरण जैसे-Hand Gloves, Shoes, Dress, Face Mask आदि उपलब्ध कराकर उन्हें सूखे कचरे का प्रसंस्करण कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

12. बैठक में उपस्थित बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सभी शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 का वार्षिक प्रपत्र फार्म-IV एवं फार्म-V का अनुपालन 30 मई, 2019 तक सभी नगर निकायों को सीधे राज्य प्रदूषण बोर्ड के Email-

602
120

bspcb@yahoo.com पर भेजने, साथ ही विभाग को भी प्रतिलिपि भेजने करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

13. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि शहरों में सरकारी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम से निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा नगर निकाय के वाहनों द्वारा नहीं लिया जायगा। अगर कोई अस्पताल या नर्सिंग होम नगरपालिका क्षेत्र में Bio-medical Waste फेंकते पाये जाते हों, तो बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी संसूचित किया जाय।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी/बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड)


14. सभी मॉडल शहरों को निगरानी के लिए प्रत्येक 15 दिनों पर VC के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय द्वारा अनुश्रवण किया जायगा। साथ ही निकाय भौतिक कार्य प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
मॉडल शहरों का Whatsaap Group के जरिए विभिन्न निकायों में चल रहे Best Practice को Share करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके लिए PMU को एक Model Whatsapp Group तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी/SBM-PMU)

15. प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी Model शहरों में कार्यों के अनुश्रवण हेतु एक Nodal पदाधिकारी के रूप में निम्न तालिका के अनुसार पदाधिकारियों को नामित किया गया है :-

क्र.सं.	मॉडल शहर का नाम	नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित	मोबाइल सं.
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	श्री संजय कुमार, विशेष सचिव	8860572708
2.	मुंगेर नगर निगम	श्री के.डी. प्रोज्जवल कुमार, उप सचिव	7903161005
3.	बिहारशरीफ नगर निगम	श्री विनोदानंद झा, अपर आयुक्त	9470488552
4.	सुपौल नगर परिषद	श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव	9431229390
5.	राजगीर नगर पंचायत	श्रीमति इंदु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	7631666015
6.	बोधगया नगर पंचायत	श्री अरविंद झा, संयुक्त सचिव	9431277900

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।



प्रधान, सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03/SBM-01-11/2019

1209

दिनांक :- 06/11/19

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव/श्री विनोदानंद झा, अपर आयुक्त/श्री अरविंद झा, संयुक्त सचिव/श्री के.डी. प्रोज्जवल, उप सचिव/नोडल पदाधिकारी, SBM/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/Team Leader State PMU, SBM/Team Leader, SPMG/Team Leader, NUI.M बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


प्रधान सचिव

(120)

पत्रांक-840/वि0-5-12/2019/3329/पं0रा0

121

603

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25/05/2019

विषय: ग्रामीण क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में।

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में हुई बैठक, दिनांक-01.04.2019 की कार्यवाही का संदर्भ किया जाए, जो विभागीय पत्रांक-2618 दिनांक-18.04.2019 द्वारा आपको प्रेषित है।

2. इस संबंध में निम्नवत् अग्रोत्तर कार्रवाई की जाए :-

- (i) सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में 2 अक्टूबर, 2019 तक हर घर से डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथकीकरण की सुविधा स्थापित कराई जाए।
- (ii) प्रत्येक 2 वार्डों पर एक Cart की व्यवस्था अपेक्षित होगी, जिसका दो वार्डों के स्वच्छता कर्मी संयुक्त संचालन करेंगे।
- (iii) पंचायत को वार्ड के प्रत्येक घर से सूखा एवं गीला कचरा संग्रहण के लिये अलग-अलग Dustbin की व्यवस्था करनी होगी।
- (iv) प्रत्येक राजस्व ग्राम में, पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर वर्मी कम्पोस्ट इकाई तैयार किया जाए।
- (v) ठोस अवशिष्ट संग्रहण एवं संस्करण करने का कार्य ग्राम पंचायतों, जीविका संगठनों के माध्यम से करा सकती है। यदि जीविका संगठन तैयार नहीं हो तो, ग्राम पंचायतों द्वारा Outsourcing

लगातार.....

24.5/19


604

~~122~~

agency द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कराया जाएगा। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के निम्न घटक होंगे :-

- (a) डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण।
 - (b) ठोस अवशिष्ट का प्रसंस्करण करते हुए वर्मी कम्पोस्ट बनाना।
 - (c) संग्रहण स्थल का चयन एवं प्रबंधन।
 - (d) पाक्षिक तौर पर चक्रीय क्रम में नालियों की सफाई एवं चूना/ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव।
- (vi) ग्राम पंचायत आम सहमति से स्वच्छता शुल्क वसूल सकती है, ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन संग्रहित कूड़े से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग अथवा बिक्री अपने संस्था के संसाधन वृद्धि के लिए कर सकेंगी।
- (vii) संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा।
- (viii) इस व्यवस्था पर आने वाला व्यय, ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों (यथा-घौदहवाँ वित्त आयोग का अनुदान, पंचम राज्य वित्त आयोग का अनुदान) से करेगी।

विश्वासभाजन



(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

605
123

पत्रांक 9प/वि०-3-302/2015/...../प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-...../...../2019

विषय:- दिनांक-24.05.2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में दिये गये निदेश का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-8प/वि०-05-12/2019/3329/प०रा० दिनांक-25.05.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में विषयांकित समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसे बिन्दुवार आपके जिला स्तर पर कार्रवाई हेतु निदेशित किया जा रहा है।

1. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन इस संबंध में निम्नवत् शीघ्र कार्रवाई की जाये:-

- सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में 2 अक्टूबर, 2019 तक हर घर से डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथकीकरण की सुविधा स्थापित कराई जाय।
- प्रत्येक 2 वार्डों पर एक Cart की व्यवस्था अपेक्षित होगी, जिसका दो वार्डों के स्वच्छता कर्मी संयुक्त संचालन करेंगे।
- पंचायत को वार्डों के प्रत्येक घर से सूखा एवं गीला कचरा संग्रहण के लिये अलग-अलग Dustbin की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक राजस्व ग्राम में, पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर वर्मी कम्पोस्ट इकाई तैयार किया जाय।
- ठोस अवशिष्ट संग्रहण एवं संस्करण करने का कार्य ग्राम पंचायतों, जीविका संगठनों के माध्यम से करा सकती है। यदि जीविका संगठन तैयार नहीं हो तो, ग्राम पंचायतों द्वारा Outsourcing Agency द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कराया जाएगा। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के


संयोजक

• निम्न घटक होंगे:-

- आर-डू-झोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण।
- ठोस अवशिष्ट का प्रसंस्करण करते हुए वर्मी कम्पोस्ट बनाना।
- संग्रहण स्थल का चयन एवं प्रबंधन।
- मासिक तौर पर चक्रीय क्रम में नालियों की सफाई एवं चूना/ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव।

- ग्राम पंचायत आम सहमति से स्वच्छता शुल्क वसूल सकती है, ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन संग्रहित कूड़े से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग अथवा बिक्री अपने संस्था के संसाधन वृद्धि के लिए कर सकेगी।

- संबन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा।

- इस व्यवस्था पर आने वाला व्यय, ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों (यथा-चौदहवाँ वित्त आयोग का अनुदान, पंचम राज्य वित्त आयोग का अनुदान) से करेगी।

2. गाँव की गलियों एवं नालियों की सफाई:-

- यह सुनिश्चित किया जाये की पंचायतों में गलियों एवं नालियों की सफाई चक्रीय क्रम में हर 15 दिन में आसरास पर की जाय।
- सफाई का कार्य ग्राम पंचायतें जीविका अथवा किसी अन्य Outsourcing Agency से कराया जा सकता है।
- नालियों में नियमित रूप से चूना/ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव की व्यवस्था की जाय।
- यह कार्य पंचायतें, पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद से अथवा अपने निजी आय के स्रोत से करायेंगी।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना:-

- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली निश्चय योजना के अन्तर्गत बचे हुए सभी वाडों में 01 नवम्बर, 2019 तक कार्य निश्चित रूप से प्रारंभ कर दिया जाय।
- 8 फिट से कम चौड़ाई की गलियों में पेभर ब्लॉक लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाय।
- 8 फिट से चौड़ी गलियों में भी यथासम्भव पेभर ब्लॉक लगाया जा सकता है।

607

125

-3-

4. ग्राम कचहरियों के कार्यों का समुचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था :-

- ग्राम कचहरियों के कार्यों के एस. एम. एस./बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की डाटा बेस के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- ग्राम कचहरियों के कार्यों के प्रचार-प्रसार को माह में एक बार दोहराया जाय।
- ग्राम कचहरी के दायित्वों एवं व्यवस्था के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर लोगों में जागरूकता फैलायी जाय।
- ग्राम कचहरी के सरपंचो/उप सरपंचो/ग्राम कचहरी सदियों/न्यायमित्रों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय, पटना के द्वारा करायी जा रही है जिसके प्रभारी प्रो० एस०पी०सिंह (मो० 9431622508) से समन्वय स्थापित करके अपने जिले में, उत्कृष्ट ट्रेनिंग दिलाने में सहयोग प्रदान की जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुदृढ़ता से समयबद्ध तरीके से किया जाय।

विश्वासभाजन



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

Annexure-9

पत्रांक सं०-2प०/विविध-17-111/2018/2613/पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

126
608

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 16/03/2019

विषय : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिलावार चयनित तीन-तीन पंचायतों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 339 ई० दिनांक 25.03.2019

महाशय :

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के सभी 38 जिलों में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिलावार तीन-तीन पंचायतों के चयनित सूची स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नीर-निर्मल परियोजना तथा राष्ट्रीय रूबन मिशन के अंतर्गत सूची के माध्यम से संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

विश्वनाथ मिश्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(126)

पंचायतीं राज विभाग द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची।

127 (25/4)

609

Sl No.	District Name	Block Name	Panchayat Name
		Amarpur	Pabani
		Barahat	Mirja-Pur
		Basis	Angaru Jabra
02	Begusairi	Bakha	Chakhamid
		Begusara	Lakho
		Chorahi	Amari
03	Munger	Asarganj	Makwa
		Dhachara	Baluchoki
		Kahaagpur	Rataitha
04	Muzaffarpur	Bandra	Mutlpur
		Bochaha	Lohsari
		Gaighat	Bakhari
05	Nalanda	Asthawan	Malti
		Chuxli	Sartha
		Ekangarsari	Dhurgaon
06	Nawada	Akbarpur	Pachrukhi
		Hisua	Fungi
		Nardiganj	Dohra
07	Patna	Athmagola	Kalyanpur
		Bakhtiarpur	Bidhipur Narauli
		Bihta	Bishunpura
08	Rohtas	Banmankhi	Kajhi Hirdya Nagar
		Kasba	Gurhi
		Kriyanand Nagar	Bithnavli East
09	Saran	Marhaura	Rasulpur
		Chapra	Phakuli
		Dighwara	Pasti Jalal
10	West Champaran	Bairia	Uttari patjirwa
		Bagha-I	Parsa Banchahari
		Bagha-II	Nayugawan Rampurwa
11	Gaya	Manpur	Para Gandhar
			Bhudeja
		Tankuppa	Tankuppa

AS - [Signature]

128 24/25
610

12	Rohas	Kochas	Gara Kuchhila Narwar
13	Saharsa	Sonbarsa	Shahpur Sohla Sonbarsa
14	Samsipur	Shivaji Nagar	Bandhar Kariyan Rajaour Rambhadrapur
15	Kaimur	Bhagwanpur	Tori Kaser Bhagwanpur
16	Lakhsurati	Pipariya	Wallipur Mohampur Ramchandrapur
17	Bhagalpur	Bilpur Colgong Gopdipor	Bilpur South Antichak Abhia Pachagaoria
18	Bhagpur	Ara Barhara Shahpur	Hari Akauna Damodarpur
19	Buxar	Brahmpur Buxar Chakki	North Nainpur Ahirauli Jawahi Diar
20	Katihar	Amdabad Barani Kursela	Bhawanipur Khatt Balsa Govindpur East Muradpur
21	Khagaria	Gogri Khagaria Parbaita	Banni Rahampur Dakshari Bharso
22	Vaishali	Bidupur Desri Hajipur	Amer Azampur Kernpura
23	Arwal	Karpur Kurtha Kaler	AIYARA EBRAHIMPUR BALIDAD
24	Araria	Araria Bhargama Forbesganj	Araria Basti Bhargama Amhara
25	Aurangabad	Aurangabad Barun Daudnagar	Padrawan Pipara Samasher Nagar
26	Darbhanga	Alinagar Bahadurpur Baheri	Adhloam Bahadurpur Dekuli Aihar North
27	East Champaran	Areni CHAKKA Motihari	Chitla Barharwa Harpur Jhikahiva

at. Ar

129 611
 20/9/93

28	Gopalganj	Bakunthipur	Hakam
		Berauli	Dewapur
		Rhorey	Chhatiyaw
		Barhat	Barhat
		Unakar	Bangi
29	Gopalganj	Godhriapur	Moura
		Ghoshi	Uber
		Hulasganj	Tira
30	Gopalganj	Kamanabad	Naura
		Bakadarganj	Nisandata
		Dighalbank	Athgachhiya
32	Madhepura	Kishanganj	Belwa
		Alamnagar	Alamnagar North
		Bilhariganj	Bahhangawan
33	Madhepura	Chausa	Rasalpur Dhuria
		Andhratharhi	Deohar
		Babubarhi	Bhatchaura
34	Sheikhpura	Basopatti	Shauna
		Arari	Sonariya
		Barbigha	Tenus
35	Sasbar	Chewara	Chakandra
		Dumari Katsari	Rohua
		Piprahi	Belba
36	Sitamarhi	Purnahiya	Abhirajpur Bairiya
		Bairgania	Musachak
		Bajpatti	Bajitpur
37	Swar	Bathnaha	Bakhri
		Andar	Akpur
		Barharia	Lakri
38	Samaul	Basantpur	Basao
		Basantpur	Bhimi Nagar
		Chhatapur	Balua
		Kishanpur	Paras Madho

atn. 

Solid Waste Management Status Report of Model Cities and Towns

Sl. No	Name of ULBs	Total No. of Wards	SWM activity							
			Door to Door Collection in No. of Wards	Source Segregation started in No. of Wards	Rest Wards for Source Segregation	Construction of Compost Pit Started (Yes/No)	Processing of Wet Waste Started (Yes/No)	Processing of dry Waste Started (Yes/No)	Availability of Land for processing activity	Availability of Land for Sanitary Landfill Facility
1	Muzaffarpur Nagar Nigam	49	49	49	0	Yes	Yes (Pit Composting)	Recyclables Through kabadiwallas	Yes	Yes
2	Munger Nagar Nigam	45	45	40	5	Yes	Yes (Bio-Composter)	Recyclables Through kabadiwallas	Yes	Yes
3	Biharsharif Nagar Nigam	46	46	0	46	Yes	Yes (Pit Composting)	Not Started	Yes	Yes
4	Supaul Nagar Parishad	28	28	28	0	Yes	Yes (Vermi-Composting)	Recyclables Through kabadiwallas	Yes	Yes
5	Bodhgaya Nagar Panchayat	19	19	19	0	Yes	Yes (Windrow Composting)	Recyclables Through kabadiwallas	Yes	Yes
6	Rajgi- Nagar Panchayat	19	19	2	17	Yes	Yes (Pit Composting)	Not Started	Yes	Yes

Annexure - II

613

Details of meeting held with District Magistrates through Video Conferencing by Chief Secretary, GOB on directions issued by Hon'ble NGT vide O. A. No-606/2018

Sl. No	Date of VC	Agenda
1	24.04.2019 (Wednesday)	Hon'ble NGT Directions/Sub-divisional Civil Court LA for Katihar, Kishanganj, Purnea, Banka, Bhagalpur districts
2	29.04.2019 (Monday)	Hon'ble NGT Directions/Sub-divisional Civil Court LA for Araria, Khagaria, Madhepura and Supaul districts
3	03.05.2019 (Friday)	Hon'ble NGT Directions/Sub-divisional Civil Court LA for Begusarai, Darbhanga, Munger and Samastipur districts
4	14.05.2019 (Tuesday)	Hon'ble NGT Directions for Banka, Begusarai, East Champaran, West Champaran, Bhagalpur, Darbhanga, Gopalganj, Jamui, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Lakhisarai, Madhepura, Madhubani, Munger, Muzaffarpur, Nawada, Purnea, Saharsa, Samastipur, Saran, Sheikhpura, Sheohar, Sitamarhi, Siwan, Supaul, Vaishali, Araria.
5	28.05.2019 (Tuesday)	Hon'ble NGT Directions for Gaya, Nalanda, Buxer, Jehanabad, Bhojpur, Patna, Rohtas
6	07-06-2019 (Friday)	Hon'ble NGT Directions for Bhojpur, Nalanda, Buxer, Patna
7	21-06-2019 (Friday)	Compliance of Hon'ble NGT Directions for All Districts.

Annexure -12

संचिका सं. :-03/SBM-01-13/2016

/न0वि0एवंआ0वि0

1352

132

614

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 28/5/19

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के संग्रहण (Door to Door Collection) एवं परिवहन (Transportation) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के पृथक्कीकरण, संग्रहण एवं परिवहन कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

दिशवा/सभाजन,

28/5/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

(132)

615
~~133~~



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहण
(Door to Door Collection &
Transportation)
हेतु नगर निकायों के लिए
मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

(133)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door-to-Door Collection एवं Transportation
के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.606/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन के लिए निम्नलिखित कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)
 2. घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)
1. **स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)**
 - 1.1 घर-घर से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु सभी नगर निकायों को प्रत्येक घर में एक-एक नीला एवं हरा डस्टबीन देना होगा, जहाँ नहीं दिया गया है। नीला डस्टबीन में सूखा कचरा (अजैविक) एवं हरा डस्टबीन में गिला कचरा (जैविक) रखने के लिए सारे नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
 - 1.2 ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु घरों में दिये जाने वाले नीला एवं हरा डस्टबीन का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - 1.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे के पृथक्कीकरण संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जा सकता है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं की सहायता ली जा सकती है। जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण को इन महिलाओं द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। SHG की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-A संलग्न की गई है।
 - 1.4 Door to Door Campaigning हेतु नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो (कुल चार SHG महिलाएँ) समूह एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
 2. **घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)**
 - 2.1 सभी नगर निकायों को पृथक्कीकृत ठोस अपशिष्ट को घर-घर से संग्रहण कर प्रसंस्करण हेतु विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर भेजना सुनिश्चित करना होगा।

- 2.2 सभी नगर निकायों को घर-घर से ठोस अपशिष्ट (जैविक एवं अजैविक) संग्रहण एवं परिवहन हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर को जैविक एवं अजैविक ठोस अपशिष्ट की पहचान कर अलग-अलग संग्रहण करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.3 घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर वार्ड की आबादी के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
- 2.4 पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण हेतु व्यवहार किये जाने वाले गाड़ियों यथा : ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर आदि को गीला एवं सूखा कचरे का संग्रहण हेतु दो भागों में (Compartment) बांटना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.5 सभी नगर निकायों को अपने वार्ड अंतर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहणकर्ता, ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.6 जहाँ ऑटो-टीपर की आवश्यकता है, वहाँ नगर निकाय को हर 1000-1500 घरों के लिए हर दिन ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु एक ऑटो-टीपर के साथ एक चालक एवं एक अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को रखना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.7 ठोस अपशिष्ट संग्रहण का कार्य प्रत्येक दिन सुबह 06:00 से 09:00 बजे तक सभी घरों में एवं सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में 10:00 से 12:00 बजे तक करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.8 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्रान्तर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए आवश्यक गाड़ियों/उपकरणों में, जो कमी हो उसका मूल्यांकन कर GeM Portal के माध्यम से क्रय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.9 सभी नगर निकाय घर-घर से पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण नियमानुसार Out Sourcing Agency/निकाय स्वयं/स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से कराया जा सकता है। जिन वार्डों में Outsourcing Agency अथवा निकाय स्वयं ठोस अपशिष्ट संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अविलंब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया जाये। NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को इस कार्य में नियोजित किया जाये।
- 2.10 Long term में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से यह कार्य भी कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 2.11 सभी नगर निकायों को अपशिष्ट संग्रहण में लगे गाड़ियों की मार्ग-चिह्नित करना होगा। सभी सफाई कर्मचारियों की कार्य-सूची वार्ड के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.12 सभी नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा की सभी गाड़ियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य (कितना अपशिष्ट संग्रह हुआ एवं कितना अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए गया) प्रतिदिन दैनिक-पंजी में भरा जा रहा है।
- 2.13 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर उपलब्ध ठोस अपशिष्ट को प्रतिदिन गाड़ियों द्वारा उठाकर प्रसंस्करण एवं निपटान कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ सभी नगर निकाय समयांतराल में आवश्यकतानुसार घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर रखे गए Community Bins को हटा लेना सुनिश्चित करें ताकि शहर को Dustbin free बनाया जा सके।

618

~~136~~**ANNEXURE-A**

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	Door to Door Campaigning	<ol style="list-style-type: none"> 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण (Segregation at Source) करने संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जाना है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सम्मिलित किया जाय एवं इनके द्वारा सभी वार्डों के घर-घर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जाकर Source पर ही कचरे को पृथक्कीकृत करने संबंधित जानकारी, जिसमें उपलब्ध कराये गये Household Dustbin हरे रंग में गीला कचरा एवं नीले रंग में सूखे कचरे रखने को कहा जायेगा। 2. इनके द्वारा वार्ड के सभी लोगों को सूखा कचरा एवं गीले कचरे में अंतर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी 3. जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण भी इन्हीं स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा करवाया जा सकता है। 4. Door to Door Campaigning एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री तैयार कर समय-समय पर सभी नगर निकायों को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे SHG महिलाओं द्वारा उनके निर्धारित वार्ड में IEC हेतु प्रयोग किया जायेगा। 	नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो समूहों (चार SHG महिलाएँ) एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
2.	Door to Door Collection	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर निकाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। 2. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को Tricycle के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे। 3. स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ घर-घर से गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग संग्रहण एवं परिवहन कर प्रसंस्करण स्थल तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। 	घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय प्रति Tricycle पर दो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियोजित कर सकते हैं।

Capacity Building


उपरोक्त कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।

पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

(136)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र (Solid Waste Management Process Flow-sheet)



गीले कचरे का निष्कारन निम्नवत तरीके से करना :-

- Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- नारियल की परत के ऊपर माघ के गोबर की एक परत रखें।
- भूसी / घास / सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के ऊपर क्षेत्र की परिधि बढ़ाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास / सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर मिलाया जाएगा। EM Solution इन तत्वों यथा—Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का सम्मिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।
- समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से भीजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जाएगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जाएगा।
- 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खार को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शेट में फैलारें।
- इसके उपरांत जैविक खार को Electric Vibrationary Siever द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त जैविक खार को 5 कि.ग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर धक किया जा सकता है।
- Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
- धक किये गये थैले का व्यापार चिह्न (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा: "Muzaffarpur Javik Khadd".
- तैयार किये गये जैविक खार की विप्री के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के कम्प्यूटर सिस्टम और स्टॉक एंटी सिस्टम साध एक विपणन और निजी काउंटर खोलें।
- अंतिम रूप से बने हुए खार को कृषि विभाग / नर्सरी / किसान आदि को बेचने का प्रावधान किया जाए।

संचिका सं. :-03/SBM-01-13/2016

1353

620
/न0वि0एवंआ0वि0

138

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 28/07/19

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण एवं निपटान कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/07/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

621

~~139~~



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान
(Processing & Disposal)
हेतु नगर निकायों के लिए
मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

622
~~140~~

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.606/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान (Processing & Disposal) हेतु निम्नलिखित कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)
 2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)
 3. ठोस अपशिष्टों का निपटान सैनिटरी लैंडफिल के द्वारा (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)
- प्रारंभिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा गीला कचरा एवं सूखा कचरा का निष्पादन हेतु प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई 3000 वर्ग फीट में तत्काल लगभग 20 अदद Compost Pit, Shredding Platform, Seiving Machine cum Bagging Platform, Dry waste Platform का निर्माण कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। सभी नगर निकाय इस मॉडल प्राक्कलन का इस्तेमाल कर अपने निकाय के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्धता के अनुरूप Decentralised Processing Site का निर्माण करते हुए ठोस अपशिष्ट का सुचारु रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस कार्य को अविलंब विभागीय स्तर पर करा लेना है।
 - सभी नगर निकायों द्वारा अलग-अलग (जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट) संग्रह किये गए अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल पर लाना सुनिश्चित करना होगा।
 - कोई भी नगर निकाय संग्रह किए गए अपशिष्टों को यत्र-तत्र न फेंके। सभी नगर निकाय संगृहित ठोस अपशिष्ट को सीधे विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर लाना सुनिश्चित करें।
 - सभी नगर निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को यत्र-तत्र न जलायें।
 - प्रसंस्करण स्थल पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग रखने का स्थल सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकतानुसार अगर सूखा एवं गीला अपशिष्ट एक साथ हो तो पुनः इसे अलग-अलग करने की व्यवस्था की जाए। दोबारा अपशिष्टों को अलग-अलग करने के लिए आवश्यकतानुसार PCC Platform तथा Shed की व्यवस्था Model Estimate में की गई है।

(140)

- Rag Pickers को Waste Collection में शामिल करने हेतु इनकी बैठक निकाय स्तर पर आहूत करने की कार्यवाही की जाय तत्पश्चात निकाय अन्तर्गत सभी Rag Pickers चिन्हित कर सूची बनाया जाय।
- सभी चिन्हित कचरा बिनने वालों (Rag Picker) को नगर-निकाय द्वारा पंजीकृत किया जाएगा एवं नगर-निकाय द्वारा पहचान-पत्र दिया जाएगा।
- सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत कबाड़ी वालों को चिन्हित कर उनके द्वारा Recyclable कचरे को निपष्पादन करेंगे।

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)

1.1 नगर निकाय अपने क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट को निम्नलिखित तरीके से प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

- क. केन्द्रीकृत पद्धति (Centralised Process) अथवा,
- ख. विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process)

क. **केन्द्रीयकृत पद्धति (Centralised Process) :** ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता कम है, वे सभी पृथक्कीकृत (Segregated) जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को एक Centralised Processing Site पर एकत्रित कर, जैविक कचरे को प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

ख. **विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process) :** ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता हो, कम्पोस्टिंग कार्य के लिए वार्डों को कलस्ट्रिंग कर (नगर निगम में 3-4 वार्डों के लिए, नगर परिषद में 5-6 वार्डों के लिए एवं नगर पंचायत में 9-10 वार्डों के लिए) विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण हेतु स्थल चिन्हित किया जाए। प्रसंस्करण हेतु चिन्हित स्थलों पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग भंडारण कर गीले अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग प्लेटफॉर्म/पीट बनाकर कम्पोस्टिंग कार्य कराया जाय। कम्पोस्ट पीट एवं प्लैटफॉर्म निर्माण हेतु मॉडल एस्टीमेट सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(Pit Composting-Muzaffarpur Model) के माध्यम से सभी नगर निकाय गीले कचरे का प्रसंस्करण निम्नलिखित दिये गये चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं :-

- (i) Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- (ii) नारियल की परत के ऊपर गाय के गोबर की एक परत रखें।
- (iii) भूसी/घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के उपर क्षेत्र की परिधि बढ़ाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- (v) इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर मिलाया जायगा। EM Solution इन तत्वों यथा-Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का सम्मिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।

- (vi) समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से मौजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जायेगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जायेगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जायेगा।
- (vii) 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खाद को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शेड में फैलाएं।
- (viii) इसके उपरांत जैविक खाद को Electric Vibratory Siever द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ix) प्राप्त जैविक खाद को 5 किग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर पैक किया जा सकता है।
- (x) Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
- (xi) पैक किये गये थैले का व्यापार चिन्ह (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा-"Muzaffarpur Jaivik Khad".
- (xii) तैयार किये गये जैविक खाद की बिक्री के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और स्टॉक एंट्री सिस्टम के साथ एक विपणन और बिक्री काउंटर खोलें।
- (xiii) अंतिम रूप से बने हुए खाद को कृषि विभाग/नर्सरी/किसान आदि को बेचने का प्रावधान किया जाए।

- आवश्यकतानुसार एवं Suitability के आधार पर मुंगेर एवं सुपौल नगर निकायों द्वारा की जा रही प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं।

1.2 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित मानवबल को उपयोग में लाया जा सकता है (इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है) :-

(i)	प्रसंस्करण स्थल पर ऑटो टीपर से ठोस अपशिष्ट के Unloading एवं गीले कचरे को Compost Pit में डालने हेतु	:	2 Nos.
(ii)	Shredder Machine को चलाने हेतु	:	1 No.
(iii)	जैविक खाद का शेड में स्थानांतरण और खाद की पिटाई	:	2 Nos.
(iv)	Electric Siever Machine को चलाने हेतु	:	1 No.
(v)	जैविक खाद के Packaging हेतु	:	1 No.
(vi)	कंप्यूटर प्रविष्टि एवं बिक्री व्यक्ति	:	1 No.
(vii)	दिन और रात का पहरेदार	:	2 Nos.
		कुल	: 10 Nos.

1.3 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर निम्नलिखित उपकरणों को आवश्यकतानुसार व्यवहार में लाया जा सकता है :-

(i)	Shredder Machine	:	1 No.
(ii)	Electrical Siever Machine	:	1 No.
(iii)	Digital Weighing Machine	:	1 No.
(iv)	Electrical Sewing Machine	:	1 No.
(v)	Bailing Press Machine (for RDF)	:	1 No.

2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)

- 2.1 नगर निकायों द्वारा कम्पोस्टिंग साईट पर लाये गये सूखे कचड़े को Secondary Segregation हेतु सूखे कचरे के लिए निर्मित प्लैटफॉर्म पर रखा जाय एवं उनमें से सर्वप्रथम उपयोगी और रिसाइक्लेबल वस्तुओं को रैग पीकर्स अथवा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से सूखे कचड़े में से अलग कर दिया जाए, जिसे कबाड़ी वाले को बेचा जा सकता है। SHG Group की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-B संलग्न की गई है।
- 2.2 प्रसंस्करण स्थल पर लाये गये सूखे कचरे को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा—पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जाना सुनिश्चित करें।
- 2.3 Secondary Segregation के माध्यम से अलग-अलग किये गये सूखे कचरे में से Recyclable सूखे कचरे को कबाड़ी वाले को नगर निकाय द्वारा बेचा जा सकता है। इससे अर्जित धनराशि से सतत् संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी भुगतान किया जा सकता है।
- 2.4 बचे हुए सूखे ठोस अपशिष्ट को बेलिंग प्रेस के माध्यम से आर.डी.एफ. (Refuse Derived Fuel) बनाकर प्रसंस्करण हेतु सिमेंट प्लांट/पावर प्लांट में भेजा जा सकता है।
- 2.5 प्रसंस्करण के बाद निकला हुआ निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को भूमिभरण हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए।

3. ठोस अपशिष्टों का निपटान (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)

- 3.1 सभी नगर निकायों को निष्क्रिय अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के आलोक में निपटान का प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3.2 निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को नगर निकाय द्वारा चिन्हित किए गए भूमि भरण स्थल पर निपटान करना है।
- 3.3 जिन नगर निकायों के पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे अपने क्षेत्र से उत्पन्न निष्क्रिय अपशिष्ट का निपटान हेतु आवश्यकतानुसार भूमि भरण स्थल को चिन्हित कर उपयोग में लायेंगे।
- 3.4 ऐसे नगर निकाय जिनके पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे Sanitary Landfill विकसित करने हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय कर सकते हैं। रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय निम्नवत मापदंड के अनुसार कर सकते हैं :-

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :- • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

- 3.5 भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill) कम-से-कम 15-20 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त रूप से देय होंगे तथा जलजमाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से "भूमि भरण सेल" विकसित किए जाएंगे।
- 3.6 भूमि भरण स्थल गंगा एवं उसकी शाखा नदी से 500 मीटर, अन्य नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागरी विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाईअड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.7 ऐसे नगर निकाय जिनके Landfill Site की क्षमता 5 टन प्रति दिन से अधिक हो, वे इसके लिए उपयोग में लायी जानी वाली भूमि अंतर्गत 'बफर जोन' (Buffer Zone) के निर्धारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से संपर्क करेंगे तथा इसका निर्धारण सुनिश्चित करें।
- 3.8 **Legacy Waste/Old Dump का प्रबंधन :-**
- सभी नगर निकाय पूर्व में फेंके गये ठोस अपशिष्ट के स्थलों को चयनित कर उसका निपटान एवं भूमि का पुनर्ग्रहण (Reclamation of Land) का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
 - Legacy Waste/Old Dump का निपटान एवं अवश्यकतानुसार भूमि का पुनर्ग्रहण ठोस अपशिष्ट निपयमावली, 2016 (Schedule-I, Clause-J) के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।

627

~~145~~**ANNEXURE-B**

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	MRF (Material Recovery Facility)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रसंस्करण स्थल (MRF Platform) पर लाये गये सूखे कचरे को NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा-पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जा सकता है। 2. अलग-अलग संग्रहित हुए सूखा कचरा में से Recycling एवं बिकने योग्य कचरा को नगर निकाय कबाड़ी वालों को बेचना सुनिश्चित करेंगे। 3. ध्यान रखा जाये कि Secondary Segregation में नियोजित सभी स्वयं सहायता महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित सामग्री नगर निकाय द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे-Gloves, जूते, Safety Mask इत्यादि। 	नगर निकाय द्वारा प्रत्येक MRF Center पर Secondary Segregation हेतु 04 SHG महिलाओं को लगाया जा सकता है।

Capacity Building


उपरोक्त कार्य के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।

पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

(145)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र (Solid Waste Management Process Flow-sheet)



गीले कचरे का निष्पादन निम्नवत तरीके से करना :-

- Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- नारियल की परत के ऊपर गाय के गोबर की एक परत रखें।
- भूसी / घास / सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के ऊपर क्षेत्र की परिसि बढाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास / सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर सिलाया जाएगा। EM Solution इन तत्वों यथा-Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का समिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।
- समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से मौजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जाएगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जाएगा।
- 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खाद को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शेड में फैलाएं।
- इसके उपरांत जैविक खाद को Electric Vibratory Siewer द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त जैविक खाद को 5 कि.ग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर एक किया जा सकता है।
- एक Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
- एक किये गये थैले का व्यापार चिन्ह (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा "Muzangpur Jaiwik Kind"।
- तैयार किये गये जैविक खाद को बि... के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कांस्ट्रक्शन और विपणन और रिडी कार्ड पर खोलें।
- अंतिम रूप से बने हुए खाद को कृषि मिश्रण / तसरी / विमान आदि को बेचने को प्राधान्य दिया जाए।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या-पर्या0/वन (मु0)-09/2019...../प0व0, पटना-15, दिनांक-

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित मामले, O.A. No. 606/2018 में दिनांक 16.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- 1 जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)
- 2 पुलिस अधीक्षक
- 3 वरीयतम वन प्रमंडल पदाधिकारी (सदस्य सचिव)
- 4 अध्यक्ष, जिला विधि सेवाएँ प्राधिकरण (District Legal Services Authority) द्वारा नामित सदस्य
- 5 असैनिक शल्य चिकित्सक
- 6 जिलान्तर्गत सभी शहरी निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त
- 7 जिला पंचायती राज पदाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)
- 8 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- 9 राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नामित सदस्य

टास्क फोर्स अपने-अपने जिले में शैक्षणिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों जिसमें स्थानीय इको-क्लब भी शामिल हों, की सहायता से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों से सम्बन्धित जागरुकता फैलाने का कार्य करेगी।

यह टास्क फोर्स दो महीने में एक बार बैठक करेगी तथा अपना प्रतिवेदन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेगी। टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने एवं कार्यवाही प्रतिवेदन निर्गत करने की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

जिला विधि सेवाएँ प्राधिकरण का शामिल होना विधि सेवाएँ प्राधिकार अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय विधि सेवाएँ प्राधिकरण की प्रशासनिक स्वीकृति पर आधारित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

630

148

ज्ञापांक:-पर्या0/वन (मु0)-09/2019...../प0व0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी0डी0 एवं हार्ड
कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु
प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को
उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-पर्या0/वन (मु0)-09/2019...../प0व0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान
सचिव/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान
सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-पर्या0/वन (मु0)-09/2019.....378(50)/प0व0, पटना-15, दिनांक-05/04/2019
प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना/
अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस
अधीक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला विधि सेवाएँ प्राधिकरण/सभी असैनिक
शल्य चिकित्सक/सभी जिलान्तर्गत सभी शहरी निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/
नगर आयुक्त/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य
अभियंत्रण विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के संबंधित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

Annexure - 14

~~149~~
631

Ranking system of Urban Local Bodies of Bihar

The system of ranking of ULBs in the State will be based on level of compliance with respect to following criteria and marking system

Sl. No	Criteria	Marks	
1.	Percentage of Wards covered with Door to Door Collection of waste (Municipal Solid Waste)	10	
		100%	10
		Below 100% up to 95%	7
		Below 95% up to 90%	4
		Less than 90%	0
2.	Percentage of Wards covered with segregation at source including segregated transportation	20	
		100%	20
		Below 100% up to 95%	15
		Below 95% up to 90%	10
		Less than 90%	0
3.	Operational Dry Waste disposal facilities (MRF) at processing sites.	10	
		Yes	10
		No	0
4.	Percentage of wards covered with operational Wet Waste processing unit	25	

632

150

		100%	25
		Below 100% up to 95%	20
		Below 95% up to 90%	15
		Less than 90%	0
5.	Landfill site availability	5	
		Yes	5
		No	0
6.	Adoptation of SWM byelaws in ULB	5	
		Yes	5
		No	0
7.	Percentage of Households provided with toilet facility (IHHL/CT). (As per target)	15	
		100%	15
		Below 100% up to 99%	12
		Below 99% up to 98%	9
		Below 97% up to 96%	6
		Below 96% up to 95%	2
		Less than 95%	0

(150)

633

~~151~~

8.	Percentage of wards provided with road sweeping facilities	10	
100%		10	
Below 95% up to 90%		7	
Below 90% up to 80%		5	
Below 80%		0	
Total Marks		100	

(151)

634
151(a)

Govt. of Bihar			
Urban Development & Housing Dept.			
SWM Ranking of Cities and Towns as on 28/06/2019			
Sl. No	Name of District	Name of ULB	Total Marks
1	Gaya	Bodhgaya Nagar Panchayat	80
2	Sheohar	Sheohar Nagar Panchayat	70
3	Muzaffarpur	Muzaffarpur Nagar Nigam	70
4	Supaul	Supaul Nagar Parishad	67
5	Gaya	Gaya Nagar Nigam	60
6	Sitamarhi	Sitamarhi Nagar Parishad	55
7	Munger	Munger Nagar Nigam	50
8	Siwan	Maharajganj Nagar Panchayat	50
9	Kaimur	Bhabua Nagar Parishad	47
10	Kaimur	Mohaniya Nagar Panchayat	45
11	Kishanganj	Kishanganj Nagar Parishad	45
12	Siwan	Mairwan Nagar Panchayat	42
13	Araria	Araria Nagar Parishad	40
14	Siwan	Siwan Nagar Parishad	40
15	Supaul	Nirmali Nagar Panchayat	40
16	Patna	Phulwarisharif Nagar Parishad	35
17	Nalanda	Biharsharif Nagar Nigam	35
18	Purvi-Champaran	Pakridayal Nagar Panchayat	35
19	Jamui	Jamui Nagar Parishad	35
20	Aurangabad	Aurangabad Nagar Parishad	35
21	Aurangabad	Daudnagar Nagar Parishad	35
22	Jehanabad	Jehanabad Nagar Parishad	35
23	Samastipur	Samastipur Nagar Parishad	35
24	Bhagalpur	Bhagalpur Nagar Nigam	35
25	Darbhanga	Darbhanga Nagar Nigam	34
26	Rohtas	Nasriganj Nagar Panchayat	32
27	Sitamarhi	Dumra Nagar Panchayat	30
28	Araria	Jogbani Nagar Panchayat	30
29	Samastipur	Rosera Nagar Panchayat	30
30	Rohtas	Sasaramn Nagar Parishad	29
31	Nawada	Warsaliganj Nagar Panchayat	27
32	Katihar	Katihar Nagar Nigam	27
33	Kishanganj	Thakurganj Nagar Panchayat	27
34	Gopalganj	Gopalganj Nagar Parishad	27
35	Madhubani	Madhubani Nagar Parishad	27
36	Nalanda	Hilsa Nagar Parishad	26
37	Paschim-Champaran	Narkatiyaganj Nagar Parishad	26
38	Patna	Bakhtiyarpur Nagar Parishad	25
39	Nalanda	Islampur Nagar Panchayat	25
40	Rohtas	Bikramganj Nagar Parishad	25
41	Buxar	Buxar Nagar Parishad	25
42	Buxar	Dumraon Nagar Parishad	25
43	Muzaffarpur	Kanti Nagar Panchayat	25
44	Munger	Jamalpur Nagar Parishad	25
45	Arwal	Arwal Nagar Parishad	25
46	Saran	Sonpur Nagar Panchayat	25
47	Saran	Parsabazar Nagar Panchayat	25
48	Madhubani	Jhanjharpur Nagar Panchayat	25
49	Banka	Banka Nagar Parishad	25
50	Vaishali	Hajipur Nagar Parishad	21
51	Begusarai	Baliya Nagar Panchayat	21

151(a)

635
151(b)

Sl.	Name of District	Name of ULB	Total Marks
52	Patna	Patna Nagar Nigam	20
53	Patna	Barh Nagar Parishad	20
54	Patna	Mokama Nagar Parishad	20
55	Nalanda	Rajgir Nagar Panchayat	20
56	Nalanda	Silao Nagar Panchayat	20
57	Rohtas	D.Dalmiyanagar Nagar Parishad	20
58	Rohtas	Nokha Nagar Panchayat	20
59	Rohtas	Koath Nagar Panchayat	20
60	Bhojpur	Arah Nagar Nigam	20
61	Bhojpur	Bihiyan Nagar Panchayat	20
62	Muzaffarpur	Motipur Nagar Panchayat	20
63	Purvi-Champaran	Raxaul Nagar Parishad	20
64	Paschim-Champaran	Bettiah Nagar Parishad	20
65	Vaishali	Lalganj Nagar Panchayat	20
66	Begusarai	Bakhri Nagar Panchayat	20
67	Munger	Haveli Kharagpur Nagar Panchayat	20
68	Jamui	Jhajha Nagar Panchayat	20
69	Sheikhpura	Sheikhpura Nagar Parishad	20
70	Sheikhpura	Barbiga Nagar Parishad	20
71	Khagariya	Gogri Jamalpur Nagar Panchayat	20
72	Aurangabad	Rafiganj Nagar Panchayat	20
73	Aurangabad	Navinagar Nagar Panchayat	20
74	Nawada	Nawada Nagar Parishad	20
75	Purnia	Purnia Nagar Nigam	20
76	Saran	Rivilganj Nagar Panchayat	20
77	Saran	Marhaura Nagar Panchayat	20
78	Gopalganj	Mirganj Nagar Panchayat	20
79	Gopalganj	Kataiya Nagar Panchayat	20
80	Darbhanga	Benipur Nagar Parishad	20
81	Bhagalpur	Sultanganj Nagar Parishad	20
82	Banka	Amarpur Nagar Panchayat	20
83	Saharsa	Simari Bakhtiyarpur Nagar Panchayat	20
84	Medhepura	Madhepura Nagar Parishad	20
85	Medhepura	Murliganj Nagar Panchayat	20
86	Begusarai	Bihat Nagar Parishad	17
87	Patna	Masaurahi Nagar Parishad	15
88	Patna	Fatuha Nagar Parishad	15
89	Patna	Maner Nagar Panchayat	15
90	Patna	Vikram Nagar Panchayat	15
91	Rohtas	Kochas Nagar Panchayat	15
92	Bhojpur	Jagdishpur Nagar Panchayat	15
93	Bhojpur	Shahpur Nagar Panchayat	15
94	Bhojpur	koilawar Nagar Panchayat	15
95	Muzaffarpur	Shahebganj Nagar Panchayat	15
96	Purvi-Champaran	Dhaka Nagar Parishad	15
97	Purvi-Champaran	Sugauli Nagar Panchayat	15
98	Purvi-Champaran	Areraj Nagar Panchayat	15
99	Purvi-Champaran	Chakiya Nagar Panchayat	15
100	Purvi-Champaran	Kesariya Nagar Panchayat	15
101	Paschim-Champaran	Bagaha Nagar Parishad	15
102	Paschim-Champaran	Ramnagar Nagar Panchayat	15
103	Vaishali	Mahnar Nagar Panchayat	15
104	Vaishali	Mahua Nagar Panchayat	15
105	Begusarai	Teghra Nagar Panchayat	15
106	Lakhisarai	Lakhisarai Nagar Parishad	15

151(b)

636
151(c)

Sl. No.	Name of District	Name of ULB	Total Marks
107	Khagariya	Khagariya Nagar Parishad	15
108	Gaya	Tikari Nagar Panchayat	15
109	Nawada	Hisua Nagar panchayat	15
110	Jehanabad	Makhdumpur Nagar Panchayat	15
111	Purnia	Banmankhi Nagar panchayat	15
112	Araria	Farbisganj Nagar Parishad	15
113	Kishanganj	Bahadurganj Nagar Panchayat	15
114	Saran	Dighwara Nagar Panchayat	15
115	Saran	Ekmabazar Nagar Panchayat	15
116	Gopalganj	Barauli Nagar Panchayat	15
117	Madhubani	Jainagar Nagar Panchayat	15
118	Bhagalpur	Kahalgaon Nagar Panchayat	15
119	Supaul	Birpur Nagar Panchayat	15
120	Patna	Khagaul Nagar Parishad	12
121	Patna	Naubatpur Nagar Panchayat	10
122	Patna	Khushrupur Nagar Panchayat	10
123	Purvi-Champaran	Mehsi Nagar Panchayat	10
124	Paschim-Champaran	Chanpatiya Nagar Panchayat	10
125	Sitamarhi	Bairginiya Nagar Panchayat	10
126	Sitamarhi	Sursand Nagar Panchayat	10
127	Lakhisarai	Barahiya Nagar Panchayat	10
128	Katihar	Manihari Nagar Panchayat	10
129	Madhubani	Ghoghardiha Nagar Panchayat	10
130	Samastipur	Dalsinghsarai Nagar Panchayat	10
131	Bhagalpur	Naugachiya Nagar Panchayat	10
132	Saharsa	Saharsa Nagar Parishad	10
133	Purvi-Champaran	Motihari Nagar Parishad	5
134	Patna	Danapur Nagar Parishad	5
135	Bhojpur	Piro Nagar Panchayat	5
136	Sitamarhi	Janakpur Road Nagar Panchayat	5
137	Begusarai	Begusarai Nagar Nigam	5
138	Gaya	Sherghati Nagar Panchayat	5
139	Purnia	Kasba Nagar Panchayat	5
140	Saran	Chhapra Nagar Nigam	5
141	Sitamarhi	Belsand Nagar Panchayat	0
142	Katihar	Barsoi Nagar Panchayat	0

151(c)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-03/SBM-01-40/2018

238 नोवि० एवं आ०वि० २-२६/०५/१९

Solid Waste Management Rule-2016 के अंतर्गत Door to Door Collection, Source Segregation, Processing of Dry & Wet Waste एवं Composting एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी स्थानीय शहरी नगर निकायों में उक्त विषय के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है ताकि आम जनों को इस संबंध में जानकारी दी जा सके। इसके लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर जगह-जगह Hoarding, Banner, Jingle आदि बेहतर ढंग से बनाये जाये, इसके लिए राज्य स्तर पर एक IEC कोषांग का गठन किया जाना है। इस कोषांग में निम्न IEC Expert शामिल होंगे:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम	योजना अंतर्गत PMU / PMC
1	श्री शान्तनु दास	IEC Expert, PMU-SBM
2	श्रीमती रानी चौबे	State IEC Expert, DAY-NULM
3	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	IEC Expert Zonal, DAY-NULM
4	श्री रमेश चन्द्र देव	IEC Expert Zonal, DAY-NULM
5	श्री राहुल देव	IEC Expert Zonal, DAY-NULM
6	श्री कौशिक कुमार नन्दी	Communication Manager, SPMG

उपरोक्त सभी कर्मि मुख्यालय के कमरा सं०-18 में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एक साथ बैठक कर प्रचार-प्रसार से संबंधित सभी सामग्री तैयार करेंगे एवं IEC का पूर्ण Strategy का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

2. श्रीमती इंदु कुमारी, OSD (SBM) इस कोषांग की नोडल पदाधिकारी होंगी एवं श्री संजीव पाण्डेय (Team Leader DAY-NULM) के पर्यवेक्षण में IEC कोषांग काम करेगी।

विश्वप्रसाजन,

24/4/2019

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक 26/04/19

ज्ञापांक:-03/SBM-01-40/2018 1122

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव / नोडल पदाधिकारी SBM / Team Leader SBM-PMU/DAY-NULM/SPMG/ संबंधित सभी कर्मि के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2019

प्रधान सचिव

45

Annexure-16

संचिका सं. :-03/SBM-01-40/2018

/न०वि०एवंआ०वि०

~~153~~

638

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में Solid Waste Management Rules, 2016 को लागू करने हेतु प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Solid Waste Management Rules, 2016 के अंतर्गत राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में सुचारु रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार होना आवश्यक है। इस कार्य योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निम्नांकित कार्य करने का आग्रह किया जाता है :-

- Radio, दूरदर्शन चैनलों पर प्रतिबंध पर आधारित विज्ञापन, संदेश, जिगलस इत्यादि का प्रसारण।
- अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जन-जगरुकता।
- Facebook, What's App, Twitter एवं अन्य Social Media पर प्रचार प्रसार।
- राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य के लिए आपके विभाग से नामित एजेंसी को निदेश दिया जाए एवं आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग से समन्वय स्थापित कर IEC हेतु सभी Designs, अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री प्राप्त की अग्रेतर कारवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :-03/SBM-01-40/2018

519

पटना, दिनांक- 20.11.19

प्रतिलिपि :-विशेष सचिव, श्री संजय दयाल/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/Team Leader SBM-PMU/Team Leader, DAY NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2019
प्रधान सचिव।

(153)

संचिका सं. :-03/SBM-01-40/2018

1311

~~154~~ 639
/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना।

पटना, दिनांक :- 22.05.19

विषय :- नगर निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में बैठक।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संधन प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इस संबंध में दिनांक-24.05.2019 प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक का आयोजन निर्धारित किया गया है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों एवं उसके क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक में आप अपने टीम के साथ भाग लेने की कृपा करें।

विश्वामाजन,

22/5/2019
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

ज्ञापांक :-03/SBM-01-40-2018

1311

पटना, दिनांक :- 22.05.19

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/टीम लीडर, SBM-PMU/टीम लीडर, NULM/टीम लीडर, SPMG नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


22/5/2019
प्रधान सचिव।

(154)


Annexure-17

~~155~~ 640


Inauguration programme of door to door collection with segregation
at source by Hon'ble Chief Minister of Bihar Sri Nitish Kumar on World
Environment Day (5th June, 2019):



~~156~~ 641





(156)




~~158~~

643




(158)

Door to door campaign by Self Help Group members/volunteers for segregation at source:





~~160~~

645



(160)

161




देश-विदेश



सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों में मनी ईद

नेशनल डेबिट सेल

इ ईद के कई देशों में मनाया जा रहा है। इस दिन के साथ-साथ अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और अन्य देशों में मनाया जा रहा है। 1842 ईसवी तक पटना दिन ईद के जगह मंगलवार को भी ईद मनाते थे। ईद के दिन, मऊरी और की मुसलमानों को ईद के दिन फि काकाया का महीना मंगलवार से ही शुरू हो जाते हैं। एअरलाइन, जिस गाड़ चले देता है, उसके आगे दिन में ईद मनाते की घोषणा कर दी जाती है। 'रात का खेरा अलग-अलग जगहों को पौराणिक स्थितियों के अलावा पर अलग-अलग समय पर होता है, संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन जलैद, दुबई के शासन विंग इब्न झयैद मोहम्मद बिन नवाही ताइवान लोगों ने दुबई में ईद की मनाया गया था। मॉस्को विश्व संयुक्त परिषद ने भी ईद की मनाया की गयी।



सऊदी अरब के माकका शहर में मनी ईद के दौरान एक सड़क पर मनाया जा रहा है।



घर लौटने की जहोजहद

कमलेश की राजधानी दारा में ईद के मौके पर घर जाने के लिए जुटे हजारों लोगों को ट्रेन में जगह देने के लिए जहोजहद करते हुए देखा गया। घर लौटने वाली भीरी सड़का को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की थी। बावजूद इसके लोगों को ट्रेन को छत पर स्वार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों को छिड़की से भी बांधी में फुलते देखा गया। इस दौरान एक महिला को भी ट्रेन की छत पर स्वार होते देखा गया।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सुगबुगाहट तेज

नवी दिल्ली, केन्द्रीय सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो रही है। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो रही है। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो रही है।



करभोर पारलौ के अतिरिक्त सचिव जलिन कुमार के साथ परिसीमन आयोग के बैठक संबंधी फैसले लिस्ट, बैठक के बाद पूरा मंडी में होना के सम्बन्ध में है।

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरनगर त्रेहक मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

आयुर्विद्य सुप्रीम

दि.नं. 03/2017, अध्यायक अभियन्ता (आवृत्ति) एवं दि.नं. 04/2017, सहायक अभियन्ता (आवृत्ति) की पुराना (तिथि) प्रतियोगिता परीक्षा

क्र.सं.	अभियन्ता अभियन्ता सुप्रीम की तिथि	पूर्व से तिथि/दिनांक	विद्यमान तिथि
1.	अभियन्ता (आवृत्ति) की तिथि (आवृत्ति परीक्षा में जगह उपलब्धता की पुराना तिथि) एवं सहायक अभियन्ता (आवृत्ति) की तिथि	21.06.2018 से 28.06.2018 तक	06.06.2019 से 06.06.2019 तक
2.	अभियन्ता सुप्रीम अभियन्ता सुप्रीम की तिथि	01.06.2018 से 06.06.2018 तक	11.06.2019 से 12.06.2019 तक
3.	अभियन्ता अभियन्ता सुप्रीम की तिथि	02.06.2018 से 12.06.2018 तक	12.06.2019 से 15.06.2019 तक
4.	अभियन्ता अभियन्ता सुप्रीम की तिथि (आवृत्ति परीक्षा में जगह उपलब्धता की पुराना तिथि) एवं सहायक अभियन्ता (आवृत्ति) की तिथि	दिनांक 24.06.2018 से 28.06.2018 तक	दिनांक 26.06.2019 से 28.06.2019 तक

नोट-1. अभियन्ता अभियन्ता सुप्रीम की तिथि 06.06.2019 से बाद की तिथि 11.06.2019 से 13.06.2019 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

2. पिछले तिथि की सुगबुगाहट के बाद ही जगह उपलब्धता की तिथि 11.06.2019 से बाद की तिथि 13.06.2019 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

3. अभियन्ता सुप्रीम अभियन्ता सुप्रीम की तिथि 11.06.2019 से बाद की तिथि 13.06.2019 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

4. अभियन्ता सुप्रीम अभियन्ता सुप्रीम की तिथि 11.06.2019 से बाद की तिथि 13.06.2019 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

5. दि.नं. 03/2017 से 04/2017 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

6. अभियन्ता सुप्रीम अभियन्ता सुप्रीम की तिथि 11.06.2019 से बाद की तिथि 13.06.2019 तक परीक्षा शुरू का अभियन्ता सुप्रीम करने में लिए आवेदन की तिथि पराप्त होगी।

संपर्क सूची-04-पटना विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

अपील

विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून, 2019)

11 में राज्य के सदस्यों से अपील करता है कि राज्य को स्वच्छ बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।

श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार

PR-2085 (Urban Development) D. 2019-20

फार्म-16 की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक

नवी दिल्ली, आवेदन विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निवृत्तों को फार्म-16 जमा करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह फार्म निवृत्तों के लिए आवेदन करने के लिए जमा करने के लिए है। फार्म-16 जमा करने के लिए आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय बचा रहा।

इस साल नहीं ले पाये इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा, तो लैप्स नहीं होगा

एसीआर-9 का विवरण

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एसीआर-9 के अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह फार्म निवृत्तों के लिए आवेदन करने के लिए जमा करने के लिए है। फार्म-16 जमा करने के लिए आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय बचा रहा।

एसीआर-9 का विवरण

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एसीआर-9 के अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह फार्म निवृत्तों के लिए आवेदन करने के लिए जमा करने के लिए है। फार्म-16 जमा करने के लिए आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय बचा रहा।

विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून 2019

राज्य में वैज्ञानिक रूप से ठोस अपील

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सत्ता

अलग-अलग संग्रहण एवं इसका प्रसारण

स्थल - ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना

दिनांक-05 जून, 2019

समय - शाम 4.00 बजे अपराह्न

आप सभी सावर आमंत्रित है

चमत्कार एवं आवास विभाग, बिहार

Annexure-18

~~163~~ 648

Minutes of the second State Level Committee meeting held on 22.04.2019, under the Chairmanship of Hon'ble Mr. Justice Samarendra Pratap Singh (retd.), in compliance with the direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, vide its order dated 16.01.2019 in OA No. 606 of 2018.

The second meeting of the State Level Committee, constituted by the Hon'ble Tribunal, was held on 22.04.2019. Attendance enclosed.

The Hon'ble Chairperson welcomed all the members of the committee and then, reviewed the compliance of the directions/decisions given/taken by the Committee in its first meeting.

Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board apprised the Committee of the developments in connection with the decisions taken in the earlier meeting.

- I. STF has been constituted in all districts, vide Notification No. 378E dated 05.04.2019 of the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar. As per instructions of Chief Secretary, Bihar, first meeting of STF has been held in various districts. However, proceedings of the District Level meeting have not yet been received.
- II. The issue of Solid Waste Management at Railway Stations, Bus-Stand and other public places may also have been discussed in the aforesaid meetings of the DLCs/STF of which presently there is no information.
- III. Control rooms have not yet been set-up.
- IV. Interaction with local bodies is being done.
- V. Principal Secretary, Panchayati Raj Department has been included as member of the State Level Committee as notified by the Department of Environment, Forest and Climate Change. Action plan for management of solid waste in rural areas has not yet been prepared. However, instructions have been issued by Panchayati Raj Department that untied funds lying with the Panchayat shall be spent on solid waste management on priority basis.

The Chief Secretary has also given direction that door to door collection of wastes be initiated, cleaning of drains be done atleast once a week and sites be identified for collection of solid wastes in all village panchayats.

- VI. IEC, activities are being done by way of hoardings, jingles, signages and public interactions. However, its coverage shall be extended and post election, it will be taken up on a larger scale.
- VII. Bihar State Pollution Control Board, has adopted the formula proposed by the Central Pollution Control Board for computing Environmental Compensation and has also formed an internal committee to compute the Environmental Compensation which will be levied on polluters.
- VIII. Chief Secretary, Bihar is personally monitoring the progress of compliances through video conferencing with District Magistrates on a regular basis. As per his instructions identification of sites for sanitary landfills and waste processing units in all ULBs have to be completed by 30th May.

The Hon'ble Chairperson expressed his satisfaction towards the work being done and thereafter upon deliberations, following decisions were taken:

- 1. Hon'ble National Green Tribunal has directed Chief Secretary to hold monthly review meetings. Accordingly, all District Magistrates have been directed by Chief Secretary to hold meetings fortnightly. It was decided that the days of meeting be fixed as 1st and 15th of every month, and in case of holiday, it shall be held on the next working day. Proceedings of the DLC/STF meeting shall be sent to Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar with a copy to BSPCB.

(Action: Department of Environment, Forest and Climate Change.)

- 2. In the meetings of DLC/STF, the issues of management of solid waste at railway stations, bus-stands and other public places shall also be dealt with.

(Action: Urban Development and Housing Department.)

- 3. Control rooms shall be set up in all districts with following members:

- ~~165~~ 650
- (i) Nominee of District Magistrate (not below the rank of Deputy Collector).
 - (ii) DTO
 - (iii) Executive Officers of Urban Local Bodies.
 - (iv) Head Quarter Range Officer from Forest Department.
 - (v) Any other officer of the district nominated by the DLC/STF.

Control room shall deal with violations timely and effectively. It will have a whatsapp number through which general public may upload pictures of violations and lodge complaints. A record of such complaints received and action taken shall be maintained which will be regularly monitored by DLC/STF.

(Action: Department of Environment, Forest and Climate Change.)

4. Action plan to deal with solid waste management in rural areas be prepared within two months.

(Action: Panchayati Raj Department and Rural Development Department.)

5. Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall make extensive use of IEC tools in wards where door to door collection and segregation has not yet started.

(Action: Urban Development and Housing Department.)

6. Environmental audit through SPCB be conducted of all sanitary landfill sites (>5TPD) so far identified.

(Action: Urban Development and Housing Department and Bihar State Pollution Control Board.)

7. Tapping/Screening of all tributaries of Ganga be got completed within three months.

(Action: Urban Development and Housing Department.)

8. Central Ground Water Board (CGWB) be asked to give an action plan to deal with the depleting ground water resources in the State.
(Action: Bihar State Pollution Control Board.)
9. Comprehensive Guidelines be issued from Environment, Forest and Climate Change Department regarding protection and conservation of all water bodies and wetlands in the State.
(Action: Department of Environment, Forest and Climate Change.)
10. Minor Irrigation Department be requested for formation of State Ground Water Authority to regulate withdrawal of ground water in the State.
(Action: Department of Environment, Forest and Climate Change and Minor Irrigation Department.)
11. Tendering process for additional CBWTFs in the State be carried out within three months.
(Action: Health Department.)
12. Letters have been issued by State Health Society, Bihar for tagging of all Health Care Facilities and Additional Primary Health Care Centers. Its progress be monitored and it be ensured within two months.
(Action: Health Department.)
13. A report from Civil Surgeon of the Districts be obtained regarding enforcement of closure directions issued by Bihar State Pollution Control Board.
(Action: Health Department.)

The Hon'ble Chairperson thanked every member of the committee for their valuable inputs. The date of the next meeting will be communicated later on.

Samarendra Pratap Singh

Mr. Justice Samarendra Pratap Singh (retd.)

(166) (Chairperson, State Level Committee)

652

~~167~~

Memo No. 478

Patna dated: 06-5-19

Copy forwarded to:-

1. Principal Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar.
2. Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Bihar.
3. Principal Secretary, Health Department, Government of Bihar.
4. Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar.
5. Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar.

for information and necessary action.

 6/5/19

Alok Kumar

(Member Secretary, State Level Committee)

Annexure-19

168

653

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-12.06.2019

संख्या:-पर्या०/वन(मु०)-09/2019-689 (ई०)/प०व०, बिहार राज्य में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल निष्पादन तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के प्रवर्तन एवं विभिन्न विभागों/संस्थाओं के मध्य समन्वय हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2	विकास आयुक्त, बिहार	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
6	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग	सदस्य
8	प्रधान सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
9	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
10	प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
11	प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
12	प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
13	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग	सदस्य
14	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
15	अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य सचिव
16	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद	सदस्य

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का कर्तव्य निम्नांकित होगा :-

1. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहनयोग्य विकास के लिए निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर नीति निर्धारण तथा आवश्यक सलाह एवं दिशा-निदेश देना।
2. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी निदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों, प्रतिष्ठानों, संगठनों/संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना।
3. जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा राज्य में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान अधिनियमों/नियमावलियों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य नियमों/नियमावलियों के तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

654

~~169~~

ज्ञापांक :-पर्या०/वन(मु०)-09/2019...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, ई० गजट कोषांग; वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।
2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

(कमलजीत सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :-पर्या०/वन(मु०)-09/2019.....⁶⁸⁹ (सं) प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....^{12/06/19}
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

¹/₁₂₋₆
(कमलजीत सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

Annexure-20

~~130~~

655

Proceeding of the meeting of River Rejuvenation Committee, Bihar dated
27th March, 2019

A comprehensive action plan for restoration and conservation of polluted river stretches in Bihar has been prepared and submitted to Central Pollution Control Board. To review its implementation a meeting was convened under the Chairmanship of Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar on 27th March, 2019. The meeting was attended by the members of RRC and special invitees from the Department of Water Resources, Central Ground Water Board (CGWB), Minor Irrigation Department & Rural Development Department. After detailed discussion and deliberations, following decisions were taken:

(1) As per the orders of Hon'ble NGT, no industry shall be permitted to extract ground water for industrial and commercial purposes unless it has obtained permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). However, there is lot of pendency of applications at the Authority level. Awareness also seems to be lacking amongst the general public. Hence following directions were given in this regard:

- (i) Director, CGWB shall dispose of the applications (less than 10 KLD and complete in all respects) within a maximum period of 15 days. In case of any document wanting from the applicant, online clarification shall be raised within a week;
- (ii) A letter be sent from the State Govt. to Central Ground Water Authority (CGWA) requesting early disposal of applications received from the State;
- (iii) Notices to be published in daily Newspapers informing the industries and general public regarding the mandatory provisions of law;
- (iv) Awareness meetings be held by Bihar State Pollution Control Board & Central Ground Water Board with BIA, BCCI and other Industry Associations to make them aware of the mandatory requirements;

(v) The list of documents necessary for getting approval from the CGWA shall be made available on BSPCB's website and this be also made available to the Industry Associations;

(2) It was pointed by the Director, CGWB that 102 blocks of the State are now in the semi-critical, critical or over-exploited category. In view of this, there is need for regulating use of ground water for irrigation purposes. Director, CGWB was requested to give a recovery plan and proposed Action Plan for the same.

(3) Though the State Govt. has notified Ground Water Act for regulating and management of ground water and rain water harvesting structures now form part of the approved building plan, its actual compliance needs to be assessed. Urban Development & Housing Department may seek compliance report from the ULBs in this regard.

(4) Representative from the Urban Development & Housing Department was asked to submit the latest report concerning the following:

- (i) DPR preparation status regarding setting up of STP at the 5 polluted river stretch location towns of Ruxaul, Narkatiaganj, Ramnagar, Jogbani & Fatuha.
- (ii) Progress/status of setting up of STP & I & D network in the Ganga frontline towns;
- (iii) Status of open defecation free endeavour along polluted river stretches;
- (iv) Status of DPR preparation for Solid Waste Management in the aforesaid 5 location towns.

(5) Rural Development Department shall also give status report on the success of open defecation free endeavours along these polluted river stretches including the main stem of Ganga.

(6) Urban Development & Housing Department, Govt. of Bihar was to ensure that there shall be no dumping or landfill sites for any kind of waste within 500

~~172~~
657

meters from the edge of rivers . Also Solid Waste Management be taken up on a priority level along the polluted river stretches.

(7) Water Resources Department shall make arrangements for water flow measurements along Ganga and 5 polluted rivers of the State. It shall also take steps for flood plain zonation in the State.

(8) It was informed by the WRD that the quantum of e-flow decided by GOI after Kanpur is insufficient. It was requested that a protest letter should be sent from the level of Hon'ble CM, Bihar to the GOI for enhancing the quantum of e-flow so that sufficient amount Ganges water is available at the entry point in Bihar, Buxar.

(9) Agriculture Department is requested to share with the committee, progress of drip irrigation and crop diversification in the State.

(10) A letter be issued from the Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar to all the D.Ms to keep strict eyes over encroachment in flood plains of rivers and also urging them to remove encroachments already done.

(11) Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar shall take up river-side plantation and development of parks on the flood plain of river Ganga on priority basis in the schemes of the financial year 2019-20 .


Principal Secretary,

Department of Environment, Forest &
Climate Change, Bihar, Patna,

क्रमांक:- 358

पटना, दिनांक 03.04.19

प्रतिलिपि:-निदेशक, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना / विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना / निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना / निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लोक नायक जय प्रकाश भवन, डाक-बांगला चौराहा, फ्रेजर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव,

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना।

Status of Ongoing/Tendered/Tender to be floated of Schemes under Namami Gange program.

दिनांक :- 15.11.2019 तक

Sl. No.	Status	Location	Project Name	STP Capacity (in MLD)	Sewer Network (in Km.)	Santioned Cost (Crore)		Date of Sanction/Date of AA&ES issue	Date of NIT	Contract Price	Signing of Contract Name/Date	Date of Completion Agreement/Projected by BUIDCo)	Remarks
						GoI/GoB	GoI/GoB						
1		Beur	Sewerage Treatment Plant	43	-	68.16 74.29	15-07-14 05-01-15	07-Aug-15	77.85 Cr.	Voltas & GAA(JV) 31-03-17	10/5/2019 / 31/07/2019	Sludge Sump, Chlorination Tank, SBR Basin- Raft casting of Basin -1, 2, 3 & 4 is completed, Grit Chamber & Screening completed etc. work is completed. Physical Progress-98%, Financial Progress-44.24 Cr.	
2		Beur	Sewerage Network	-	184.84	225.77 394.89	31-12-14 24-01-17	21-Aug-15	398.40 Cr.	L&T 30-03-17	4/5/2020 / 31/12/2019	(i) Pipe laying work-106.66 K.M. work completed,(ii) Manhole-3362/7622 nos. completed, (iii) House sewer connection pit- 4944/37400 nos. completed, (iv) Road Restoration- 95.25 K.M. completed. Physical progress- 57.94%, Financial progress - 154.72 Cr.	
3		Saidpur	Sewerage Treatment Plant & Adjoining Network	60	55.10	184.93 201.57	01-04-15 26-11-14	21-Aug-15	188.186 Cr.	UEM & EMS (JV) 30-03-17	4/5/2020/ 30/11/2019	(i) Pipe laying-41.723 Kms completed (ii)1743/ 2397 Manholes constructed (iii) HSC Pit- 2738/8588 (iv) Road restoration-36.884 km. (v) STP 60 MLD: RCC raft of three basin completed (vi) SBR Basin - 8125.50 M3 Casting Completed out of 8350 M3, MPS - 1697.60 M3 Casting Completed out of 1750 M3, Gride Chamber - 513.5 M3 Casting Completed out of 510 M3. Thickener -298 M3 Casting Completed out of 350 M3. MCC & blower room - 108.5 M3 Casting Completed out of 195 M3. CCT - 209 M3 Casting Completed out of 670 M3. Physical progress-78.11%,Financial progress - 110.03 Cr.	
4		Saidpur	Sewerage Network	-	172.50	268.63 426.71	01-04-15 24-01-17	27-Aug-15	431.12 Cr.	L&T 30-01-18	19/01/2021 / June-2020	(i) Pipe laying- 44.3 Km. Completed out of 172.5 Km. (ii) Manhole- 1400/ 7480 constructed (iii) Porperty Chamber- 700/53600 (iv) Road restoration- 32.0 km/ 172.5 km and rest work in progress. Physical progress-24.00% Financial progress -111.74 Cr.	
5		Karmalichak	Sewerage Treatment Plant	37	-	77.04 83.97	15-07-14 05-01-15	07-Aug-15	73.61 Cr.	Voltas & GAA(JV) 31-03-17	10/5/2019 / 31/07/2019	(i)SBR Basin- Wall work in Progress (ii) Chlorination contact tank- Mechanical work in Progress, (iii) Sludge holding tank & Centrifuge Building-completed, (iv) Staff Qtr. 1&2 - completed, (v) Admin Building and MCC Room -Completed, (vi) MPS/Raw sewage sump- Brick work above lintel in progress. Platform casting from top of the wall at fine screen and grit chamber (vii) Stilling Chamber- Balance. Physical Progress-92%, Financial Progress- 41.23 Cr.	
6		Karmalichak	Sewerage Network	-	106.54	277.42	16/03/2017	09-May-17	253.98 Cr.	VA Tech. Wabaq. 11/05/2018	4/5/2021 / Dec 2020	Agreement done on dated-11.05.18, Sewer Network- 43.599 Km, Manhole- 1005 Each, House Connection Chambers- 507 Nos, Road Restoration- 3.5 Km, SPS- 1 Nos. Completed, Rest work in progress. Physical progress-33% , Financial progress - 42.21 Cr.	
7		Pahari STP	Sewerage Treatment Plant	60	-	191.62	19/05/2017	01-Sep-17	147.85 Cr.	VA Tech. Wabaq. 09/05/2018	09-Nov-20	Agreement done on dated-09.05.18, Site enabling activity-100%, Bypass RCC pipe line- 100%, Fish pond dewatering-100%, Bond demolition-200% Completed. Rest work in progress. Physical progress-13.37%, Financial progress - 20.68 Cr.	
8		Pahari-Zone IV A (S)	Sewerage Scheme in Sewerage Zone IV A (South) of Pahari, Patna	-	87.69	184.86	22/05/2017	01-Sep-17	167.84Cr.	EMS Infra & Technocraft Ltd.11/05/2018	28/2/2021 / Nov-2020	(i) Pipe laying work-39.51K.M/88 K.M.,(ii) Manhole- 1125/3270 nos. completed, (iii) House sewer connection pit- 1230/10650 nos. completed, Road Restoration 28.01 km Completed. Well work completed. Screen Chamber, Receiving Chamber, Distribution Chamber and Valve Chamber Excavation work under progress. Physical progress- 45.00%, Financial progress -65.41 Cr.	
9		Pahari Zone-V	Sewerage scheme at Pahari Zone V, Patna	-	115.93	356.37	22-05-2017	01-Sep-17	364.80Cr.	Sahour Pallonil. 25/04/2018	26/04/2021 / June-2020	Agreement done on dated-25.04.18, Suurvey work completed, Design/Drawing for sub zone A,B,C,D work is completed and sent to IIT for vetting after review.(i) Pipe laying work-22.6 Mt. work completed,(ii) Manhole-366/50306 nos. completed, (iii) Porperty Chamber- 475/31000 nos. completed, Road Restoration 13.83 km Completed. Physical Progress- 17.7%, Financial progress - 40.41Cr.	
10		Sultanganj	i&D works and STP at Sultanganj	10	-	60.22	08-01-2017	30-12-17	-	Aug-18	Dec-19	Design and Drawing of STP components under progress. No Physical work.	

Ongoing Project

APPENDIX - 4

658

659

134

Sl. No.	Status	Location	Project Name	STP Capacity (In MLD)	Sewer Network (In Km.)	Sanctioned Cost (Crore) Govt/Govt	Date of Sanction/AA&ES Issue Govt/Govt	Date of NIT	Contract Price	Signing of Contract Contractors Name/ Date	Date of Completion (As per Agreement/ Projected by BUIDCO)	Remarks
11		Barh	I&D works and STP at Barh	11	-	58.27	10-08-2017	22-06-18	-	Sep-18	Jan-20	LOA issued/(UEM India pvt Ltd.) Boundary wall of STP Site under progress, Design and Drawing of STP Components under progress. Financial progress- 2.71 Cr. No Physical work.
12		Naugachhia	I&D works and STP at Naugachhia	9	-	60.79	01-08-2017	22-06-18	-	Oct-18	Jan-20	LOA issued/(UEM India pvt Ltd.) Agreement executed on Dated 22.10.2018, Design and Drawing of STP Components under progress. Financial progress- 3.56 Cr. No Physical work.
13		Sonapur	I&D and STP	3.5	3.6	30.93	28/8/2018	Nov-19	-	-	Feb-20	LOA issued on 08.03.2019. Agreement executed.
14		Mokama	I&D works and STP at Mokameh	8	-	53.81	28/07/2017	30-12-17	-	-	Jun-20	LOA issued on 06.03.2019. Agreement executed.
1		Hallpur	Sewerage Treatment Plant & Sewer Network	22	138.9	305.19	05-03-2018	30-05-19	-	-	Jun-20	Earlier contract terminated (Tritech) Status of Previous work done (Physical Progress- 27%, Financial Progress- 33.74 Cr.) Revised AA&ES Rs. 305.19 Cr. Vide NMCG Lt. No.- J-1601/1/2009, Dt.- 05-03-18. Two bids have been received on 07.09.2018. Order for cancellation of tender on account of non-responsiveness has been sent to BUIDCO. NMCG observation received for the same. NIT floated for re-tender on 30.05.2019
2		Digha-Zone	STP & Sewer Network	100	288	824	11-08-2017	15-05-18	-	-	Jun-22	Tender received on 09.10.2018. Two bids received from M/s VA Tech Wabag and M/s Shepooji and Pallonji. Technical evaluation performed by M/s Deloitte and Co. Bid evaluation in progress. Bid document and Technical evaluation report sent to NMCG. Financial Bid Opened. Evaluation is under progress.
3		Kankarbagh-Zone	STP & Sewer Network	50	150	578.89	11-08-2017	15-05-18	-	-	Jun-22	Two Bids received. Bid Evaluation is under progress.
4		Bhagalpur	I&D works and STP at Bhagalpur	65	57.54	254.13	25-09-2017	Aug-18	-	-	Jun-22	Two Bids received. Bid Evaluation is under progress.
5		Begusarai	Sewerage Treatment Plant & Sewer Network	17	98	230.06	05-03-2018	Aug-18	-	-	Dec-20	Earlier contract terminated (Tritech), Revised AA&ES Rs. 230.06 Cr. Vide NMCG Lt. No. T-13/2013-14-0283, Dt.- 05-03-18. Status of Previous work done (Physical Progress-14%, Financial Progress -10.84 Cr.) - Bid received on 08.01.2019. Single Bid received. Bid Evaluation is under progress.
6		Chhapra	I&D and STP	32	18.95	236.15	30-11.2018	Apr-19	-	-	Dec-20	Two Bids received. Bid Evaluation is under progress.
7		Bakhtiyarpur	I&D and STP	10	-	38.88	15-01-2019	Jan-19	-	-	Dec-20	NIT Floated, Last date of Bid submission is 26.02.2019. Four Bids received. Bid Evaluation is under progress.
8		Maner	I&D and STP	6.5	3	41.36	04.12.2018	Jan-19	-	-	Dec-20	NIT Floated, Last date of Bid submission is 26.02.2019. Two Bids received. Bid Evaluation is under progress.
9		Fatua	I&D and STP	7	-	35.49	15.01.2019	Jun-19	-	-	Dec-20	AA&ES received. NIT Floated on 03.06.2019
10		Khagaria	I&D and STP	4.5	-	31.7	15.01.2019	Jul-19	-	-	Dec-20	AA&ES received. NIT Floated on 04.06.2019
11		Danapur	I&D and STP	25	-	103.27	-	Jun-19	-	-	Jun-21	AA&ES received. NIT Floated on 03.06.2019
12		Phulwarsharif	I&D and STP	7+6=13	-	46.25	-	Jun-19	-	-	Jun-21	AA&ES received. NIT Floated on 03.06.2019

660
175

Sl. No.	Status	Location	Project Name	STP Capacity (in MLD)	Sewer Network (in Km.)	Sanctioned Cost (Crore) Gol/GoB	Date of Sanction/ Date of A&ES issue Gol/GoB	Date of MIT	Contract Price	Signing of Contract Contractors Name/ Date	Date of Completion (As per Agreement/ Projected by BUIDCO)	Remarks
1	Tender to be floated	Buxar	Sewerage Treatment Plant & Sewer Network	16	95	74.95	08-03-10 28-01-11	04-Aug-10	52.05 Cr.	Tit- Tech(Belinda) 12-12-11	As per agreement work was to be completed by May 2016 but work has been stopped.	Work under previous contractor Trietch. Boundary wall work is completed. Pipe laying 39.5 completed manholes 1331 Nos. out 4015 Nos. completed. IPS-1 at ITI ground 30 % civil work completed. STP - 70% Completed, Work stopped. Physical Progress-39%, Financial progress-17.29 Cr. Due to no progress, contract has been terminated. NOC for termination is received. Revised estimate amounting Rs. 128.14 Cr has been sent to NMCG for approval.
2		Munger	STP & Sewer Network	30	165.73	294.02	05-03-2018	Aug-18	-		Jun-22	Earlier contract terminated (IVRCL) Status of Previous work done/Physical Progress-21%, Financial Progress -3.25 Cr., Revised A&ES Rs. 294.02 Cr. Vide NMCG Lt. No.-J-1301/1/2009, Dt. 05-03-18. Approval of Bid document awaited from NMCG/ World Bank.
3		Muzaffarpur	Development works of Ghats	3 Ghats		10.77	03-07-2019					A&ES received. Tender will be invited after election model code of conduct.
4		Gopalganj	Development works of Ghats	2 Ghats		8.25	03-07-2019					A&ES received. Tender will be invited after election model code of conduct.
1	Ongoing Projects	Patna	River Front Development of Patna	20 Ghat	6.6 Km	243.27/ 336.73	19-06-2013		254.52 Cr.	L&T 24.04.14	23-03-2019 (Further extension not awarded till date)	16 No. Ghats completed and promenade 4.9 KM out of 6.6KM completed. AVT Building completed. ECO Centre completed and Community Culture finishing work in progress. Elevated promenade work in progress. Crematoria 100% completed. Revised proposal has been approved by world bank for Rs. 336.73 Cr. Physical Progress-92%, Financial progress-267.88 Cr.
Total				639.5MLD	1747.92 KM	5567.93						कुल अंशदान राय :- 969.94 करोड़।
पटना नगर नदी तट विकास परियोजना भाग-2 के तहत नीचे दिए गए से तय हुए बांध के बीच 27 बांध, 06 कि.मी. प्रतिदिन 24 घण्टे अन्व संरचनाओं हेतु 218.00 करोड़ का प्रस्ताव।												
1	Total Sanctioned cost of Sewerage Project (for Patna) -			3387.21 (GOI)								
2	Total Sanctioned cost of Sewerage Project (Excluding Patna) -			3744.11 (GOB)								
3	Grand Total (1+2)			1805.95 (GOB)								
4	RFD Patna Project			5209.18 (GOI)								
5	Other Ghats			5566.08 (GOB)								
6	Total Expenditure			243.27 Cr.								
			336.73 Cr. (Revised Cost)									
			19.02 Cr.									
			969.94 crore (31.05.2019)									
Status of DPR Preparation:												
23 Ganga Towns: All prepared and sent to NMCG. Approval Awaited for Kahalgau, Manihari, Dighwara, Teghra, Jamalpur & Barahiya (Total- 6)												
15 Tributaries Towns: Prepared and sent to NMCG for approval. Muzaffarpur, Dehri, Supaul, Gopalganj, Arwal and Darbhanga (Total- 6). Rest of out of 9 towns 7 from NEERI, 1 (Samastipur) from REPL & 1 (Bagaha) from Dara Shah & PSB the DPR not received yet. DPR for 4 towns Raxaul, Joghani, Narkatiyaganj and harinagar related to Hon'ble NGT are under preparation by NEERI.												

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण (AQMC) समिति की दिनांक 22.05.19 को हुई बैठक की कार्यवाही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा OA No. 68/2018 में पारित आदेश के आलोक में वायु गुणवत्ता अनुश्रवण (AQMC) समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा गया, पटना एवं मुजफ्फरपुर के लिए कार्य योजना तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को समर्पित किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा उपरोक्त कार्य योजनाओं को अनुमोदित करते हुए इनके क्रियान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है; साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् ने समर्पित कार्य योजना के संबंध में निम्न सुझाव दिया है:

1. इन सभी शहरों के लिए Source Apportionment Study कराया जाय।
2. परिवहन एवं धूल कण के प्रबंधन हेतु सुझाए गए क्रियाकलापों की समय सीमा को कम किया जाय तथा अल्पावधि में किये जा सकने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाय ।
3. वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित एक आकलन उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा समर्पित कार्य योजना एवं इसके क्रियान्वयन पर विस्तार से विमर्श किया गया । विमर्शोपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये :

(i) (a) सभी संबंधित विभाग Clean Air Action Plan को लागू करने हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर इससे संबंधित आंकड़े बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेंगे।

(b) सभी विभाग कार्य योजना के प्रत्येक क्रियाकलाप के विरुद्ध राशि की आवश्यकता का वर्षवार आकलन करेंगे तथा अलग से यह भी उल्लेख करेंगे कि इनमें से कितनी राशि की पूर्ति उनके द्वारा आन्तरिक संसाधनों से की जायेगी तथा किन मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। (प्रपत्र संलग्न)

(ii) परिवहन एवं पथ निर्माण विभाग तथा नगर निगम अपने से संबंधित क्रिया-कलापों की पुनः समीक्षा करेंगे एवं प्रस्तावित समय सीमा को कम करने का प्रयास करेंगे। आवश्यकतानुसार किसी एक क्रिया को उप-क्रियाओं में विभाजित कर सभी के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।

- (iii) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् 15 वर्षों से अधिक के पुराने डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित करने हेतु सम्यक प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजेगी जिसपर परिवहन विभाग द्वारा अग्रेतर कारवाई की जायेगी।
- (iv) परिवहन विभाग द्वारा पूर्णतया स्वच्छ ईंधन (सी0एन0जी0/इलेक्ट्रीक) आधारित गाड़ियों के परिचालन हेतु दिसम्बर, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए मार्गनिदेशिका तैयार कर सभी हितधारकों के बीच प्रसारित किया जाय ताकि समय-सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। कार्य योजना के तहत छोटे-छोटे उपलब्धियों के लिए अल्पावधि के समय-सीमा का निर्धारण किया जाय यथा:
- (1) डीजल आधारित वाहनों के नये निबंधन को प्रतिबंधित करना।
 - (2) इसके पश्चात इनके परिचालन को प्रतिबंधित करना
 - (3) साथ में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों की संख्या में वृद्धि करना आदि।
- (v) परिवहन विभाग पटना के अतिरिक्त गया, मुजफ्फरपुर सहित अन्य शहरों के लिए भी सी0एन0जी0 आधारित वाहनों के परिचालन हेतु पृष्ठभूमि तैयार करे।
- (vi) सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में बैट्री चालित वाहनों के निबंधन के समय निबंधन कर शुल्क में 50% की रियायत दी जाती है। इसी प्रकार व्यावसायिक/ निजी उपयोग वाले वाहनों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 'प्रोत्साहन नीति' पर विचार किया जाय।
- (vii) पटना सहित अन्य शहरों में वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इस पर भी परिवहन विभाग द्वारा विचार किया जाय।
- (viii) परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अगले दो माह में राज्य में 500 से अधिक प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जायेंगे। 57 केन्द्रों को (स्वचालित) ऑटोमेटिक किया जा चुका है। शेष को दिसम्बर, 2019 तक करा लिया जायेगा। परिवहन विभाग इससे संबंधित आंकड़े बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेगी। परिवहन विभाग द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि औरंगाबाद में प्रयोग के तौर पर मोबाईल PUC की व्यवस्था की गई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नये PUC केन्द्रों की

स्थापना सहित PUC नेटवर्क के सुदृढीकरण के संबंध में समय सीमा का उल्लेख करते हुए अलग से कार्य-योजना उपलब्ध कराया जाय ।

- (ix) प्रदूषण जांच केन्द्रों के Calibration का कार्य बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के साथ मिलकर परिवहन विभाग द्वारा कराया जाय।
- (x) सचिव, परिवहन विभाग ने सूचित किया कि नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु अधिकारियों को Hand held device उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से जुर्माने की राशि ई-चलान से वसूल की जा रही है। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि PUC जांच का कार्य निरंतर एवं नियमित रूप से कराया जाय। परिवहन विभाग इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेगी ।
- (xi) बैठक में उद्योग विभाग से सक्षम स्तर के पदाधिकारी के भाग नहीं लेने पर अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकट किया गया, तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को संसूचित करने का निर्णय लिया गया । माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार AQMC के सदस्य, निदेशक स्तर के अन्नयून पदाधिकारी ही हो सकते हैं। चूंकि इस समिति में नीतिगत निर्णय लिया जाता है, सक्षम स्तर के पदाधिकारी की भागीदारी आवश्यक है।
- (xii) कृषि विभाग के पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्व में आयोजित कृषि अपशिष्ट को जलाने से रोकने हेतु की गई बैठक की कार्यवाही की प्रति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेगें । इस संबंध में पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है।
- (xiii) पथ निर्माण विभाग द्वारा पुल के नीचे के स्थल को निःशुल्क पार्किंग के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव है। चूंकि पार्किंग स्थलों का सही उपयोग सीधे सड़कों पर लगाने वाले जाम से जुड़ा है और जाम की स्थिति में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन बढ़ जाता है, अतः समिति पथ निर्माण विभाग से आग्रह करती है कि;
- (1) पथ निर्माण विभाग सर्वे करा सुनिश्चित हो लें कि पार्किंग के रूप में चिन्हित स्थलों का उपयोग पार्किंग के तौर पर ही किया जा रहा है।
 - (2) जगह के अभाव में पार्किंग स्थलों पर कतिपय लोगों द्वारा स्थाई तौर पर अपने गाड़ी को लगाने की प्रथा पर अंकुश लगाया जाय।
 - (3) मुफ्त पार्किंग की सुविधा देने पर पुर्नविचार किया जाय; बल्कि सार्वजनिक

वाहनों के उपयोग/ कारपुलिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत वाहनों के पार्किंग दर में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

- (xiv) पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे इण्ड टू इण्ड पेभिग का कार्य किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग इससे संबंधित कार्य-योजना समय सीमा के साथ उपलब्ध करायेगी। समिति द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इण्ड टू इण्ड पेभिग के बदले सड़क के किनारे दो मीटर हरित पट्टी छोड़ा जाय तथा विद्यमान पौधों के किनारे दो फीट खाली जगह छोड़कर ही पेभिग का कार्य किया जाय। इस कार्य हेतु Perforated tiles लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।
- (xv) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि पटना शहर में 92 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। साथ ही स्टेशन के पार्किंग को नये रूप से विकसित किये जाने की योजना है। नगर आयुक्त, पटना में पार्किंग की सुविधा विकसित करने की कार्ययोजना से संबंधित एक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- (xvi) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि 728 होटलों एवं मॉल को उनके द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण नोटिस दिया गया है। तीन महीना के अन्दर इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई संपन्न कर ली जायेगी। समिति द्वारा निदेश दिया गया कि इन मामलों को सुलह नहीं किया जाय, बल्कि इन प्रतिष्ठानों को अनुमोदित नक्शा के अनुरूप ग्राउन्ड एवं बेसमेंट में पार्किंग विकसित करने हेतु बाध्य किया जाय।
- (xvii) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि कचड़ों में आग लगाने की घटनाओं में काफी कमी आयी है। अध्यक्ष द्वारा इसपर पूर्णतया अंकुश लगाने का निदेश दिया गया। दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाय।
- (xviii) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने सूचित किया कि जून, 2019 तक सभी होटलों, ढाबा, रेस्टोरेन्ट आदि में लकड़ी एवं कोयला के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि टेला आदि के माध्यम से लिट्टी एवं अन्य छोटे व्यवसाय करने वालों को रियायती दर पर एल0पी0जी0 मुहैया कराने पर विचार किया जा सकता है।

- (xix) निर्माणाधीन भवनों को ढंक कर निर्माण कार्य किया जाना है, नगर निगम जून, 2019 में इस संबंध में व्यापक सर्वे कर ऐसे भवनों की सूची तैयार करें जिनमें बिना ढंके हुए निर्माण कार्य चल रहा हो। ऐसे मामलों में जुर्माना राशि की वसूली की जाय।
- (xx) सड़क के किनारे निर्माण सामग्री रखने एवं बिना ढंके ले जाने के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अद्यतन आंकड़े सहित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को नगर निगम उपलब्ध करायेगी।
- (xxi) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि सड़क से धूलकण हटाने हेतु 10 मशीन का क्रय किया गया है जिसमें से तीन मशीन काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सड़कों से जनित होने वाले धूल-कण को नियंत्रित करने हेतु पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इन दोनों के संबंध में प्रतिवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (xxii) पटना नगर निगम द्वारा आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपन की योजना है, इस योजना को वन विभाग के साथ साझा किया जाय। गंगा किनारे विशेष वृक्षारोपन हेतु तैयार योजना की प्रति पटना नगर निगम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेगी।
- (xxiii) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि उनके स्तर से यह निर्देश निर्गत है कि किसी भी नाला की उगाही के पश्चात मिट्टी/ मलबे को उसी दिन वहां से हटा दिया जाना है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इस संबंध में निर्गत निर्देश की प्रति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेंगे।
- (xxiv) स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि Air Quality Index के आधार पर Health Advisory निर्गत करने हेतु सभी सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि रेडियो, टी0 भी0, समाचारपत्र एवं हस्तपुस्तिका के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री मुख्यालय स्तर पर ही तैयार करा जिलों को उपलब्ध कराया जाय। मात्र वाल पेन्टिंग एवं होर्डिंग के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाय। विभाग एक माह के अन्दर इस संबंध में सामग्री तैयार कर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करेगी।
- (xxv) सभी विभाग Clean Air Action Plan से संबंधित मासिक अनुपालन प्रतिवेदन अगले महीने के 5 तारीख तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायेंगे।

666

181

अध्यक्ष (AQMC) द्वारा समिति के सभी सदस्यों एवं विभिन्न विभाग से आये अधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिये जाने के उपरान्त बैठक समाप्त की गई।


(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष,
वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति

पटना, दिनांक:- 03.6.19

ज्ञापांक:- 563

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/ सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, पटना।

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार, पटना

Annexure-2

अवैधा खनन/परिवहन/भण्डारण से संबंधित संयुक्त कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन (2019-20)

तिथि: - 01-04-19 से 20-06-19 तक का द्वाप्राप्त प्रतिवेदन/सूचना के आधार पर त्रवाहन की जत्ती

(आकड़ा लाख रुपये में)

क्र०	जिला का नाम	छापेमारी	प्राथमिकी	गिरांतारी	वाहनो की जत्ती	न्यायालय के आदेश में दंड के रूप में वसूली गई की राशि	विभाग द्वारा दंड के रूप में वसूली की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Araria	26	1	1	15	0.00	4.80
2	Arwal	52	11	4	74	0.00	6.86
3	Aurangabad	162	8	2	172	3.06	24.18
4	Banka	87	34	14	59	13.65	8.94
5	Begusarai	47	0	0	58	0.00	8.15
6	Bettiah	39	0	0	28	0.00	5.89
7	Bhagalpur	102	2	2	180	3.85	50.24
8	Bhojpur	194	7	13	166	0.30	43.75
9	Buxar	71	3	1	41	0.00	3.83
10	Darbhanga	22	0	0	14	0.00	4.10
11	Gaya	248	60	22	141	12.28	7.96
12	Gopalgunj	47	0	0	37	0.00	5.31
13	Jamui	175	32	23	186	2.19	16.72
14	Jehanabad	54	13	7	34	0.55	2.16
15	Kaimur	27	0	0	116	0.00	44.19
16	Katihar	25	1	0	105	0.00	12.01
17	Khagaria	29	0	0	11	0.00	1.54
18	Kishangunj	36	0	0	27	0.00	5.66
19	Lakhaisarai	99	37	1	133	0.00	22.18
20	Madhepura	23	2	2	11	0.00	1.28
21	Madhubani	37	1	1	22	0.00	2.15
22	Motihari	26	0	0	21	0.00	4.16
23	Munger	46	1	0	54	0.00	8.90
24	Muzaffarpur	117	8	3	70	0.00	17.48
25	Nalanda	114	42	19	212	0.44	27.60
26	Nawada	79	17	17	91	0.00	9.86
27	Patna	97	13	4	100	0.10	8.82
28	Purnia	35	0	0	67	0.00	12.93
29	Rohtas	97	4	4	396	0.16	87.87
30	Saran	62	16	24	86	4.21	16.22
31	Saharasa	18	1	0	10	0.00	1.06
32	Samastipur	80	0	0	31	0.00	5.25
33	Sekhpura	42	2	0	42	0.00	11.14
34	Shivhar	65	0	0	17	0.00	4.14
35	Sitamadhi	71	2	2	41	0.79	6.22
36	Sjwan	94	3	4	25	0.00	4.28
37	Supaul	23	1	0	17	0.00	4.87
38	vaishali	37	2	5	38	0.20	4.09
Total		2705	324	175	2948	41.78	516.79
						Total	558.57

Up to date status of different components of SWM at Ghats of 23 Ganga Towns in Bihar

Date-20.06.2019

Sl.No.	ULBs Name	Ghats	Nallas	No. of Nallas where screens have been installed	No. of Nallas where screens yet to be installed	Garbage Dump site	Garbage Vulnerable Points(GVPs)	Cleanliness condition of Ghats	Anti-littering Msg Board	Litter bins	Remarks
1	Barh Municipal Council	6	7	4	Work to be started in 3 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	Completed	
2	Hajipur Municipal Council	8	1	0	Work to be started in 1 Nalla soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	11 Installed in 4 Ghats and rest to be completed by 30/06/2019	11 Installed in 4 Ghats and rest to be completed by 30/06/2019	
3	Sonepur Nagar Panchayat	6	1	0	1 in progress, to be completed by 30/06/2019	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
4	Mokama Municipal Council	16	4	4	Completed	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	Completed	
5	Bakhtiyarpur Municipal Council	3	1	1	Completed	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
6	Teghra Nagar Panchayat	2	2	0	Work to be started in 2 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
7	Maner Nagar Panchayat	1	3	0	Work to be started in 3 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
8	Barahiya Nagar Panchayat	2	4	2	2 in progress, to be completed by 30/06/2019	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	Completed	
9	Manihari Nagar Panchayat	1	3	0	Work to be started in 3 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
10	Buxar Municipal Council	7	7	7	Completed	1 to be completed by 30/06/2019	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	Search for alternative Dump site is going on.
11	Fatuha Municipal Council	4	7	6	Work to be started in 1 Nalla soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 Installed and rest to be completed by 30/06/2019	Completed	
12	Khagariya Municipal Council	2	2	0	Work to be started in 2 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
13	Naugachhiya Nagar Panchayat	1	15	14	Work to be started in 1 Nalla soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
14	Danapur Nagar Parishad	10	1	1	Completed	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	

15	Kahalgaon Nagar Panchayat	3	6	5	Work to be started in 1 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
16	Dighwara Nagar Panchayat	1	8	2	4 in progress and Work to be started in 2 Nallas soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	6 in progress but work was hindered by the local residents. Now it is ok.
17	Jamalpur Municipal Council	0	4	0	Work to be started in 4 Nallas soon.	0					
18	Chhapra Municipal Council	1	1	1	Completed	Completed	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
19	Sultanganj Municipal Council	2	7	7	Completed	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
20	Begusarai Municipal Council	1	1	0	Work to be started in 1 Nalla soon.	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
21	Munger Municipal Council	3	1	1	Completed	Completed	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	Completed	Completed	
22	Bhagalpur Municipal Corporation	7	15	9	6 in progress, to be completed by 30/06/2019	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 installed and rest to be completed by 30/06/2019	1 installed and rest to be completed by 30/06/2019	
23	Patna Municipal corporation	20	20	20	19 Drains (23 Screens, consisting 4 in Bio-remedial in Rajapur Nallah)	0	Cleaned	Cleaning continues on regular basis	1 installed and rest to be completed by 30/06/2019	1 installed and rest to be completed by 30/06/2019	
24	Phulwari Sariff		5		Work to be started in 5 Nallas soon.						
Total		107	126	83 (87 screens)	43	1			In 10 Nallas work in progress and rest 33 Nallas No need of Screen installation due to Low Laying Area.		

(181)

181

670

(587)

185

Detail of Nallas where screens have been installed/to be installed				Date-20.06.2019	
Sl.No.	ULBs Name	Nallas Name	No.of Nallas where screens have been installed	No.of Nallas where screens yet to be installed	Remarks
1	Barh Municipal Council	Pipal Ghat Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Shalimpur Nala	Completed	-	
		Malina Ghar Nala Ward no. 11 Salempur Barh	Completed		
		Dhobiya Ghat, Laxmi flour mill	Completed		
2	Hajipur Municipal Council	Gauri Shankar Ghat	Completed	-	
		Talimpur Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Dayachak Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Subhash Chowk Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
3	Sonepur Nagar Panchayat	Barwatta Nala	-	In progress	
		Tapaswi Ghat Nala	Completed		
		Chaudhry Ghat, Pipal tal	Completed		
4	Mokama Municipal Council	Kamleshwari Asthan Nala	Completed		
		Sidhnath Mandir	Completed		
		Raghopur Dagar Nala	Completed		
5	Bakhtiyarpur Municipal Council	-	-	Work is to be started soon in 2 nalla	Low Laying Area
6	Teghra Nagar Panchayat	-	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Maner bazar Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Ram Nagina Singh College Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
7	Maner Nagar Panchayat	Ram Ghat Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Krishn Chawk Nala	-	In progress	
		Baba Dani Mohalla Nala	Completed		
8	Barahiya Nagar Panchayat	Bangal kuni taal Nala	Completed		
		Bah path Nala	-	In progress	
		-	-	Work is to be started soon in 3 nalla	Low Laying Area
5	Manihari Nagar Panchayat	-	-	-	-

671

(186)

10	Buxar Municipal Council	Nath baba Nala (Cannal)	Completed	-			
		Tadka Nala	Completed	-			
		Sati gahat	Completed				
		Sidhnath Nala (Hospital Nala)	Completed	-			
		Saripur Nala	Completed	-			
		Bangla Ghat Nala	Completed	-			
		Sohanipatti Nala	Completed				
		Kali Ghat Samraspur	Completed				
		Maksudpur Nala (East)	Completed				
		Maksudpur Nala (West)	Completed				
11	Fatuha Municipal Council	Kataiya Ghat	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area		
		Devanti Ghat	Completed				
		Mastana Ghat	Completed				
		Bankipur Ghorakak Nala	Completed				
		Daan nagar By-Pass Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area		
		P.W High school Nala	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area		
		New basti Nala	Completed	-			
		Maa Tara Bhawan Nala	Completed	-			
		Ward no. -08 Nala	Completed	-			
		Station road Nala (1)	Completed	-			
12	Khagariya Municipal Council	Station road Nala (2)	Completed	-			
		Durga Asthan Nala	-	link with station road nalla.			
		Ward no. -03 Nala	Completed	-			
		Milan Chawk Nala	Completed	-			
		Ward no. - 09 Nala	Completed	-			
		Noniya patli, ward no. -20 Nala	Completed	-			
		Mulshar patli, ward no- 13 Nala	Completed	-			
		13	Naugachiya Nagar Panchayat				

186

672

(187)

		Rajendra Colony, ward no- 05 Nala	Completed	-	
		Nagar Panchayat kanyalaya ke bagal me ward no- 16	Completed	-	
		Hardiya patti, ward no- 21 Nala	Completed	-	
		Hero Honda showroom ke bagal me ward no- 21 Nala	Completed	-	
14	Danapur Nagar Parishad	Danapur Cant Nala	Completed	-	
		Kagali Nala	Completed	-	
		L.C.T Nala	Completed	-	
		Asansan Ghat Nala	Completed	-	
		Pampu Nala	Completed	-	
		Badshahi Nala	Completed	-	
		Koyala Nala	-	-	
		Bagahing tola	Completed	-	
		Marchav Baba Mandir	Completed	-	
		UMV Nala	-	-	
16	Dighwara Nagar Panchayat	Post office road	-	-	
		Market Area	-	-	
		R. Primary school	-	-	
		Barbana	-	-	
		M.S Basadpur	-	-	
		Ramnagar Nalla	-	-	
17	Jamalpur Municipal Council	Laxmiपुर Nalla	-	-	Work is to be started soon.
		Aashikpur Nalla	-	-	Work is to be started soon.
		Fardapur Nalla	-	-	Work is to be started soon.
		Khanua Nala	Completed	-	Low Laying Area
18	Chhapra Municipal Council	Khanua Nala	Completed	-	Low Laying Area

Work was stopped by the local residents. Now work would start again.

187

19	Sultanganj Municipal Council	Masjid Ghat Nala	Completed	-	
		Vishari Asthan Ghat Nala (1st)	Completed	-	
		Vishari Asthan Ghat Nala (2nd)	Completed	-	
		Jahaj Ghat Nala	Completed	-	
		Krishnagarh Bhatta gali Nala	Completed	-	
		New Sidhi Ghat masjid ke bagal wala Nala	Completed	-	
		New Sidhi Ghat Nala	Completed	-	
		Pokhariya Nala Mohammadpur Jail ke najdik	-	Work is to be started soon.	Low Laying Area
		Lal Darwaja Nala	Completed	-	
		20	Begusarai Municipal Council	Khagaol Aasiyana overbridge crossing Nalla	-
21	Munger Municipal Council	Issopur Raitchowk nalla	-	-	
22	Phulwariariff	Mitrmandal Colony Nalla	-	-	
		Biria Colony Nala A	-	-	
		Biria Colony Nala B	-	-	
		Adampur Nala	Completed	-	
		Hathiya Nala intek wel ke najdik	Completed	-	
		Surkhial Nala	-	In progress	
		Sakhichand Nala	Completed	-	
		BararGhat Nala, Vikramshila bridge ke najdik	-	In progress	
		Nil Kothi Nala	Completed	-	
		Pipal dham Nala -1	Completed	-	
23	Bhagalpur Municipal Corporation	Pipal dham Nala -2	Completed	-	
		Kuppa Ghat	-	In progress	
		Koyal Ghat	Completed	-	
		Hathiya Nala, Tilkamanjhi ke najdik	-	In progress	
		S.T.P Nala Bhagalpur	-	In progress	
		Shahabganj Miyabari Nala	-	In progress	

No need of Screen installation
by EE Lt. No.- 122, Dated-
15.02.19 as feasibility
mentioned in column no.- 4

674

(18)

24	Patna Municipal Corporation	Champa Nala - 1	Completed		
		Champa Nala - 2	Completed		
		Digha Ghat Nala (Cannal)	Completed		
		Kurzi Nala	Completed		
		Mandiri (Banschat Nala)	Completed		
		Krishna Ghat Nala	Completed		
		Barharwa Ghat Nala	-	In progress	
		Rani Ghat Nala	Completed		
		Ghagha Ghat Nala	Completed		
		Masjid Ghat Nala	Completed		
		Loharwa Ghat Nala	Completed		
		Gosai Ghat Nala	Completed		
		Bhadra Ghat Nala	Completed		
		Nauzar Ghat Nala	Completed		
		Mittan Ghat Nala	Completed		
		Badshahi Nala	-	In progress	
		Gay Ghat Nala	Completed		
Mahavir Ghat Nala	Completed				
Balu Ghat Nala	Completed				
Rajapur		Completed. (4 additional screens have been installed in Nehru nagar nala, Shivpuri nala, Indrapuri nala & Surpentine nala-links drains of Rajapur nalas)			
Mandiri Nala		Completed			
Anta Ghat Nala		Completed			
Kali Ghat Nala		Completed			

189